राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का १२वां दिवस [संख्या ६

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खाद्य, गृह, सामान्य प्रशासन, पंचायत, शिक्षा, पशु-पालन, नागरिक रसद, यातायात, सहकारिता, उद्योग एवं नियुक्ति-विभाग]

प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : प्रश्न संख्या १४०.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : प्रश्न संख्या १४० का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आ रहे हैं। कभी सदस्य नहीं होते तो कभी मंत्रीजी नहीं होते।

डॉ० चन्द्रकला : जिस दिन जवाब देना होता है उस दिन तो मंत्रीजी को समय पर आना चाहिये।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कोशिश तो यही करते हैं।

भरतपुर जिले में खाद्यान्न के लाने व ले जाने पर प्रतिबन्ध

१४०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या भरतपुर जिले में आजकल खाद्यान्न के लाने व ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है ? यदि हां, तो वह किस २ अन्न पर और कहां २ के लिये है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त जिले की एक तहसील से दूसरी तहसील में अन्न ले जाने पर भी प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो यह किस आधार पर किया जा रहा है ? सरकारी तत्संबंधी आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जायें।

Page No.2

खाद्य मंत्री(श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) भरतपुर जिले में किसी किस्म के गल्ले के लाने व ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है; लेकिन इन्टर जोनल व्हीट (मूवमेंट कंट्रोल) ऑर्डर १६५७ की धारा ३ के तहत राजस्थान से गेहूं बाहर ले जाने पर व बाहर से गेहूं आने पर प्रतिबन्ध है। चूंकि भरतपुर सरहदी जिला है अतः राजस्थान फूड ग्रेन्स (रेस्ट्रिक्शन्स ऑन बोर्डर मूवमेंट) ऑर्डर, १६५६ की धारा ३ की तहत सरहद के ५ मील के अन्दर गेहूं का लाना व ले जाना बिना परमिट वर्जित है तथा राजस्थान (राइस इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन) ऑर्डर, १६६० की धारा ३ के तहत चावल पंजाब, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों से लाना भी वर्जित है।

(ख) इस जिले की एक तहसील से दूसरी तहसील में अन्न ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु जो तहसीलें राज्य की ५ मील की अन्दरूनी सीमा में आती हैं उनमें गेहूं का लाना व ले जाना राजस्थान फूड ग्रेन्स (रेस्ट्रिक्शन ऑन बोर्डर मूवमेंट) ऑर्डर, १६५६ के तहत में मूवमेंट होता है। सरकारी तत्संबंधी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह जो तहसील में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं उनको भी पुलिस या राज्य के अन्य अधिकारी रोकते हैं, तो क्या इसलिये रोकते हैं कि ५ मील के अन्दर आते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके मातहत मूवमेंट के लिये परमिट लेना पड़ेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक किसान जिसका खेत यू० पी० की सरहद पर है वहां से वह मंडी में बेचने के लिये अनाज लेकर आयेगा तो क्या उसको भी परमिट लेना पड़ेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको भी परमिट लेना पड़ेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वह किससे परमिट लेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तहसीलदार को ऑथोरिटी दी गई है। ५ मील के ऊपर के लिये भरतपुर ही क्या सारे राजस्थान में बेचने के लिये लाता है तो परमिट लेना लाजमी है। उसमें यह डिस्टिंक्शन करना कि बाहर ले जाया जायगा या अन्दर ले जाया जायगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सब के लिए नियम लागू है कि पांच मील के अन्दर अगर मंडी के अन्दर ले जाना चाहता है तो भी मूवमेंट के सिलसिले में परमिट लेना पड़ेगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या अगर वह ग्राम पंचायत से परमि ले तो वह परमिट वेलिड समझा जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं, ग्राम पंचायत का नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यह सही है कि तहसीलदार को परमिट देने का अधिकार नहीं दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, तहसीलदार को अधिकार है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बाड़ी से अगर धौलपुर लाते हैं तो वहां से बोर्डर २०मील दूर है। बोर्डर काफी दूर है, फिर भी गेहूं लाने में काफी रेस्ट्रिक्शन्स लगे हुए हैं। गेंहूँ ले जाने के लिए तहसीलदार से परमिट लेना पड़ता है। बाड़ी से गेहूँ लाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है जब कि यह नियम है कि ५ मील पर बोर्डर हो तो परमिट लेना पड़ेगा, २० मील के करीब बोर्डर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : २० मील के अन्दर परमिट बिना ले जाने की इजाजत नहीं, ऐसी बात नहीं। पांच मील के अन्दर अगर मूवमेंट करे तो परमिट लेना पड़ेगा। पांच मील के बाद इन्टरनल मूवमेंट करने के लिये रेस्ट्रिक्शन नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : बाड़ी से बोर्डर १०, १५ मील दूर है, वहां भी ऐसा प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो हमें बता दें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर की किसी एक तहसील से दूसरी किसी तहसील को ले जाते हैं तो पुलिस वाले इस बात का फायदा उठाते हैं,कि ये बाहर ले जायेंगे और पुलिसवाले रोकते हैं। जो शिकायतें होती हैं वे भी नहीं सुनी जाती हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने रूल्स आपको सारे बता दिये हैं, इसके विरोध में अगर कोई शिकायत है और उसे आप बतायेंगे तो एप्रोप्रियेट लेवल पर कार्यवाही करेंगे।

श्री दलपतसिंह : अगर काश्तकार ग्राम पंचायत से सर्टीफिकेट लेकर मंडी में गेहूं लाता है, तो एक्ट के अनुसार सरकार को क्या एतराज है ? क्योंकि काश्तकार को १० मील से परमिट लाने के अन्दर काफी हेरेसमेंट होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्राम पंचायत को ये पॉवर्स डेलीगेट की हुई नहीं हैं और न करने का इरादा है।

श्री दलपतसिंह : अगर ये पावर्स दे दें तो हर्ज क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके कई इम्प्लीकेशन्स हैं। हम सोचते हैं कि ग्राम पंचायत इस रेस्पोन्सिबिलिटी को सम्भाल सकती है या नहीं ; यह सोचने का विषय है।

प्रश्न संख्या १४१

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री किशनाराम।

चूरू जिले में पुलिस कर्मचारियों के तबादले

१४२. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) सन् १९५९-६० में चूरू जिले में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के जिले से बाहर कितने तबादले किये गये हैं ?

(ख) इन अधिकारियों व कर्मचारियों

Page No.4

(श्री किशनाराम)

के किन किन कारणों से व किसके ऑर्डर से तबादले हुए ? नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सन् १९५९–६० में एक डी० एस० पी०, ११ सब इन्सपेक्टर्स, ४ हैड कॉन्सटेबल, १२ कॉन्स्टेबल और १ अपर डिविज़न क्लर्क का जिले से बाहर तबादला किया गया है ।

(ख) ६ कॉन्सटेबलों के सिवाय जिनका तबादला कम्पेशनेट ग्राउन्डस् पर किया गया, अन्य तबादले प्रशासकीय कारणों से किये गये ।

श्री किशनाराम : कारण क्या बताया, सुना नहीं । साफ सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारणों से किये गये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ऑर्डिनरी कोर्स में डिप्टी एस० पी०, एस.पी., एस. एच० ओ० के ट्रान्सफर कितने दिन बाद किये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑर्डिनरिली दो साल ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या साहब ?

श्री रामकिशोर व्यास : दो साल ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने अपर डिविजन क्लर्क के लिए फरमाया....

शेरगढ़ तहसील के गांवों में पीने के पानी के प्रबन्ध के लिए दी गई धन-राशि

१४३. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु०) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

शेरगढ़ तहसील के किन किन गांवों में अनुसूचित जातियों के लोगों को पीने के पानी का प्रबन्ध कराने के लिये सरकार द्वारा हौज, कुंआ आदि खोदने और बन्ध बनवाने के लिये सन् १९५६ से सन् १९६० तक कितनी कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी गई ? नाम सहित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) शेरगढ़ तहसील, जिला जोधपुर के चोरियान गांव में समाज कल्याण विभाग द्वारा....

(श्री किशनाराम के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं ।

प्रश्न संख्या १४२ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न

(पूर्व क्रम से)

श्री किशनाराम : अपर डिविजन क्लर्क का तबादला किया गया, वह कितनी जगह किया गया और किन कारणों से किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से किया गया ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सुनाई नहीं देता ।

श्री किशनराम : अपर डिविजन क्लर्क का तबादला चुरू से नागोर, नागोर से जैसलमेर और जैसलमेर से किशनगढ़ किया गया । आप सोचिये, उसका तबादला क्यों किया गया और क्या कारण था क्लर्क को तंग करने का ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि प्रशासनिक कारणों से उसका तबादला कर दिया । इसके मुफसिल में जाने की जरूरत नहीं है । ट्रान्सफर प्रशासनिक कारण से किया गया ।

श्री किशनाराम : वह मामूली सा क्लर्क है, उसको हैरान क्यों किया जाता है, क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बात यह है कि उसका ट्रान्सफर कैसे हटे, यह प्रोब्लम है नहीं । कारण मैंने बताया है, उसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ।

श्री किशनाराम : क्या कारण बताया, मैंने सुना नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं और हिन्दी में प्रशासनिक कहते हैं ।

श्री किशनाराम : उस क्लर्क के लिए कौनसे प्रशासनिक कारण आ गये ?

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपको क्या तकलीफ हो रही है उसके ट्रान्सफर से ?

श्री किशनाराम : तकलीफ मुझको तो क्या होगी, तकलीफ आपको है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

शेरगढ़ तहसील के गांवों में पीने के पानी के प्रबन्ध के लिये दी गई धन-राशि

१४३. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

शेरगढ़ तहसील के किन किन गांवों में अनुसूचित जातियों के लोगों को पीने के पानी का प्रबन्ध कराने के लिये सरकार द्वारा हौज, कुंआ, आदि खोदने और बान्ध बनवाने के लिये सन् १६५६ से सन् १६६० तक कितनी कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी गई ? नाम सहित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) शेरगढ़ तहसील, जिला जोधपुर के चोरियान गाव में समाज कल्याण विभाग द्वारा पानी पीने के कुएं हेतु ७, ४७० रु० सन् १६५६-६० में अन्डर डेवलप्ड एरिया स्कीम के अन्तर्गत दिया गया ।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील के अन्दर चोरड़िया गांव के अलावा और कोई गांव ऐसा नहीं था जहां पीने के पानी की कमी थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : है, लेकिन जो मांग आई थी और जो जरूरत

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

समझी गई, जितना रुपया हमारे पास था, उसके हिसाब से दिया गया।

श्री सूरजमल : क्या यह समझा जाय कि चोरड़िया के अलावा और कोई मांग नहीं आई थी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि यह रकम १६५८-५६ की स्कीम नहीं थी, १६५६-६० में सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम थी, उसके तहत अन्डर डेवलप्ड एरिया, मरुस्थल के अन्दर कुंए खोदने के लिए दिये जाने के लिए रकम आई थी, वह रकम दी गई। उसके बाद यह पंचयात समिति को ट्रान्सफर कर दी गई।

प्रश्न संख्या १४४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : प्रश्न संख्या १४५।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रावराजा आज तक पतले हो गये हैं।

पंचायत समिति, देवली द्वारा सांडों की खरीद

१४५. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा-श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समिति देवली, डिस्ट्रिक्ट टोंक में सांड मंगाये गये थे? अगर हां, तो कितने और किस फार्म से और कितने कितने में? इन सांडों को कौन लेने गया था और कब और कहां कहां तकसीम किये?

(ख) क्या यह सही है कि हर पंचायत से २५०) २५०) रुपये वसूल किये थे?

(ग) उपरोक्त सांडों में से कितने कितने जीवित है और कितने मरने गये और किस बीमारी से? क्या बीमारी की इत्तला जानवरों के नजदीक के अस्पताल में की गई थी?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां, कुल ७ सांड खरीदे गए थे। इनमें से एक सांड श्री मेघसिंह पुत्र श्री सूरजसिंह, साकिन करौथा, जिला रोहतक से ४५०)रु० में, २ सांड श्री स्वरूपा पुत्र बदल-जाट, साकिन करौथा, जिला रोहतक से ६६५)रु० में तथा ४ सांड कवेटा डेयरी फार्म, दिल्ली से २,१००) रु० में खरीदे गए थे। इन सांडों की खरीद करने के लिए श्री सोभागमल, सदस्य, पंचायत समिति देवली तथा श्री रामचन्द्र बीजवाड़ सरपंच लेने गए थे। इनमें से सांड जिन पंचायतों को दिये गए थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जिन पंचायतों को सांड दिए गए उनसे २५०)रु० प्रति सांड लिए थे।

(ग) केवल एक सांड जो पंचायत मुगलाना धूआ को दिया गया था वह मर गया। इसकी बीमारी की सूचना नजदीक के जानवरों के अस्पताल दूनी को दे दी गई थी।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

सांड का शरीर अकड़ गया था व पेट आफर गया था। इलाज भी किया गया किन्तु बच नहीं सका।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

पंचायत समिति, ओसियां द्वारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला को बन्द करने का आदेश

१४६. श्री सूरजमल (फलौदी—सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है की ओसियां तहसील की राजकीय प्राथमिक पाठशाला को बन्द करने का आदेश ओसीयां की पंचायत समिति ने दिया था? यदि हां, तो कब और क्यों?

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति की बैठक की सूचना तारीख २०—२—६० को जारी की गई और तारीख २६—२—६० की बैठक में बाहरों खुर्द और बाहरों कलां की पाठशालाओं को बन्द करने का निर्णय वैधानिक रूप से लिया गया?

(क) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं उक्त समितियों के बनने के पूर्व चली आ रही थीं? यदि हां, तो अब बन्द करने का क्या कारण है?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां। तारीख २६—२—६० की बैठक बाहरों कलां ग्राम की पाठशाला को समाप्त करने का निर्णय सर्व-सम्मति द्वारा लिया गया। कारण यह था कि बाहरों कलां की पाठशाला श्मशान भूमि तथा धार्मिक धर्मशाला में चलाई जा रही थी जो मुर्दा जलाने के काम में आती है और बाहरों खुर्द वालों ने जो बाहरे वालों के साथ मिल कर पाठशाला बनाई है उसका भवन गांव—वालों के बहुत करीब पड़ता है।

(ख) बैठक की सूचना नियमानुसार एक सप्ताह पूर्व दी जाती है। तारीख २६—२—६० की बैठक में केवल बाहर....

श्री अध्यक्ष : बहरों कलां।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाहरों कलां की पाठशाला को समाप्त करने का प्रस्ताव वैधानिक रूप से पास हुआ।

(ग) जी हां। बाहरों खुर्द में जो स्कूल पहले से भवन न बनने के कारण एक ढाणी में चल रही थी और बाद में गांव वालों ने ग्राम के बीच के कुंए पर पक्का भवन बनाने पर पंचायत समिति ने स्थानान्तर कर दी।

श्री पुरुषोतमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या इस विद्यालय में श्मशान वैराग्य की शिक्षा दी जाती थी?

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब न मिले, इसलिए बन्द कर दी गई।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि यह प्राथमिक पाठशाला पंचायत समिति के अन्दर जाने से पूर्व सरकार द्वारा खोली गई?

Page No.8

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस समय यह सरकार के सामने बात नहीं थी कि श्मशान भूमि में पाठशाला खोली जा रही है और इसका क्या औचित्य है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस समय कोई दूसरा भवन नहीं था । अब भवन बन गया है तो पाठशाला वहां से बन्द कर दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : जो दूसरा भवन है, जिसमें पाठशाला खोली गई है वह उस गांव का है या किसी दूसरे गांव का है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बिल्कुल पास है ।

श्री भैरोंसिंह : पास तो है, गांव कौनसा है ?

श्री अध्यक्ष : बाहरोंकलां, बाहरों खुर्द ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाहरों कलां, बाहरों खुर्द से मिला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे गांव में शिफ्ट किया है । पास में है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि पंचायत समिति को भवन बदलने के लिये अधिकार दे रखे हैं क्या ? क्या जो अधिकार उनको दे रखे हैं उनमें उनको प्राथमिक पाठशाला बदलने का अधिकार है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे आम तौर से सभी लोग लाभ उठाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और किसी को कोई शिकायत नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति को दूसरे स्थान पर इस प्रकार से पाठशाला को स्थानान्तरित करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अधिकार तो नहीं है । इसलिये जांच–पड़ताल की गई । जब कोई शिकायत किसी को नहीं और जब यह मालूम हुआ कि सारी पंचायत समिति की एक राय थी, लेकिन रिवाज ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जिला जालोर में कृत्रिम गर्भाधान से तैयार बछड़े

१४७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मंत्री, पशुपालन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला जालोर में Key Village स्कीम के अन्तर्गत डीसेन्ट्रलाइजेशन के पूर्व कितने बछड़े आर्टीफीशियल इन्सेमीनेशन से तैयार किये गये ? उनमें से कितने मौजूद हैं व कितने मर चुके हैं ?

पशुपालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ७६ बछड़े पैदा हुए । मरने-वाले बछड़ों के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या १४८

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम मुलाणिया ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४६

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

जयपुर से आमेर जाने वाली बस नं० आर० जे० एल० ७४२८ पर लगा हुआ अशोक चक्र

१५०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राष्ट्रीय चक्र अशोक चिन्ह मकानों या मोटरों पर रोज लगाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि जयपुर से आमेर जानेवाली बस नं० आर० जे० एल० ७४२८ पर अशोक चक्र लगा हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या पुलिस ने इसका चालान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : नेशनल एम्ब्लेम एन्ड नेम्स (प्रिवेन्शन ऑफ इम्प्रोपर यूज़) एक्ट, १६५० की धारा ३ व ४ में निर्देशित कार्यों के अतिरिक्त अशोक स्तम्भ का प्रयोग वैधानिक रूप से निषिद्ध नहीं है। बस नम्बर ७४२८ आर० जे० एल० पर पूरा अशोक स्तम्भ लगा हुआ नहीं था; अतः उसका चालान करने का प्रश्न ही नहीं हुआ। उस पर केवल सिंहों की प्रतिमा ही थी और अशोक चक्र तथा आजू-बाजू दो पशुओं के चिन्ह नहीं थे; न सत्यमेव जयते ही लिखा हुआ था।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या अब भी वह आधा लिखा हुआ है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पता नहीं। लगा हुआ होगा तो भी पूरा नहीं था।

श्री लक्ष्मीचन्द : उस पर सिंह लगा हुआ था। जब प्रश्न पूछा गया उसके बाद में हटाया गया; उसकी बोडी पर चिन्ह है उससे पता लगता है। उस पर पेन्ट किया है वह नया किया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या इस प्रकार से अधूरा अशोक चिन्ह लगाना राष्ट्रीय चक्र अशोक चिन्ह का अपमान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

राजस्थान में पुराने नामों से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं के नामों में परिवर्तन

१५१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [उनियारा—श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में पुराने नामों से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

के नामों में परिवर्तन कर दिये गये हैं ?

(ख) राजस्थान में कुल कितने ऐसे स्कूल व कॉलेज हैं जिनके नाम परिवर्तन किये गये हैं और क्यों ?

(ग) क्या टोंक जिले में भी ऐसा हुआ है ? यदि हां, तो वे संस्थायें कौन २ सी हैं ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में, राजकीय सचिवालय से आदेश लिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) राजस्थान में पुराने नामों से चलने वाली संस्थाओं के नाम आमतौर पर परिवर्तन नहीं किये गये हैं । केवल समस्त स्कूलों के पत्र–व्यवहार में राजकीय शब्द का प्रयोग करने को विभाग द्वारा लिखा गया था जिससे यह पता चल सके कि अमुक संस्था राजकीय है अथवा प्राइवेट ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) टोंक जिले के निम्नलिखित ४ पाठशालाओं में पत्र–व्यवहार के लिए राजकीय शब्द का प्रयोग किया जाता है:—

(१) सरदार हाई स्कूल, उनियारा । (२) सरदार मिडिल स्कूल, बनेठा । (३) सरदार मिडिल स्कूल, नगर । (४) अमर मिडिल स्कूल, डिग्गी ।

(घ) क्योंकि नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और केवल राजकीय पत्र–व्यवहार में प्रयोग करने को लिखा गया था जिसमें सचिवालय से किसी आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम ।

पडिहारा ग्राम में मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन करने की मांग

१५२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) इस वर्ष बीकानेर डिविजन में कहां कहां पर किस किस आधार से मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी में तथा लोअर मिडिल को मिडिल स्कूल में परिवर्तित किया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि चूरू जिले के पडिहारा ग्राम व चूरू प्रोपर, जो जिले के हैडक्वार्टर है, में एक भी हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि पडिहारा ग्राम के मिडल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने हेतु ग्रामीणों व जिला परिषद् द्वारा सरकार से मांग की गई थी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) सूची संलग्न है ।

(ख) जी नहीं, चूरू खास' में परिवर्तित कर दिया गया है । पडिहारा ग्राम में नहीं है ।

(ग) जी हां । परन्तु निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण इसे उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं किया जा सका ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No.11

श्री किशनाराम : वे कौनसी निर्धारित शर्तें हैं जिनकी पूर्ति नहीं की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक तो १५ से २० मील रेडियस में कोई दूसरी स्कूल नहीं हो, दूसरा, वहां पर भवन पूरा हो, तीसरा, छात्रों की संख्या पूरी हो। खास तौर से तीन ही शर्तें हैं।

श्री किशनाराम : इसमें से कौनसी शर्त की कमी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां ६ टी कक्षा से ८ वीं कक्षा तक ८१ छात्र हैं, इसके अलावा वहां से ६ मील की दूरी पर एक हाई स्कूल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बेनाराम।

खारची थाना के थानेदार के विरुद्ध मवेशियों के केस रजिस्टर्ड नहीं किये जाने की शिकायतें

१५३. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) खारची थाना (मारवाड़ जंक्शन) में पिछले दो साल में मवेशियों की चोरी के कितने केस रजिस्टर्ड हुए व किन किन के तथा उनमें क्या क्या सफलता मिली ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या सरकार के पास मौजूदा थानेदार, श्री भूरसिंह द्वारा मवेशियों के केस रजिस्टरड नहीं करने व ऐसे मामलात में माकूल कार्यवाही नहीं करने की कोई शिकायतें पेश हुई है ? यदि हां, तो कब कब और किन किन के द्वारा ?

ग) क्या उपरोक्त शिकायतों की जांच की गई ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा तथा जांच का क्या परिणाम निकला ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, कराड़ी ग्राम निवासियों ने दिनांक ३०-१२-५६ को एक ऐसी दर्ख्वास्त अधीक्षक, आरक्षी, पाली को दी और दूसरी स्पेशल महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को दी।

सर्व श्री खींवा और नवला, निवासी कराड़ी ने भी अधीक्षक, आरक्षी विभाग को ११-१-६० व २-१-६० को क्रमशः ऐसी दर्ख्वास्तें दी थीं।

(ग) उक्त मामले की जांच सर्कल इन्सपेक्टर, सोजत ने की थी और शिकायत बेबुनियाद पाई गई। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जन-साधारण के हित में नहीं होगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि नये गांव के मीणों ने पुलिस अधिकारियों को कहा था कि अगर आप मेरी इमदाद करो तो मैं चोरियां बरामद कराने को तैयार हूं ?

Page No.12

श्री रामकिशोर व्यास : आप दुबारा फरमाइये ?

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि नये गांव के मीणे गंगाराम ने पुलिस के अधिकारियों को कहा कि अगर आप मदद करें तो मैं चोरियों को बरामद कराने को तैयार हूँ ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है, कहा होगा। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री बेनाराम गहलोत : अगर पुलिस उसको इमदाद दे तो चोरियें बरामद हो सकती हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं मदद दी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन करूंगा कि अगर वह ऐसा करने को तैयार है तो पुलिस मदद देने को तैयार है।

श्री बेनाराम गहलोत : मैं यह निवेदन करूंगा कि जब उसने यह कहा तो उसको बुला कर उल्टा धमकाया और यह कहा कि 'गांव वालों से समझौता करले और चीं-चपट मत कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील पंचायत, देवली तथा उनियारा

१५४. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील पंचायत देवली तथा उनियारा एक अर्से से बन्द है ? अगर नहीं, तो १ अक्टूबर, १६५६ से अब तक दोनों पंचायतों ने अपने अपने यहां कितनी कब कब मीटिंगें की और कितने मुकदमें फैसल किये ? कृपया सूची दिलाने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तहसील पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच ने इस्तीफा दे दिया है ? अगर हां, तो कब और क्यों ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अगले टर्न पर दिया जायगा क्योंकि जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या १५५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १५६

श्री मोगजीभाई।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १५७

श्री लादूराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

सप्लाई विभाग, जोधपुर डिविजन के ड्राइवरों को ट्रक अलाउन्स

१५८. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या मन्त्री, नागरिक रसद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि तारीख १-४-१६५० से 'सप्लाईज़ विभाग के ड्राईवरों को ट्रक

(श्री लक्ष्मीचन्द)

अलाउन्स देने का सक्युलर २२ दिसम्बर, १६५४ को जारी किया गया था ? यदि हां, तो इस सक्युलर के अन्तर्गत जोधपुर डिविजन के ड्राईवरों को यह एलाउन्स दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

मन्त्री, नागरिक रसद विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : राजस्थान के समस्त विभागों के ड्राइवरों की युनिफाइड पे स्केल ५०-३-८० के साथ ट्रक ड्राइवरों को १५) रुपये मासिक स्पेशल पे दिये जाने के आदेश सरकार द्वारा २२. १२. ५४ को जारी किये गये थे । यह आदेश सिविल सप्लाईज़ विभाग को भी लागू थे ।

क्योंकि सिविल सप्लाईज़ विभाग में कोई ड्राइवर निश्चित रूप से ट्रक ड्राइवर नियुक्त नहीं हुआ था, न ही ट्रक ड्राइवरों के और अन्य ड्राइवरों के पद पृथक-पृथक निर्धारित ही किए गये थे; अतः स्पेशल पे १५) रुपये मासिक सिविल सप्लाईज़ विभाग के किसी भी ड्राइवर को नहीं दी गई । जोधपुर के सिविल सप्लाईज़ विभाग के ड्राइवरों को भी इसी कारण यह स्पेशल पे नहीं दी गई ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री अभिमन्यु, एस. आई., थाना मानक-चौक के विरुद्ध शिकायत

१५६. भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कुछ दिनों पूर्व मुसम्मात भंवरी, जमना, मोहनी (मोहल्ला नक्कारखाना, जयपुर) तथा अन्य कुछ व्यक्तियों को पुलिस थाना मानक चौक द्वारा किसी मामले में गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो क्यों, किन किन को और कब कब ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री अभिमन्यु, एस. आई., थाना मानक चौक कुछ अन्य कर्मचारियों को लेकर शराब पीकर इस घटना से पहले मुसम्मात भंवरी के मकान पर रात को गए तथा मुसम्मात जमना को नाजायज काम हेतु उनके साथ चलने को कहा और इन्कार करने पर धमकियां दीं ?

(ग) क्या यह सही है कि मोहल्ले के लोगों के आ जाने के कारण श्री अभिमन्यु वगैरह वहां से चले गये ?

(घ) क्या यह सही है कि इसकी रन्जिश से पुलिस ने एक झूठा मुकदमा बना कर इनको गिरफ्तार कर लिया तथा इनको मार पिटाई की ?

(ङ) क्या यह सही है कि मुसम्मात भंवरी को जब वह रिपोर्ट करने जा रही थी, श्री अभिमन्यु, एस. आई., द्वारा गिरफ्तार किया गया ?

(च) क्या यह सही है कि अब तक भी श्री अभिमन्यु वगैरह इनको हर प्रकार से परेशान करके इनको नाजायज़ काम कराने हेतु दबाना चाहते हैं ?

(छ) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत इन महिलाओं ने माननीय गृह मन्त्री को भी की हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

Page No.14

(श्री भैरोंसिंह)

(ज) क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराये बिना इस मुकदमे का चालान न किये जाने का आदेश प्रदान करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां । श्रीमती भौंरी को ६ और ७. २. ६० के बीच की रात में १ बजे और श्रीमती जमुना, मोहनी व सर्व श्री दुर्गा व लाला को उसी रात १. ४५ बजे धारा ३७६ ता० हि० के अपराध में गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जब वह अभियोगी को बुरी तरह गालियां देती हुई थाने में आई तब उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके विरुद्ध धारा ३७६ ता० हि० का मामला प्राइमाफेसी साबित था ।

(च) जी नहीं ।

(छ) जी हां, इस सम्बन्ध में जांच कराई गई जिससे आरोप झूठे पाये गये ।

(ज) जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसका चालान कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास : केस चल रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने (ज) के उत्तर में बताया, 'जी हां' । इसमें यह पूछा गया था कि, 'क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराये बिना इस मुकदमे का चालान न किये जाने का आदेश प्रदान करेगी ?' आपने कहा, 'जी हां'; क्या इससे ऐसा समझा जाए कि इस प्रकार के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसे आदेश दिये गये हैं कि इम्पार्शियल इन्क्वायरी होनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : ये आदेश कौनसी तारीख को दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख तो नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि महिलाओं ने रिपोर्ट की थी आपके पास और आपने यह आदेश दिये कि इसकी निष्पक्ष जांच की जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : की थी । यह बाद की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह निष्पक्ष जांच हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : आदेश की तामील होगी ।

श्री भैरोंसिंह : कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और अध्यक्ष महोदय, जबाब नहीं आ रहा है मन्त्री महोदय से ।

Page No.15

श्री रामकिशोर व्यास : निष्पक्ष जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : कौन जांच कर रहा है?

श्री रामकिशोर व्यास : एस. पी. की जेर निगरानी हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया था उसने जांच की रिपोर्ट पेश कर दी है?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे लेवल तक नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : आपके लेवल का सवाल नहीं है। मेरा लेवल तो इस विधान सभा तक ही सीमित है। जिस अधिकारी को निष्पक्ष जांच के लिए नियुक्त किया, क्या यह सही है कि उस अधिकारी ने रिपोर्ट पेश कर दी है?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे इसका पता नहीं है। यदि गवर्नमेंट के पास भेज दी है तो जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस जांच की रिपोर्ट से ही उन तीनों औरतों का कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया है?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पहले सवाल से ही अराइज़ होता है कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : निष्पक्ष जांच के लिए रोका गया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, छः महीने का समय हो गया है इस मामले में। जांच की रिपोर्ट भी हो गई, मन्त्री महोदय के पास पहुंच गई होगी। लेकिन मन्त्री महोदय कहते हैं कि मेरे लेवल तक नहीं आई, एस. पी. के लेवल तक को पूछा नहीं है। जांच की रिपोर्ट के कॉन्टेन्ट्स क्या थे?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका ख्याल होगा कि आपके फरमाने पर ही मैंने यह बात कही थी कि निष्पक्ष जांच कराई जायगी। औरतों की दरख्वास्त थी कि उनका चालान हो रहा है। उसी पर मैंने यह कहा था।

श्री भैरोंसिंह : मैं बड़ा आभारी हूं कि मेरे कहने से ही आपने निष्पक्ष जांच के लिए आदेश दिये। लेकिन जांच की तामील कहां तक हुई?

श्री अध्यक्ष : तामील हो गई। चालान पेश नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मैं दो में से एक चीज़ चाहता हूं। मामले का नतीजा कुछ भी हो। दो में से एक चीज़ यह हुई कि चालान पेश नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जो व्यवहार उन औरतों के साथ किया था उस जांच के बारे में क्या हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान नहीं होना पाया गया क्योंकि चालान के लायक मामला नहीं था।

श्री अध्यक्ष : दूसरे में रिपोर्ट आने के बाद होगा।

श्री भैरोंसिंह : हमें अफसोस होता है, अध्यक्ष महोदय कि रिपोर्ट की, कॉपी हमको मिल गई है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनको जांच की रिपोर्ट ही नहीं मिली है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप फरमाते थे वैसे हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस मामले को इस ढंग से नहीं लेता कि आप क्या उत्तर दें । तीनों औरतों के साथ ज्यादती हुई, वे किसी प्रकार की औरतें हों, इस बात से इसका सम्बन्ध नहीं है ; लेकिन पुलिस गलत मुकदमा बना कर उनकी थाने में पिटाई करे, चार महीने तक जांच न हो और जांच हो जाय और पुलिस के अधिकारी लिख कर रिपोर्ट कर दें और उस पर भी आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आखिर लोग कहां जायं, किसको जाकर सुनावेंगे ? मेरे पास ही नहीं; आपकी कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं एक औरत ने उनके पैर पकड़े और वह रोई कि पुलिस की उनके साथ यह ज्यादती हुई है । पुलिस द्वारा, मंत्री महोदय के विभाग, पुलिस विभाग द्वारा उन औरतों की पिटाई होती है, शिकायत करते हैं तो जांच नहीं होती और जांच होती है तो उसको दबाया जाता है और इनाम दिया जाता है, आखिर लोग कहां जायं, किसको शिकायत करें ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका क्वेश्चन यह था कि निष्पक्ष जांच कराई जाय । बिना निष्पक्ष जांच के चालान कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : फाइनल ऑर्डर्स हुए या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास नहीं आई है ।

श्री भैरोंसिंह : उस मामले में फाइनल रिपोर्ट होकर वह मामला मन्त्री महोदय के यहां भेज दिया गया और कोर्ट में भेजा गया तो कोर्ट ने कुछ खामी होने से उसको वापिस भेज दिया । कॉपी हमारे पास है, आप चाहें तो लाइनें पढ़ दूं । पुलिस अपनी विशेष उन तीनों औरतों से फुलफिल करवाना चाहती थी लेकिन उन तीनों ने ऐसा नहीं किया तो उन पर झूठा मुकदमा बनाया गया और उनको थाने में बुला कर उनकी वहां पर पिटाई की गई, इस प्रकार से औरतों की, साधारण जनता की पुलिस द्वारा पिटाई हो, पुलिस पिटाई करे और इसको माननीय मुख्य मन्त्रीजी और गृह मन्त्रीजी शोभा की बात भले ही समझें लेकिन साधारण जनता तो इसको नफरत की दृष्टि से ही देखती है । इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को माननीय गृह मन्त्रीजी तक ही न छोड़ें, गृह मन्त्रीजी को कौन गलत सूचना देते हैं और किस प्रकार से उनका सदन में जवाब दिया जाता है, औरतों की इज्जत लुटती रहे

(विरोधी पक्ष द्वारा 'शेम शेम' की आवाज)

और माननीय मुख्य मन्त्रीजी और गृह मन्त्रीजी इसको चाहे शोभा की बात मानते हों लेकिन यह एक शर्म का बर्ताव है। इसलिए वे निष्पक्ष जांच करवा कर जिस प्रकार से जिन लोगों ने दोष किया है उनके खिलाफ एक्शन लें । गृह मन्त्रीजी को स्वयं को जांच की रिपोर्ट गई है और उस व्यक्ति का

(श्री भैरोंसिंह)

रामगंज थाना से पुलिस लाइन्स में ट्रान्सफर किया गया । इन्क्वायरी हुई, दोष साबित हुआ और फिर भी उसका ट्रान्सफर एस.एच. ओ. या और कोई ट्रान्सफर कर दिया गया। ऐसे लोगों की विधान सभा में शिकायतें हों, चिल्ल पुकार हो और जांच होने के बाद भी यह इनाम मिलता है यह मन्त्रीजी की ओर से ।

श्री रामकिशोर व्यास : जो तकरीर फरमाई वह इस सवाल से पृथक है । इसको दो टुकड़े हैं । पुलिस जुल्म कर रही है । एक टुकड़ा कहता है कि एक मुकदमा झूठा बनाया । जो झूठा बनाया तो उसका चालान नहीं हुआ । झूठा है और चालान नहीं किया तो पुलिस की क्या है उसमें ?

श्री भैरोंसिंह : झूठा बनाया तो क्यों बनाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह अलग है । आपका यह फरमाना था कि चालान नहीं किया तो वह ठीक है । औरतों ने शिकायत की इन्क्वायरी की और वह शिकायत साबित नहीं हुई । दोनों चीजों का अलग अलग निवेदन किया । आपका फरमाना था कि चालान न हो, चालान नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : औरतों ने यह शिकायत की थी कि मामला झूठा है । उसका चालान नहीं किया क्योंकि मामला झूठा है । दूसरी, पुलिस की ज्यादती और मार-पीट दोनों में से किसको झूठा मानते हैं, एक तरफ पुलिस की शिकायत है और दूसरी तरफ औरतों की शिकायत है कि पुलिस ने उनके साथ मार-पीट की और झूठा मुकदमा बनाया ।

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत तो उनकी यह है कि पुलिस परेशान करती है । मुकदमा दूसरा है । दोनों ही बातें सही हो सकती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल गलत है । शिकायत यह थी कि फलां तारीख को पुलिस ने उनके साथ मार-पीट की । इसकी जांच कराई तो कहा गया वह गलत साबित हुई । पुलिस ने औरतों को गिरफ्तार किया तो बता दिया कि गल्ती थी । आखिर कौनसा सही है । दर्ख्वास्त की कॉपी मेरे पास है, उन्होंने शिकायतें की थीं कि फलां तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ मार-पीट की गई थी ।

प्रश्न संख्या १६०

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री लच्छूराम ।

टमकोर, जिला झुंझुनू के मिडल स्कूल का हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन

१६१. **श्री लच्छूराम** (मन्डावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि टमकोर, जिला झुंझुनू के ग्रामवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों व उप

(श्री लच्छूराम)

शिक्षा मन्त्री को वहां के मिडल स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिणत करने सम्बन्धी दिया था ?

(ख) क्या यह सही है कि उन्होंने सरकार के तत्सम्बन्धी सभी नियमों को स्वीकार किया था और १५,०००) रु० की धन–राशि भी जमा कराने को तैयार थे ?

(ग) क्या यह भी सही है कि स्कूल में छात्र संख्या व अन्य सभी शर्तें जो एक हायर सेकन्डरी स्कूल के लिए चाहिये थी पूरी हो रही थी ?

(घ) यदि हां,तो फिर इस मिडल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिणत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या सरकार इसको अगले वर्ष हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने का विचार रखती है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) नवीं कक्षा के लिए प्रवेश न पाने वाले छात्रों की संख्या केवल १० थी जब कि न्यूनतम संख्या २५ होनी चाहिये थी । भवन का भी अभाव था ।

(घ) क्योंकि उस समय निर्धारित शर्तों की पूर्ति स्कूल नहीं करता था, अतः उसको उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं किया जा सका ।

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर तो अगले वर्ष दूसरी ऐसी स्कूलों के साथ साथ इस पर भी विचार किया जा सकेगा ।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, झुंझुनू ने टमकोर मिडल स्कूल के लिए यह सिफारिश की थी कि आठवीं कक्षा के छात्रों की संख्या ३४ है इसलिए यहां हायर सेकेन्डरी कर दिया जाय; जिला परिषद् झुंझुनू ने भी दूसरे नम्बर पर इसको रिकमन्ड किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी नम्बर पर रिकमन्ड किया हो । जो वस्तु स्थिति मैंने सामने रखी उस हालत में उसको नहीं ऑपरेट किया जा सकता ।

श्री लच्छूराम : माननीय अध्यक्ष, मैं यह सूचना दे रहा हूं कि आठवीं में छात्रों की संख्या ३४ है और मिडल स्कूल में ७४ है । ७४ की संख्या होने पर नियम है कि वहां पर यह शाला खोल दी जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आठवीं का प्रश्न कहां है ? नवीं कक्षा के छात्रों की संख्या की मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि केवल १० है जब कि २५ न्यूनतम होनी चाहिये ।

श्री लच्छूराम : आठवीं से तो नवीं में ही जाते हैं । हायर सेकन्डरी खोलने के बाद ही तो ऐसा हो सकता है कि दस लड़के हों ।

सवाई माधोपुर से जयपुर के मार्ग में बनास नदी में यात्रियों को नाव द्वारा पार उतारने में असुविधा

१६२. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल

(डॉ० चन्द्रकला)

बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सवाई माधोपुर से जयपुर के मार्ग में बनास नदी में कुल कितनी नावें हैं? क्या यह सच है कि इस समय एक ही नाव है जो यात्रियों और मोटर, बैल गाड़ियों सभी को पार उतारती है?

(ख) यात्रियों को पार उतारने वाली नाव कितने दिन से टूटी पड़ी है? क्या यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी यात्री नाव को ठीक करा कर चालू करेगी?

(ग) क्या इस घाट पर यात्रियों के लिए कोई आश्रय-स्थल है? यात्रियों तथा उनके सामान को वर्षा आदि से बचाने की क्या व्यवस्था है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) आठ महीने पहले तीन नावें काम में लाई जाती थीं। बाद में एक नाव टूट जाने की वजह से बन्द कर दी गई। इस समय केवल दो नावें–एक बड़ी और एक छोटी काम कर रही हैं।

(ख) आठ महीने से। कार्यवाही चालू है।

(ग) जी हां। एक पक्का मकान और एक रेस्ट हाउस यात्रियों के ठहरने के लिए है। मोटर, बसें दोनों और खड़ी रहती हैं। वर्षा के समय यात्री लोग सामान सहित इनमें बैठे रहते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या बसों में बैठते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : मकान बना हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस करती है कि जो आश्रय-स्थल हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए और आश्रय-स्थल बनाने का इरादा है?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी इरादा नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जो नाव खराब पड़ी हुई है उसके लिए क्या कार्यवाही चालू है, उसमें इतने दिन कैसे लग गये?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका तखमीना वगैरह बनवाया।

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी

१६३. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) What reduction in the number of administrative staff in the Education Department has been brought about since the transfer of primary school administration to Panchayat Samitis and what is the net saving on this account?

(2) What was the total number of Inspectors and Deputy Inspectors of Schools in the State on 30. 9. 59, and on 30. 6. 60; as also the strength of ministerial and class IV staff in their offices on the respective days?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (1) Some reduction in the administrative staff has been brought about with the transfer of 237 posts of Sub-Deputy Inspectors, 232 posts of ministerial staff and 232 class IV servants. However, there has been no saving in fact as the expenditure on account of these posts is charged to the budget of Directorate of Primary and Secondary Education.

(2)

	Number on 30. 9. 59.	Number on 30. 6. 60.
Inspectors	23	25*
Deputy Inspectors	35	35
Deputy Inspectors of Girls	8	8
Ministerial	498	266
Class IV servants	431	199

*Due to upgrading of Dy. Inspectorate at Banswara and Dungarpur.

श्री पी० के० चौधरी : Is this reduction proportionate to the number of Schools which have been transferred? We have transferred nearly 10,000 Schools out of 15,000 schools, but the reduction is much less than proportionate.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे जो वर्क इन्सपेक्टोरेट और डिप्टी इन्सपेक्टोरेट में प्रोपोर्शनेटली इन्सटीट्यूशन्स के ट्रान्सफर हो जाने से कम नहीं हो जाता है। इनकी ड्युटीज़ दूसरी होती हैं, अपॉइन्टमेन्ट्स, प्रोमोशन वगैरह के बारे में, इन्सपेक्शन आदि के लिये इन्सपेक्टर को जाना होता है, उसका रेकॉर्ड रखना होता है, इन्सपेक्शन करना होता है। तो इससे आप एवरेज लगाइये तो इन्सपेक्टोरेट और डिप्टी इन्सपेक्टोरेट में मिलकरके ६० पर्सेन्ट के करीब होता है। इससे मिनिस्टीरियल स्टाफ २५६ के करीब रहता है और इस तरह से ऑन एन एवरेज ४ और ५ क्लर्क्स आते हैं। इसलिये बहुत ज्यादा स्टाफ रखा गया हो, ऐसा नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : दस हजार स्कूल टीचर्स, क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स; ये सारे पंचायत समिति को ट्रान्सफर हो गये। वैसी हालत में पंचायत समितियों को एक्स्ट्रा स्टाफ देने की भी जरूरत नहीं है। हमने उनको एक्स्ट्रा? क्लर्क्स भी दिये हैं, this could have been reduced altogether.

अब इन्सपेक्टोरेट में केवल हाई स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स ही तो रह गये हैं। Their number is much less.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर भी हम एक लिमिट से प्रोपोर्शनेटली कम नहीं कर सकते। क्लास फोर्थ को ही लीजिये ४३१ थे वहां १६६ रहे। एक इन्सपेक्टोरेट और डिप्टी इन्सपेक्टोरेट में ६० का प्रोपोर्शन आता है। इस तरह से तीन, चार के बीच एवरेज आ जायगा। फर्दर रिडक्शन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली पोसीबल नहीं है।

महाराजा कॉलेज जयपुर में वसूल की गई फीस

१६४. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) सन् १६५७-५८, ५८-५६ व ५६-६० में महाराजा कॉलेज, जयपुर में कितनी कितनी ट्यूशन फी, गेम्स फी, लाइब्रेरी फी, लेट फी तथा समय समय पर होने वाले जुर्मानों की कितनी कितनी रकम वसूल होनी चाहिये थी और वास्तव में कितनी कितनी वसूल हुई ? यदि बकाया रही है तो किस किस वर्ष में कितनी कितनी तथा क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि कॉलेज का एक श्री शंकरलाल क्लर्क पुरानी रिसीट बुक्स में बिना नम्बर तथा बिना वर्ष लिखी हुई रसीदें छात्रों को देता है ?

(ग) क्या यह सही है कि रसीद बुक के अनुसार वसूल की गई पूरी रकम जमा नहीं कराई गई ? यदि हां, तो सन् १६५८–५६ व ५६–६० में रसीदों के हिसाब से कितनी रकम जमा होनी चाहिये थी तथा वास्तव में कितनी जमा हुई ?

(घ) क्या यह सही है कि रसीद बुक्स का स्टॉक पूरा नहीं है ? यदि नहीं, तो यह बताया जावे कि क्या कभी इन बुक्स का फिज़ीकल वेरीफिकेशन हुआ है ? यदि हां तो कब कब और उसका क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) सन् १६५७–५८, ५८–५६ व ५६–६० में महाराजा कॉलेज, जयपुर में कितनी कितनी ट्यूशन फी, गेम्स फी, लाइब्रेरी फी, लेट फी तथा समय समय पर होने वाले जुर्मानों की जितनी जितनी रकम वसूल होनी चाहिये थी और वास्तव में जितनी जितनी वसूल हुई तथा जिस जिस वर्ष में जो बकाया रही उसकी तालिका संलग्न है। बकाया रहने का कारण विशेषकर यह है कि जिन लड़कों में रकम बकाया है वे कॉलेज छोड़ चुके हैं।

(ख) श्री शंकरलाल ने अपने हाथ से रसीदों पर नम्बर लगा कर कुछ रसीदें जारी की थीं।

(ग) जी हां। सन् १६५८–५६ व ५६–६० में जितनी रकम जमा होनी चाहिये थी व जितनी रकम जमा हुई वह निम्न प्रकार है :—

सन्	वसूल होने योग्य राशि	राशि जो वसूल हुई
१६५८-५६.	१,४६,५३२.५६	१,४५,६२६.०८
१६५६-६०.	१,६१,०५२.२०	१,८६,२२६.२०

(घ) रीसीट बुक्स का पहले कभी फिज़ीकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। सन् १६५८–५६ व ५६–६० में जो रसीदों की खाली किताबें जारी हुई थीं उसमें से ३ किताबें इस्तेमाल शुदा श्री शंकरलाल द्वारा कम लौटाई गई।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : कम लौटाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कुछ ऐसा मालूम होता है कि कुछ मिस यूज़

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हुआ है। इसके बारे में इन्क्वायरी की जा रही है। शंकरलाल को १२-२-६० को चार्जशीट दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या शंकरलाल वहीं काम कर रहा है जिसके लिये उसको चार्जशीट दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी के अनुसार उसको २-३-६० को सस्पेन्ड कर दिया गया है।

जयपुर शहर की सहकारी समितियां

१६५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर शहर में इस समय (१ अगस्त, १६६०) को कुल कितनी और कौन कौन सी रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) इनमें से कितनी समितियां बोगस हैं ? ये कैसे रजिस्टर्ड हो गई, कृपया सूची दें।

(ग) शहर में कुल कितनी समितियों ने सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य किया ? सरकार इन खोटी समितियों तथा उसके निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(घ) कितनी समितियां निष्क्रिय और असहाय स्थिति में हैं ? उनके पुनर्गठन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा):

(क) जयपुर शहर में इस समय (१ अगस्त, १६६० को) कुल २७३ सहकारी समितियां हैं। जिनके नामों की सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) कोई बोगस समिति नहीं है।

(ग) किसी भी समिति ने सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य नहीं किया है। अतः अन्य बातों के उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ७१ समितियां ऐसी हैं जो निष्क्रिय और असहाय अवस्था में हैं। उनमें से ५६ समितियां ऐसी हैं जिनका पुनर्गठन नहीं हो सकता; अतः उनको अवसायन में लाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष १५ समितियां ऐसी हैं जिनके पुनर्गठन के प्रयास किये जा रहे हैं। उनके सदस्यों को सहकारिता के लाभ समझाये जाकर समितियां पुनः चालू कराने तथा आवश्यक सहायता दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० चन्द्रकला : ये जो ७१ सहकारी समितियां अवसायन में हैं, उसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुल ७१ हैं; १५ को वापिस ठीक किया जा रहा है; ५६ को लिक्वीडेशन में लेने की कार्यवाही की जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : ५६ को लिक्वीडेशन में लेने का कारण क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिक्वीडेशन में आना इसलिये जरूरी है कि बहुत सी समितियां सप्लाई के समय में बनी थी। जिस ओब्जेक्ट को लेकर बनी थी वह उनका समाप्त हो गया इसलिये लिक्वीडेशन में ला रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास जमीन नहीं है और वह सोसाइटी बन जाती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी बन जाती है, क्या इस प्रकार की सोसाइटी बोगस सोसाइटी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने इस बारे में डेफिनेट सवाल पूछा था और मैंने उसका जवाब भी दिया था। जिस हाउसिंग सोसाइटी का आप जिक्र कर रही हैं उसको अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा यह सूचना मिली है और हमें भी यह सूचना मिली है, उसको जमीन दे देंगे, उसको जमीन मिलने की कार्यवाही चालू है। हमारे पास जिस डिपार्टमेन्ट से जमीन मिलती है उसमें यह लिखा हुआ है कि हम इनको जमीन देंगे, वैसी हालत में इसको बोगस नहीं कहा जा सकता।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या यह सही है कि एक मोहल्ले में एक हाउसिंग सहकारी समिति बनी हुई है और उसी मोहल्ले में दूसरी समिति बनायी जा सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न अलग है।

डॉ० चन्द्रकला : हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर करने से पहले क्या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से आश्वस्त हो चुकता है कि इसको जमीन दे दी जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : हउसिंग सोसाइटी की दरख्वास्त आप तब तक रजिस्टर नहीं करते जब तक कि उसको जमीन मिलने का अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से लिखा हुआ नहीं होता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

किशनगढ़ में मैटल वर्क्स की संख्या एवं उनको दिये गये ऋण

१६६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) उप-जिला किशनगढ़, जिला अजमेर में कितने मैटल वर्क्स हैं एवं उनके क्या क्या नाम हैं ?

(ख) क्या सरकार ने उनको लोन भी दिया है ? अगर हां, तो किस किस को और कितना कितना ?

(ग) क्या यह सही है कि महेश मेटल वर्क्स एवं शैम्स एन्ड हैरिस एक ही मालिक की दो फेक्टरीज़ हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है कि महेश मेटल वर्क्स एवं शैम्स एन्ड हैरिस को तांबा, जस्ता व कोयला का कोटा मिलता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस फेक्टरी द्वारा कोटे का माल ब्लैक में बेचा जाता है एवं उसकी शिकायत उद्योग विभाग को हुई है ?

Page No.24

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(च) अगर हुई है तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) किशनगढ़, जिला अजमेर में निम्न तीन मेटल वर्क्स हैं :—

१. श्री महेश मेटल वर्क्स, किशनगढ़।

२. मेसर्स शेम्स एन्ड हेरिस।

३. स्टैंडर्ड मेटल वर्क्स।

(ख) सरकार ने महेश मेटल वर्क्स को १०,००० रु० व शैंक्स एन्ड हेरिस को ५,००० रु० ऋण दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) हां। महेश मेटल वर्क्स को तांबा जस्ता और कोयले का कोटा मिलता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहा है मैंने (ग) में कि महेश मैटल वर्क्स और शैंक्स एन्ड हैरिस एक ही मालिक की दो फैक्ट्रियां नहीं हैं ? आपने कहा कि 'जी नहीं' एक मालिक नहीं है, तो ये कौन कौन अलग अलग मालिक हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पार्टनरशिप फर्म्स हैं और दोनों सेपरेट एन्टाइटीज़ हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मालिक तो दोनों के एक ही हैं न ? एक आदमी एक फर्म अपने नाम से रखे, दूसरी अपने तीन बेटों के नाम से कर दे और तीनों के नाम से लोन ले, तो वही प्रश्न मेरा है। एक ही आदमी इनमें है सेपरेट नाम से, उसके अपने या अपने लड़कों के सेपरेट नाम से।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गवर्नमेन्ट रूल्स के अनुसार जो अलग पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको सेपरेट एन्टाइटीज़ मानते हैं और उनको लोन दिया जा सकता है। इस में कोई रुकावट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने उत्तर दिया कि ब्लेक में माल नहीं बेचा गया। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि अभी अभी उनका एक ट्रक पकड़ा गया दिल्ली माल ले जाते हुए। एस. डी. एम और पुलिस के डी. वाई. एस. पी दोनों वहां मौजूद थे। उन्होंने उनको पकड़ा, और वे अभी शायद जमानत वगैरह पर छूटे थे !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उस शिकायत के अनुसार तो यह था कि उनको जो कुछ भी मैटीरियल बर्तन वगैरह बनाने के लिये दिया जाता है उनकी जो स्क्रैप बचती है वह वे बेच रहे थे और वह एन्टाइटल्ड था वह बेचने के लिये। जो माल बनाने के लिये मैटीरियल मिला उसका मिसयूज़ नहीं किया। स्क्रैप जो बेचा जाता है उस बारे में उसको अधिकार है बेचने का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि वह स्क्रैप और बचा हुआ माल था ?

Page No.25

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जांच करने पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच किसने की?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विभाग ने की, विभाग के अधिकारी ने की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जांच कब की, ट्रक चला गया तब?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, वह तो जो भी ट्रक गया उसमें स्क्रैप था, जिसका उसको अधिकार था बेचने का। माल जो उसको दिया गया उसमें तो मिस-यूज़ नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मेरा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया कि ट्रक में माल पकड़ा गया और विभाग के अधिकारियों ने इन्क्वायरी की और स्क्रैप पाया इसलिये उसको रोका नहीं जा सकता वह बेच सकता है। सवाल यह खड़ा होता है कि इन्क्वायरी कब की, क्या ट्रक देखा? और जब ट्रक नहीं देखा और जिन्होंने ट्रक पकड़ा वे वहां थे। एस. डी. ओ., डीवाई. एस. पी. और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं ने मिल-कर उस ट्रक को पकड़ा और उसमें स्क्रैप नहीं, अच्छा माल था। उसे छोड़ दिया गया। वह ट्रक दिल्ली चला गया। अब आप कहते हैं आपके अधिकारियों ने जांच की। क्या जांच की? माल कहां देखा?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह कहना आपका गलत है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपने क्या कहा? किस आधार पर आपने यह कहा कि क्वेश्चन गलत है? या स्क्रैप ही था और माल नहीं था?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन्क्वायरी हुई उसके आधार पर कहत ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह आप मानते नहीं कि ट्रक पुलिस के डी. वाई. एस. पी. और एस. डी. ओ. ने नहीं पकड़ा था?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि वह ट्रक स्क्रैप का था और स्क्रैप का बेचने का वह अधिकारी था। इसमें जुर्म नहीं बन सकता था।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच किस अधि-कारी के द्वारा की गई?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विभाग के अधिकारियों के द्वारा।

श्री भैरोंसिंह : जांच करने वालों ने क्या माल को देख कर यह रिपोर्ट दी है आपको कि माल इस प्रकार का नहीं था? क्या उन्होंने ट्रक को देखा था?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं सूचना दे रहा हूं कि वह स्क्रैप था। मैटल वर्क्स के अन्दर जो बच जाता है वह था और इसको बेचने का वह एन्टाइटल्ड था। उसे वह कहीं पर भी बेच सकता है या ले जा सकता है। इसलिये जुर्म नहीं बनता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ट्रक को एस० डी० एम० और डीवाई० एस०–

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

पी० ने देखा था तो उसमें कन्ट्रोल का माल भरा हुआ पाया था और पुलिस ने जो फर्द उस समय बनाई थी उसमें यह साफ लिखा गया था कि माल पुराना या स्क्रैप नहीं है, कन्ट्रोल का माल भरा हुआ है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह गलत बात है। ऐसा नहीं था। स्क्रैप था और इसके लिये वह अधिकारी था। उस पर कोई जुर्म नहीं बनता और इसीलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने उस फर्द को देखा है या आपके उस अधिकारी ने जो जांच करने गया उस फर्द को देखा है जो पुलिस में एस० डी० ओ० और पुलिस अधिकारी ने मिल कर बनाई थी और क्या उस सरकारी अधिकारी ने उस फर्द को देख कर जांच की है?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

गवर्नमेंट हाईस्कूल उनियारा में कॉमर्स विषय पढ़ाये जाने की व्यवस्था

१६७. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल, उनियारा में कॉमर्स विषय पढ़ाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है? अगर हां, तो क्या सरकार यह विषय वहां चालू करने की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने का विचार रखती है?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) यह सही नहीं है। गत वर्ष कक्षा ६ में केवल ४४ विद्यार्थी थे और ४ एच्छिक विषय चल रहे थे। जिनमें कॉमर्स नहीं था। नियमानुसार पचास या पचास से अधिक विद्यार्थी होने पर ही ऐच्छिक विषय खोला जा सकता है। साथ ही साथ उस विषय को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम दस हो। अभी कॉमर्स विषय खोलना सम्भव नहीं है।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा को फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन से मिला हुआ ऋण

१६८. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा को कब और कितना तथा किस किस कार्य के लिये फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन से लोन मिला है?

(ख) क्या यह सही है कि इस स्वीकृत लोन में से अभी कुछ रकम मिल को देनी बाकी है? यदि हां, तो क्यों?

(ग) क्या यह सही है कि इस मिल के मालिकों ने राज्य सरकार से भी लोन मांगा था? यदि हां, तो कितना और कब? इस पर राज्य सरकार का क्या निर्णय रहा?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स,

Page No.27

(श्री रिखबचन्द्र अग्रवाल)

भीलवाड़ा को राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन द्वारा ८,५०,००० रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था जिसमें से ७,७७,२०० रुपये निम्न कार्यों के लिये मिल को विभिन्न तारीखों को ५ मार्च, १९५९ तक दिया जा चुका है।

(१) कार्यकारी पूंजी १,००,०००/-

(२) प्लान्ट और मशीनरी के लिये ६,७७,२००)

कुल ७,७७,२००)

(ख) जी हां, स्वीकृत रकम में से ७२,८००)रु. की रकम अभी मिल को नहीं दी गई है क्योंकि मिल ने अपनी योजना में कुछ परिवर्तन कर लिया, जिसके अनुसार उन्होंने और अधिक मशीनें खरीदने का विचार छोड़ दिया। जिस कारण ऋण स्वीकृत किया गया था। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मालिकों ने राज्य सरकार से कोई लोन नहीं मांगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस स्कीम के अन्तर्गत लोन दिया गया, क्या उस स्कीम में परिवर्तन हुआ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो स्कीम दी थी मशीनरी और प्लान्ट की खरीद के लिये उसमें उन्होंने परिवर्तन कर दिया था इसलिये यह रुपया नहीं दिया गया। बाकी की बड़ी रकम ७७७ हजार दे दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस स्कीम में ओवरऑल चेन्ज था या किसी पर्टीक्युलर मशीन को कम किया गया और उस पार्ट से सम्बन्धित मशीन का पेमेन्ट रोक लिया गया? वह नहीं दिया गया?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह सूचना, राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखती है। उन्हीं से लोन लिया गया और उन्होंने ही यह रकम रोकी। जितनी सूचना मेरे पास थी मैंने आपको दे दी। इससे ज्यादा मेरे पास कोई इन्फोर्मेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि पेमेन्ट नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि पेमेन्ट किसका नहीं किया गया? क्या उस स्कीम के अन्तर्गत कोई पुर्जा या मशीन कम कर दी गई, स्कीम में उसका पेमेन्ट नहीं किया गया या फिर उन्होंने सारी स्कीम में ही ओवरऑल चेन्ज कर दिया, इसलिये यह रकम नहीं दी गई?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इससे अधिक जानकारी आपको दे सकूं। यह लोन कॉरपोरेशन देता है। अब कॉर्पोरेशन ने समझा कि स्कीम में चेन्ज कर दिया है तो बाकी की रकम नहीं दी। अब कितना क्या चेन्ज किया, यह सब जानकारी मेरे पास नहीं है।

एस० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्तियां

१६६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस समय प्रान्त भर में कुल कितने और कहां कहां पर एस० टी० सी० संस्थाए

हैं ? पिछले सत्र में प्रत्येक में से कुल कितने ..ने विद्यार्थी ट्रेनिंग पास करके निकले ?

(२) क्या जयपुर जिले से जितने शिक्षार्थी एस० टी० सी० की ट्रेनिंग में गये थे और पास भी हो चुके हैं उन सब को काम में लगा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कितनों को काम पर लगाया गया और कितने बाकी रह गये हैं ?

(३) एन० एस० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों को काम में लगाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है अथवा जिला परिषद् और पंचायत समितियों की ?

(४) क्या यह सच है कि जिला परिषद् सर्विस कमीशन ने अप्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त कर लिया है जब कि प्रशिक्षित अध्यापक बेकार फिर रहे हैं। यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) इस समय प्रदेश में ५३ सरकारी तथा ३ प्राइवेट एस० टी० सी० संस्थाएं हैं जिनकी लिस्ट संलग्न है। गत सत्र १९५९-६० में राजस्थान में कुल २७ पुराने बेसिक एस० टी० सी० स्कूल थे। उनमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की स्कूल वार संख्या संलग्न है।

(२) जयपुर पश्चिमी वृत्त में सब एस० टी० सी० पास अध्यापक लगा दिये गये हैं। जयपुर पूर्व वृत्त में यह मामला विकेन्द्रीकरण योजना कार्यान्वित हो जाने के कारण विवादग्रस्त बन गया था परन्तु अब पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा नियुक्ति का प्रश्न हल हो चुका है और उनको पंचायत व नगर क्षेत्रों में जहां भी स्थान रिक्त है लगाया जा रहा है।

(३) एस० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों को काम पर लगाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग व जिला परिषद् दोनों की है।

(४) जी हां, कुछ अप्रशिक्षित अध्यापक जिला परिषद् द्वारा चुन लिये गये थे, लेकिन उनको ट्रेनिंग में भेज दिया गया है और रिक्त स्थानों पर विभाग द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों को लगा दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की स्थिति में हैं कि इस समय कितने अध्यापक लगा दिये जा चुके हैं और कितने बाकी रह गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ठीक तादाद और ठीक तारीख तो नहीं कह सकता कि किस वक्त कितने लगाये गये, पर जनरल डिसीज़न जो लिया गया वह आपके सामने रखा है और साथ ही यह भी कहूँ कि जो रिक्त स्थान हैं वहां पर उनको लगा दिया जावेगा। आशा यह की जाती है कि सभी जगह एब्ज़ोर्ब हो जावेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : भाग दो में मैंने यही पूछा है कि कितनों को काम पर लगाया और कितने बाकी रह गये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : निश्चित तादाद मेरे पास नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : आगे विवाद नहीं उठा तो इसके लिये क्या जिला परिषद् और विभाग ने दोनों ने मिल कर तय कर लिया, ऐसा है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : तो जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों को जिला परिषद् ने चुन लिया था, ट्रेनिंग में भेज दिया है तो ट्रेनिंग लेकर आ जावेंगे तो अब जो प्रशिक्षित अध्यापक लगा दिये हैं उनका क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह जो सर्विस कमीशन है वह उनको अध्यापक सिलेक्टेड तौर पर ले लेंगे, वे अलग नहीं समझे जावेंगे ; सर्विस में ले लिये गये हैं, यह मान लिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि पांच साल तक सर्विस करने का बोंड उनसे भरवाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग सवाल है। इस समय मुझे याद नहीं। पर हो सकता है, शायद भरवाया गया हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और अब उनको कहा गया है कि वे छः महीने तक इन्तजार करें, कहीं सर्विस वे नहीं कर सकते इन छः महीनों के लिये। अब उनके लिये जुलाई का सैशन निकल गया। कुछ ऐसे अध्यापक मेरे पास भी आये थे और कहते थे कि हमसे बोंड भरवा लिया गया और अब जब हम तैयार हैं तो छः महीने के लिये कन्डीशन लगा दी कि छः महीने तक इन्तजार करें। हम छः महीने तक उनको एब्ज़ोर्ब नहीं करेंगे। अब उनका सीज़न यों ही निकल जावेगा। इसलिये गरीब अध्यापकों की दृष्टि से और विशेष करके इस कारण उनके प्रति अधिक सहानुभूति आप दिखावेंगे और उनको शीघ्र एब्ज़ोर्ब करने की व्यवस्था करावेंगे ; यह मेरा आपसे निवेदन है।

(१२ म० प०)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, ठीक है; लेकिन हमारी हमदर्दी उनसे किसी प्रकार कम नहीं है। जहां तक ट्रेण्ड अध्यापकों का सवाल है राजस्थान के अन्दर कई जगह स्थान रिक्त हैं और उनको एब्ज़ोर्ब नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या शिक्षा विभाग अलग से और जिला परिषदें अलग से अपने उम्मीदवार ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं ?

श्री मोहनलाल-सुखाड़िया : यह इस वर्ष इसलिए हुआ कि जो ट्रेनिंग के लिए भेजे गये थे वे पहले भेज दिये थे, इसलिए कुछ दिक्कतें सामने आईं। इसलिए जो अब ट्रेनिंग में भेजे जायेंगे उनके लिए पहले से ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे ट्रेनिंग के बाद इस तरह की विषमता पैदा न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित !

सवाई माधोपुर से खंडार रूट पर दिसम्बर, १६५६ में परमिट्स का रिन्युअल

१७०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(क) सवाई माधोपुर से खंडार रूट पर दिसम्बर, १६५६ में कितने पर्मिट रिन्यू किये गये ?

(ख) क्या किसी पर्मिट होल्डर के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत बशीरखां द्वारा की गई कि वह व्यक्ति कई वर्ष पहले मर चुका है, उसके रिन्युअल एप्लीकेशन पर दस्तखत फर्जी हैं; अतः उसके नाम से पर्मिट रिन्यू न किया जावे ? अगर हां, तो इस शिकायत पर आर० टी० ए०, जयपुर ने क्या कार्यवाही की ?

(ग) इस शिकायत पर क्या कोई जांच की गई ? अगर हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे ।

(घ) क्या उपरोक्त पर्मिट होल्डरों में से आर० जे० यू० ३४ व आर० जे० यू० ४८ के विरुद्ध भी रिन्यूअल एप्लीकेशन पर फर्जी दस्तखतों की शिकायत की गई है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सवाईमाधोपुर से खंडार मार्ग पर दिसम्बर, १६५६ में सात पर्मिट रिन्यू किये गये ।

(ख) पर्मिट के नवीनीकरण के स्वीकृत होने के पश्चात् बशीरखां का शिकायत संबंधित प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्राप्त हुआ जो विचाराधीन है । सम्बन्धित पर्मिटों का नवीनीकरण आर० टी० ए० की ३ व ४ दिसम्बर, ५६ की बैठक में स्वीकृत किया गया उस समय तक कोई प्रार्थना-पत्र इसके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) मोटर विहीकल एक्ट के अनुसार नवीनीकरण के विरुद्ध आपत्ति नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र के गजट में छापे जाने से ३० दिन के अन्दर होनी चाहिए । बशीरखां की दरख्वास्त बहुत देर से प्रस्तुत हुई है फिर भी उस पर उचित कार्यवाही विचाराधीन है ।

(घ) बशीरखां का प्रार्थनापत्र इन्हीं गाड़ियों के पर्मिटों के बाबत है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

सिरोही के गोकुल भाई साइन्स ब्लॉक का निर्माण

१७१. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Education be be pleased to state :

(1) whether any financial provision has been kept in the current year's budget for the construction of Gokulbhai Science Block at Sirohi and also acquiring land opposite the existing college building for the aforesaid purpose ?

(2) Whet her theacquisition proceedings have been started ? If not, why ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

1. Yes Sir.

2. Yes Please.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

बीकानेर शहर में इस वर्ष हुई चोरियां

१७२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर

(श्री मुरलीधर व्यास)

सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर शहर में इस वर्ष कुल कितनी चोरियां हुईं व इनमें से कितनी पकड़ी गईं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि शहर में सिटी मजिस्ट्रेट तथा नगर विकास का अधिकारी व फौजी अधिकारी के यहां भी कोई चोरी हुई ? यदि हां, तो उनमें कितना माल गया व क्या वे चोरियां पकड़ी गईं या नहीं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) बीकानेर शहर में इस वर्ष कुल ३२ चोरियां हुईं जिनमें से ५ पकड़ी गईं ।

(ख) जी हां, सिटी मजिस्ट्रेट के २,०००) रु० व विकास अधिकारी के ४,६००) रु० ५०, नये पैसे और मेजर श्री हिम्मतसिंह के ५२। रु० का माल चोरी गया जिनका पता अभी तक नहीं लगा है, कोशिश की जा रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो तीनों अधिकारियों के यहां चोरी हुई तो यह एक ही रात को हुई या अलग अलग रातों को ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक ही रात को हुई ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जिन लोगों ने इस प्रकार की चोरियां कीं, वे पकड़ी गईं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब में अर्ज किया है कि अभी पकड़ी नहीं गईं और कोशिश उनकी जारी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो तीनों के यहां चोरियां हुईं उनकी चोरियां पकड़ी गईं या नहीं ? मुझे जरा सुनाई नहीं दिया ।

श्री रामकिशोर व्यास : पता नहीं लगा है, कोशिश जारी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

जयपुर पूर्व व पश्चिम की शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सरकार में बकाया रकमें

१७३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर पूर्व व पश्चिम की शिक्षण संस्थाओं के किन किन अध्यापकों के वेतन, यात्रा व्यय तथा अन्य विषयों की कितनी कितनी रकम सरकार में बकाया है ?

(ख) उपरोक्त रकम किस किस समय की और क्यों बाकी है ?

(ग) बकाया रकमों का पेमेन्ट करने के लिए शिक्षा विभाग क्या प्रयत्न कर रहा है और इनका कब तक पेमेन्ट कर दिया जावेगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जयपुर पूर्व, पश्चिम की शिक्षण संस्थाओं में वेतन, तरक्की, फिक्सेशन के एरियर तथा यात्रा व्यय की निम्न रकमें सरकार में बकाया हैं:—

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(१) वेतन तरक्की, फिक्सेशन एरियर इत्यादि १,३६,२९९.१२

(२) यात्रा व्यय——२,८०५.८८

जिन अध्यापकों की ये रकमें बकाया हैं उनकी सूची संलग्न है।

(ख) उपरोक्त रकमें सन् १९५९ से १९६० तक की हैं। अधिकतर ये रकमें फिक्सेशन तथा सिलेक्शन ग्रेड से सम्बन्धित हैं जो हाल ही में तय हुए हैं। कुछ रकमें बाकी होने का कारण यह भी है कि अध्यापकों द्वारा जोइनिंग व मेडीकल सर्टीफिकेट आदि समय पर नहीं भेजे जाते हैं।

(ग) बकाया रकमों का पेमेन्ट करने के लिए शिक्षा विभाग पूर्ण प्रयत्नशील है और जयपुर पूर्व व पश्चिम निरीक्षक को हिदायत कर दी गई है कि ये स्पेशल स्टाफ लगाकर इन एरियर्स को ३ मास के अन्दर चुकाने का प्रबंध करें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आपने जो सूची दी है वह अंग्रेजी में है, इसे हिन्दी में देना चाहिए....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या, कुछ समझ में नहीं आया ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह सूची अंग्रेजी में दी गई है और जो सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं कम से कम सूची उनको हिन्दी में दी जानी चाहिए ताकि वे देख सकें और जानकारी कर सकें। माननीय सदस्य का यही कहना था और हम भी यही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

निरीक्षक, शिक्षा विभाग द्वारा कोटा जिले की माध्यमिक शालाओं को परीक्षा सम्बन्धी आदेश

१४१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि निरीक्षक शिक्षा विभाग द्वारा कोटा जिले की माध्यमिक शालाओं को परीक्षा सम्बन्धी नये आदेश फरवरी के मह में जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(ख) कोटा जिले की माध्यमिक शालाओं में परीक्षाओं की दृष्टि से फरवरी के पहले क्या नियम थे ?

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष के बीच में इस प्रकार परीक्षा के आधार एवं अंक आदि परिवर्तन करने से तथा उस अनुसार परीक्षा-फल भेजने से सही परीक्षाफल नहीं भेजा जा सकता ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां, नये आदेश जो जारी किये गये उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ख) इनसे पहले जो नियम थे उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई ।

(ग) जी नहीं, यह सही नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : जब इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है कि इतनी परीक्षायें ली जायेंगी और इतनी आगे साल ली जायेंगी तो फिर इस वर्ष का परीक्षाफल किस आधार पर बनाया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके बनाने से विद्यार्थियों को हानि नहीं पहुंचती बल्कि लाभ ही मिलता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : विद्यार्थियों को तो हानि नहीं होती लेकिन मास्टरों को जरूर हानि होती है । वह यह नियत नहीं कर सकते कि ५ टेस्टों के अनुसार उसका परीक्षाफल बना कर भेजना होगा या किसी और प्रकार से । मास्टरों को ही तो परीक्षाफल और स्टेटमेन्ट भेजने पड़ते हैं और आज यह मास्टरों की शिकायत है कि इस प्रकार से बीच बीच में इन्सपेक्टरों की तरफ से परिवर्तन कर दिया जाता है तो आप कम से कम निरीक्षकों के लिए आदेश निकाल दीजिए कि वर्ष के बीच में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें, अगर उन्हें परिवर्तन करना ही है तो अगले सत्र से होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

राजस्थान प्रदर्शनी, सन् १६५६ में मनोरंजन पार्क में पार्टियों से ली गई रॉयल्टी के नियम

१४४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर)—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान प्रदर्शनी, सन् १६५६ में मनोरंजन पार्क में कुल कितनी पार्टियों ने काम किया और उनसे रॉयल्टी लेने का क्या नियम था ?

(ख) क्या यह सही है कि सभी लोगों से रॉयल्टी समान रूप से वसूल नहीं की गई ? अगर हां, तो क्यों ? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत जो इनसे वसूल किया गया वह कितना था और अन्तर किस आधार पर रखा गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) कुल सात पार्टियों ने काम किया था जिनकी सूची मय रायल्टी की दर के यह है:

१. मै० भारतीय लघु उद्योग विकास एवं कला कौशल प्रदर्शन, आरा बिहार से ३५ प्रतिशत

२. श्री गनजूलाल, गुप्ता से ३५ प्रतिशत

३. मे० पारीक एण्ड को० से ३५ प्रतिशत

४. श्री सुलेमान आँफ रामपुर से ३५ प्रतिशत

५. माद्रा घनराज से २५ प्रतिशत

Page No.34

(श्री रामकिशोर व्यास)

६. मे० पुरी एण्ड मलहोत्रा से २० प्रतिशत और

७. श्री बुधसिंह से २५ प्रतिशत

रॉयल्टी की दर आपसी बातचीत से तय की गई थी।

(ख) जी हां। कम से कम २० प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा ३५ प्रतिशत रॉयल्टी ली गई। अन्तर पार्टी की स्टेन्डिंग, उसके खेलों की विविधता व लोकप्रियता, उसके द्वारा अन्य प्रदर्शनियों में दी गई रॉयल्टी तथा उनसे प्रदर्शनी के आकर्षण व आय में सम्भावित वरग को ध्यान में रखते हुए रखा गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ३५ प्रतिशत, २०और २५ प्रतिशत रायल्टी का डिस्टिंक्शन किसने फिक्स किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिन्होंने एग्ज़ीबीशन को ऑर्गेनाइज़ किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसने ऑर्गेनाइज़ किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं बता सकता। डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हुई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई कमेटी बनी थी, क्या यह तय करने के लिए कि किस से २० प्रतिशत और किस से २५ और ३५ प्रतिशत रॉयल्टी ली जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पब्लिक रिलेशन्स ऑफिस ने किया था।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

गत तीन सालों में अजमेर डिविज़न के परिगणित जातियों के कॉन्सटेबलों की पदोन्नति

१४८. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) गत तीन सालों में अजमेर डिविजन के कुल कितने कॉन्सटेबलों को हैड-कॉन्सटेबल और सब-इन्सपेक्टर पुलिस बनाया गया है ?

(ख) पदोन्नति के लिए कुल कितने उम्मीदवार थे और उनमें परिगणित जातियों के उम्मीदवारों की क्या संख्या थी ?

(ग) क्या रिज़र्वेशन के अनुसार परिगणित जातियों के उम्मीदवारों को स्थान दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) परिगणित जातियों के उम्मीदवारों ने निर्धारित योग्यता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) औसतन कितने कम अंक प्राप्त किये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) पिछले तीन वर्षों में १५४ कॉन्सटेबल्स, हैड-कॉन्सटेबल्स बनाए गए और किसी को भी सब इन्सपेक्टर नहीं बनाया गया।

(ख) तरक्की उनको दी जाती है जो एप्रूव्ड लिस्ट में होते हैं और यह लिस्ट

Page No.35

(श्री रामकिशोर व्यास)

सेवा-काल और योग्यता को ध्यान में रख कर बनाई जाती है और इसमें उसी ओहदे के तमाम अधिकारियों का विचार किया जाता है। क्योंकि सुरक्षित जगहें सिर्फ भर्ती के समय हैं न कि तरक्की के समय इसलिए ऐसी तरक्की के लिए शिड्यूल्ड जाति के लिए निश्चित स्थान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता !

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लादूराम सुलाणिया : यह जो एप्रूव्ड लिस्ट बनाई गई उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के कितने आदमियों के नाम थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न ही यह पूछा है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मन्त्री महोदय कहते हैं कि प्रमोशन दिए जाते हैं उस समय शिड्यूल्ड कास्ट का ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल शुरू में जब नियुक्तियां की जाती हैं उसी समय ध्यान रखा जाता है।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या ऐसे नियम हैं कि जब प्रमोशन दिये जायें तो शिड्यूल्ड कास्ट का ध्यान न रखा जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि नियुक्ति के समय तो १२½ प्रतिशत का रिज़र्वेशन रखा जाता है और प्रमोशन के अन्दर तो जो मेरिट्स पर आते हैं उन्हीं को लिया जाता है चाहे वह शिड्यूल्ड कास्ट का हो या दूसरा हो।

श्री लादूराम सुलाणिया : कुल कितने केन्डीडेट्स ऐसे थे जिनका एप्रूव्ड लिस्ट में नाम आया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो अलग से प्रश्न पूछें कि एप्रूव्ड लिस्ट में कौन कौन आदमी थे।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट एरिया, कोटा में मेसर्स एन. मार्शल एन्ड कम्पनी को उद्योग लगाने को दी गई आज्ञा

१४१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या कोटा में इन्डस्ट्रियल एस्टेट एरिया के नाम से कोई स्थान घोषित किया गया है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ?

(२) क्या मेसर्स एन. मार्शल एण्ड कम्पनी को इसी एरिया में अपना उद्योग लगाने की आज्ञा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि एन. मार्शल एण्ड कम्पनी ने एक काश्त योग्य भूमि में अपना उद्योग स्थापित किया है ? यदि हां, तो भूमि को उद्योग में बदलने की आज्ञा किसने दी ? आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि इस उद्योग को बिजली देने के लिये सरकार को लगभग

Page No.36

(श्री दयाकृष्ण विजय)

५०,०००) रु० व्यय करना पड़ा ? यदि ह , तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि यह उद्योग केवल, एक शाखा है तथा यहां वाटर टैंकर्स व टार बॉयलर्स नहीं बनाये जाते बल्कि ये दिल्ली से बनवा कर मंगवाये जाते हैं ? यदि हां, तो यह फर्म उद्योग की श्रेणी में कैसे आती है ?

(६) क्या इस फर्म ने अपने Essentiality Certificates पेश किये हैं ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति के ?

(७) इस फर्म को अब तक कितने टन स्टील व आयर्न का कोटा अलॉट किया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां, इन्डस्ट्रियल एस्टेट एरिया कोटा कसूंबा रोड पर छतरपुरा ट्रेनिंग सेन्टर के सामने नियत किया गया है ।

(२) जी नहीं । उपरोक्त एरिया सन् १९५९ में नियत किया गया जब कि जे. एन. मार्शल एण्ड कम्पनी १९५७ में स्थापित हुई ।

(३) जी हां । इस भूमि को उद्योग में बदलने का प्रश्न राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के विचाराधीन है ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं ।

(७) इस फर्म को अब तक २४३ टन के कोटा सर्टिफिकेट दिये गये हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब अभी राजस्व विभाग ने इस काश्त योग्य भूमि को उद्योग में बदलने की आज्ञा नहीं दी तब इस एन. मार्शल एण्ड कम्पनी ने अपनी फर्म वहां पर किस प्रकार से स्थापित कर ली ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो सन् ५७ से कार्यवाही चल रही है और उन शर्तों के अन्दर वह राजस्व विभाग के अन्दर कलेक्टर, कमिश्नर से सिफारिश होकर आ गई है । अभी रूल्स बन रहे हैं, जब रूल्स बन जायेंगे तो आज्ञा मिल जायेगी। उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जब उद्योग में बदलने की इजाजत ही नहीं मिली तो फर्म कैसे बन गई ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसमें कोई दिक्कत नहीं है । उसका कानून है और उसके अनुसार ही कार्यवाही हो रही है। उनकी तीन चार-लाख की प्रोपर्टी बन गई है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रोपर्टी बन जाने से क्या होता है ? जब तक इजाजत न मिले....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति को कोई लोन

Page No.37

(श्री भैरोंसिंह)

दिया जाय तो उस वक्त जो कन्स्ट्रक्शन वगैरह है जो लाएबिलिटीज़ हैं वे सब शर्तों के अनुसार उचित प्रकार से सारी कार्यवाही किए हुये हैं, यह देख कर ही लोन दिया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोन तो सरकार के द्वारा दिया ही नहीं गया।

श्री भैरोंसिंह : आपने बतलाया न कि....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने मुझे समझा ही नहीं है । लोन नहीं दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिस एग्रीकल्चर लैंड पर उद्योग लगाया गया है वह गवर्नमेंट लैंड है या प्राइवेट लैंड है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्राइवेट लैंड है जिसे उन्होंने किसी एग्रीकल्चरिस्ट से खरीद लिया था।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या कानून के मुताबिक राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ५ के तहत नोटिस दिया जाय, किसी एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करने से पहले ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कन्वर्शन के लिए उसने दरख्वास्त दे दी थी।

श्री श्रीभानसिंह : क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट की अवहेलना कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष : एक्वायर करके थोड़े ही दिया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसने खुद ही प्राइवेट तौर से किसी काश्तकार से जमीन खरीद ली थी, इसलिए दफा ५ के अन्दर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है और फिर यह सरकार द्वारा एक्वायर नहीं की गई है।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : क्या "conversion of agricultural land for non agricultural purposes" धाराओं के अनुसार है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसका कन्वर्शन कर दिया जायेगा, उसमें दिक्कत क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कन्वर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अलॉटमेंट की बात है।

श्री श्रीभानसिंह : जो कानून सबके लिए है वह सभी पर समान रूप से एप्लाई होता है, सरकार के लिए भी उसी प्रकार से एप्लाई होता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार उन्होंने पर्मिशन ली या नहीं और अगर पर्मिशन नहीं मिली तो कन्स्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट कर दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आपसे कह रहा हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको दिए जाने की कार्यवाही हो गई है। इसके बारे में और डिटेल में राजस्व मन्त्रीजी बता देंगे।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेंट कैसे कर दिया बिना पर्मिशन के ?

(श्री श्रीभानसिंह)

जिन लोगों ने बिना पर्मिशन के एग्रीकल्चर लैंड पर मकानात आदि बना लिए हैं उनको वहां से हटाने के लिए अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसी सत्र में एक बिल यहां से पास कराया है कि जिन्होंने बिना इजाजत एग्रीकल्चर लैंड पर कब्जा कर रखा है उनको हटाया जाय और दूसरी तरफ इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पर्मिशन लेने की जरूरत नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैंने नहीं कहा कि पर्मिशन की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत जो कानून बने हैं, जो रूल्स हैं उनकी अवहेलना करने का पॉवर किसी को नहीं है राजस्थान स्टेट के अन्दर, फिर इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को कैसे हो सकती है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने गलत समझा है मुझे। मैंने कभी यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट के लिए कायदों की आवश्यकता नहीं है और कायदे के अनुसार एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। उसकी कार्यवाही करा दी गई है। कलेक्टर और कमिश्नर के यहां पर उसकी कार्यवाही होकर उनसे रिकमन्ड होकर राजस्व विभाग को कागजात आ गए जहाँ मंजूर होने बाकी हैं। यह सब सरकार कार्यवाही कर चुकी है। इन सब स्थितियों के अन्दर मैंने यह कभी नहीं कहा कि पर्मिशन की जरूरत नहीं या कानून का पालन नहीं होना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : आपके कहने के अनुसार यह मान लिया जाय कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट पहले रोज अप्लाई करता है लैंड के कन्वर्शन के लिए और जब तक उसको फाइनल सैंक्शन न मिल जाय उससे पहले ही अपने स्ट्रक्चर बना सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि एग्रीकल्चर लैंड के कन्वर्शन का जो सवाल है तो जो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया डिमार्केट हो गया है वहां पर तो उसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। That is placed with the Industries Department They will allot this land to the different industries. अब जो ऐसा एरिया है जो एग्रीकल्चर का है, जो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर है और उसको इंडस्ट्रीज़ के लिए लेना चाहते हैं तो जैसा माननीय इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि अभी तक रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं इसलिए उनको नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जिनके अन्दर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती उनको पर्मिशन दे दी जाती है। उनसे लिखा कर ले लिया जाता है कि रूल्स बन जायेंगे तो जमीन का जो प्रीमियम या अर्बन असेसमेंट या रेंट or any other rent that the Government may like to fix will be realised from them. इस प्रकार से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसी तरह से उन्होंने भी इस बात को मंजूर कर लिया कि they will deposit the rent on premium whatever the Government fixed. Therefore, there should be no difficulty so far as this particular land is concerned. And in the absence of rules, we have to sanction

(श्री दामोदरलाल व्यास)

on certain undertakings and conditions.

श्री भैरोंसिंह : यह नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस कानून के नियमों के तहत दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून की आवश्यकता नहीं है ! गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं and therefore in exercise of the powers vested in the Government the Government can sanction from time to time.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट नियमों के अनुसार ही पॉवर्स इस्तेमाल कर सकती है, अगर नियम नहीं हैं तो पॉवर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have said that the Rules have not been framed and the Government has permitted them and the premium will be fixed up later.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट केवल नियम बनने के बाद ही पर्मिशन दे सकती है नियम बनने के पहले नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary because the old rules still exist.

श्री भैरोंसिंह : रूल्स कौन से हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां २ जिस जिस स्टेट के हैं ।

श्री भैरोंसिंह : लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू हो जाने के बाद भी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक रूल्स नहीं बन जाते तब तक लैंड रेवेन्यू एक्ट लागू हो जाने के बाद भी अलग अलग स्टेटस के जो रूल्स हैं वे बराबर लागू होते रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष, इसमें कुछ सवाल और भी हैं । आपने बतलाया कि पचास हजार बिजली के लिए खर्च नहीं किया, लेकिन क्या यह सही है कि उद्योग को बिजली दी हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनका खुद का जेनेरेटर है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप कहते हैं कि बिजली नहीं दी गई, लेकिन वहां तक पोल्स लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं सरकार के खर्चे से ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बिजली लगाई जा रही है लेकिन अब तक उनका अपना खुद का जेनेरेटर है और अपनी बिजली पैदा करते हैं और उसी से अपना कारखाना चलाते हैं अब तक। वहां पर सरकार की ओर से बिजली देने का और पोल्स लगाने का काम पूरा नहीं हुआ है ।

श्री श्रीभानसिंह : आयर्न का कोटा इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो देना है

(श्री श्रीभानसिंह)

उसको आप किस प्रकार फिक्स करेंगे जबकि उन्होंने एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो कोटा दिया गया है उसका एक अंश भी उनको नहीं मिला है।

आप एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट और कोटा सर्टिफिकेट में भेद नहीं समझते हैं, इस वास्ते यह सवाल पूछते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आपके कानून के मुताबिक पहले एसेन्शिलिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से जब तक ऑब्टेन नहीं कर लें कोई भी इन्डस्ट्रियलिस्ट तब तक इम्पोर्ट लाइसेन्स सेन्टर से नहीं मिलता है। इस प्रोसीजर को वेव कर दिया गया था क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट उन इन्डस्ट्रीज़ को दिया जाता है जिनमें मशीनरी बाहर से लाना चाहते है यानी रॉ मेटीरियल कोई भी इम्पोर्ट करना चाहता है तो एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट देते वक्त यह देखा जाता है कि उसकी केपेसिटी उस रॉ मेटीरियल को कन्ज्यूम करने की कितनी है। या सारे का सारा करने के लिए एक कमेटी बैठी हुई है। वह कमेटी निर्णय करती है और निर्णय करने के बाद डिटर्मिन करती है और फिर बाद में एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा यह मतलब नहीं था....

श्री अध्यक्ष : You must presume that all rules have been complied with.

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, no rules have been complied with and on this question it has become clear here; otherwise I was to request your Honour that a date must be fixed to decide this affair of issuing Essential Certificates in the State. Because this question of issuing essentiality certificates has become a great scandal in this State and I would, therefore, like to draw the attention of the Government that these certificates are issued without going through necessary preliminaries.

श्री अध्यक्ष : We can take that separately.

श्री श्रीभानसिंह : Yes, Sir.

राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय विचाराधीन जांच के मामले

१५५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): Will the Chief Minister be pleased to state :—

1. How many departmental enquiries are pending against Govt. servants for more than six months ? Please place the statement on the table of the House together with the names of the Govt. servants and the date of their suspension.

2. How many of them are Gaze

Page No.41

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

tted and how many are non-Gazetted employees ?

3. Did the Govt. issue any circular to the effect that departmental enquiries should be disposed of within six months at the latest from the date of suspension ? If so, why cases are pending for more than six months ?

4. Has the Government asked for explanations from the Heads of Departments, for the non-compliance of this circular ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): 1. Departmental enquiries against 256 Government employees who arr under suspension are reported to be pending for more than six months. A statement showing the names of such Government servants and the date of their suspension has been placed on the Table of the House.

2. Out of the aforesaid 256 employees, 31 are Gazetted and the remaining 225 non-Gazetted.

3. The Government issued a circular to All Heads of Departments as far back as 25th.March,1958 enjoining on them the desirability of disposing of such departmenta enquiries as far as possiable within six months from the date of suspension. With a view to further ensure expeditious disposal of such departmental enquiries, Government laid down an elaborate procedure prescribing a time Schedule for dealing with such cases in March, 1960. Delays over six months in the disposal of such cases are mostly attributable to the simultaneous pendency of legal proceedings against the delinquents, the absconision of the delinquents, the dilatory methods employed by them for submission of written statenments/reply to the show cause notices in their defence on the score of prior inspection of record for the purpose. Unnecessary delays do not occur.

4. The question of avoidable delays in the disposal of departmental enquiries by the disciplinary authorities is being examined and neessary steps will be taken to avoid delays.

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें बहुत सारी इन्क्वायरीज़ सन् ५० से पेंडिंग हैं, सन् ५४ से पैंडिंग हैं, यानी आठ २ साल हो गये हैं। इनके लिए केवल यह कहना कि इनके मामलों में डिलेड टेक्टिक्स के कारण से डिले हो रही है, मैं समझता हूं उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का सर्क्युलर है कि ६ महीने का पीरियड है। हर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी ६ महीने के अन्दर डिस्पोज़ ऑफ होनी चाहिये, लेकिन आठ साल से इन्क्वायरीज़ पेंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष : सन् ५० से हैं कई तो।

सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस, बांसवाड़ा का स्थानान्तरण

१५६. श्री सोमजी भाई [बांसवाड़ा–श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) श्री जी. डी. चड्ढा, एस. पी., बांसवाड़ा के ट्रान्सफर का आदेश सरकार ने कब कब दिया और क्यों ?

(ख) उक्त एस. पी., बांसवाड़ा का कई बार तबादला होने के बाद भी सरकार द्वारा उसे रोकने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में सन् १९५५–५६, ५६–५७ व ५७–५८ में शान्ति, कत्ल व आत्म हत्या के मामले अधिक बढ़े हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि जिले के विभिन्न थानों के पुलिस सब इन्सपेक्टरों के विरुद्ध सरकार के पास कम्प्लेन्ट पेश हुई है ? यदि हां, तो किन किन के विरुद्ध और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस प्रश्न का उत्तर कल दे दिया है, अध्यक्ष महोदय।

एस. पी. के ट्रान्सफर का कल जवाब दे दिया। अब क्या बाकी रह गया ?

श्री हीरा भाई : सारा नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : कल जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आपके पास इन्फोर्मेशन है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : कल पढ़ा था जवाब। कौन सा हिस्सा पूछना चाहते हैं ?

श्री हीरा भाई : (ग)।

श्री रामकिशोर व्यास : (ग) जी नहीं।

मैं (घ) का भी पढ़ देता हूं :

(घ) १९६० में कुल १४ शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से ८ शिकायतें झूठी पाई गईं और ६ शिकायतों पर अभी जांच हो रही है।

श्री हीराभाई : जिनकी जांच हो चुकी हैं उनका क्या नतीजा रहा और जिनकी जांच हो रही है, वह तो ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : ८ गलत पाई गई और बाकी की जांच हो रही है।

राज्य में गत तीन वर्षों में द्वितीय श्रेणी में एस. ए. पास अध्यापकों की नियुक्तियों की संख्या

१५७. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(क) गत तीन वर्षों से कुल कितने द्वितीय श्रेणी में एम. ए. पास अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं ?

(ख) ये नियुक्तियां किन किन तिथियों को की गई हैं ?

(श्री लादूराम सुलाणिया)

(ग) क्या इन नियुक्तियों के लिए आवेदन पत्र समाचार पत्रों द्वारा आमन्त्रित किये गये ? यदि हां, तो किन किन तिथियों को ?

(घ) कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें परिगणित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों के कितने प्रार्थना पत्र थे ?

(ङ) क्या तृतीय श्रेणी के प्रार्थियों को भी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इन नियुक्तियों के लिए दुबारा प्रार्थना पत्र क्यों नहीं आमन्त्रित किये गये ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) गत तीन वर्षों में द्वितीय श्रेणी में एम. ए. पास ६१५ व्यक्तियों की वरिष्ठ अध्यापकों के स्थान पर नियुक्तियां हुई ।

(ख) वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्तियों की तिथियां निम्नलिखित हैं :-

जुलाई, १९५८	११७
अगस्त, १९५८	३३
सितम्बर, १९५८	२२
अक्टूबर, १९५८	३
नवम्बर, १९५८	१४
दिसम्बर, १९५८	१
जुलाई, १९५९	१२७
अगस्त, १९५९	७३
सितम्बर, १९५९	२०
अक्टूबर, १९५९	२०
नवम्बर, १९५९	२३
जुलाई, १९६०	१७२
	६१५

(ग) जी हां, जुलाई, सन् १९६० की नियुक्तियों के लिए १५. ६. ६० को समाचार पत्रों से विज्ञापन दिया गया। यह विज्ञापन द्वारा केवल उन्हीं विषयों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए जिन विषयों में विभागीय अध्यापक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। पिछले दो सालों में कोई विज्ञापन समाचार पत्रों में नहीं दिया गया।

(घ) इस वर्ष विज्ञापन के सम्बन्ध में ४३१ प्रार्थना-पत्र उपलब्ध हुए उनमें केवल ५ प्रार्थनापत्र शिड्यूल्ड कास्ट व बेकवर्ड कास्ट के थे जिन्हें नियुक्तियां दे दी गई ।

(ङ) जून, १९६० के विज्ञापन में द्वितीय श्रेणी के एम. ए. की शर्त नहीं रखी गई । इसलिये दुबारा प्रार्थना पत्र मांगने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या शिड्यूल्ड कास्ट के अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र बाकी नहीं रहे और सब की नियुक्तियां हो गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको (घ) के उत्तर में मैंने बताया कि ५ प्रार्थना-पत्र आये, जिनकी नियुक्तियां कर दी गई ।

पंचायत समिति, तलवाड़ा के प्रधान को पद से हटाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव

१९०. श्री भोगजीभाई [बांसवाड़ा- भीहीरा

(श्री मोगजीभाई)

भाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया]: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(ग) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, तलवाड़ा के प्रधान को पद से हटाने के लिए समिति के सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है ?

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के सदस्यों ने तलवाड़ा के पटवार घर बनवाने का ठेका लेने का टेन्डर दिया था ? यदि हां, तो टेन्डर किन किन सदस्यों के नाम मन्जूर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ग) क्या सरकार को विदित है कि समिति के प्रधान ने बांसवाड़ा कृषि फार्म, बांगड़ बनाने के लोहे के कांटेदार तार खरीदने व कुआं बनवाने का ठेका देने तथा अन्य वस्तुएं जैसे पत्थर, ईंट व चूना खरीदने के बारे में मनमानी की है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल):

(क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह माना जाय कि बिल्कुल ही अविश्वास का प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह प्रस्ताव तो भेजा गया था लेकिन कानून के अनुसार नहीं था, फॉर्म में नहीं था और खुद ले जाकर पेश नहीं किया गया था, इसलिए वह प्रस्ताव नहीं आ सकता था ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२.२८ म० प०)

राजस्थान राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा सम्बन्धी ज्ञापन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा से सम्बन्धित विभिन्न मदों के ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी ऑर्डिनेन्स, १९६० जो राज्य सरकार ने जारी किया है उसके सम्बन्ध में मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है, "यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किये गये राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उत्सादन के ऑर्डिनेन्स को अस्वीकृत करता है ।"

अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प मैंने इस दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि यह जो ऑर्डि-

Page No.45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नेन्स राज्यपाल महोदय ने जारी किया है, उस ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करने की दृष्टि से एक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डिनेन्स और इस विधेयक को देखने के बाद ऐसा लगता है कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान के टीनेन्सी.एक्ट और राजस्थान के रेवेन्यु लेजिस्लेशन्स में आये दिन, मैं नहीं समझ पाता कि क्यों इस प्रकार से इन्टरफियरेन्स करते हैं?

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जब राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उत्सादन का कानून इस विधान सभा में प्रस्तुत हुआ था तो सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जमींदारी और बिस्वेदारी की प्रथाओं को समाप्त करने जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में कई तरफ से इस प्रकार की मांग भी आई थी, कई प्रकार के संशोधन और सुझाव माननीय राजस्व मंत्रीजी के सामने प्रस्तुत किये गये थे; लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस समय संशोधन प्रस्ताव रखे जाते हैं, जिस समय सुझाव दिये जाते हैं उस समय ऐसा लगता है कि राजस्व मंत्री महोदय उन सुझावों पर गौर करने का कष्ट नहीं करते, विचार करने का कष्ट नहीं करते और जब कानून बन गया और उस पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो गई और उसके बाद जब राजस्थान में उस कानून को लागू करने का सवाल खड़ा हुआ तब एक वर्ग विशेष, एक स्थान विशेष और एक जिला विशेष के लोगों ने रिप्रेज़ेन्टेशन दिया और केवल रिप्रेज़ेन्टेशन ही नहीं दिया बल्कि राजस्व मंत्री महोदय के दिमाग पर हावी हुए और उनको कायल कर दिया कि राजस्थान में जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन कानून जो अभी अभी पास किया है उसकी धाराएं गलत हैं। उसका मालिक जमींदारों और हिस्सेदारों व खातेदारों को बनाया है, वह न्यायसंगत नहीं है। आप उनको मालिक की हैसियत दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं राजस्व मंत्री महोदय जिन्होंने वक्तव्य दिया था, मैंने उनका एक लेख अखबारों में पढ़ा है जिसमें उन्होंने लिखा था कि राजस्थान में जमींदारी और बिस्वेदारी खत्म करने के बाद भूमि–सुधार का अंतिम चरण है। मध्यस्थता और इन्टरमीजियरी व्यवस्था समाप्त होने जा रही है और राजस्थान की विधान सभा ने कानून पास किया है जिसका श्रेय भी आपने लेने की कोशिश की। उन्होंने राजस्थान की जनता को ही नहीं, बल्कि बाहर वालों को भी अखबारों के जरिये यह बताने की कोशिश की कि जमींदारी प्रथा और मध्यस्थता को खत्म करने और जागीरदारी प्रथा को खत्म करने में यदि किसी ने पहल की है तो राजस्थान के राजस्व मंत्री ने और राजस्थान सरकार ने की है। इस प्रकार के लेख अखबारों में छापे गये; इस प्रकार के भाषण अखबारों के लिये दिये गये। वे इस प्रकार के भाषण विधान सभा में भी देते हैं। इस प्रकार के भाषण किसी पब्लिक फंक्शन में भी वे दे सकते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब २३ जून, १९६० को राज्यपाल महोदय की तरफ से ऑर्डिनेन्स जारी किया गया और राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० पेश किया गया; जिसके द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

Page No.46

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और राजस्थान की एग्रीकल्चरल इकोनोमी और राजस्थान के सारे रूरल सेट-अप में एक नई क्लास का निर्माण किया। एक तरफ तो नारे लगाते हैं कि मध्यस्थता को खत्म किया जा रहा है, इन्टरमीजियेरीज़ को समाप्त किया जा रहा है, क्लासेज़ को कम कर रहे हैं, वर्गों को हटा रहे हैं और दूसरी ओर ऑर्डिनेन्स के द्वारा राजस्थान में इस प्रकार की क्लास का निर्माण किया है जो क्लास आज तक नहीं थी। जहां तक टीनेन्सी लेजिस्लेशन का सम्बन्ध है इस प्रकार की क्लास कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन इन्होंने इसके द्वारा इस क्लास का निर्माण किया। किस लोजिक के आधार पर इसका निर्माण किया, किस रीजनिंग के आधार पर निर्माण किया और किस विशेष स्थिति से इसका निर्माण किया गया यह कारण ऑर्डिनेन्स में नहीं बताया गया। मैं समझता हूं शायद कारण यह हो कि कानून के इम्प्लीमेन्टेशन में बाधा आती होगी या कोई लीगल कॉम्पलीकेशन पैदा हुआ होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोई कानूनी अड़चन नहीं आई, कोई कानूनी बाधा नहीं आई। लेकिन, जिला विशेष के लोगों ने रिप्रजेन्टेशन किया और वे लोग शायद इतने शक्तिशाली थे कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण को भुला दिया, अपने वक्तव्य को भुला दिया, नारों और घोषणाओं को भुला दिया और वे इस हद तक हावी हुए कि इस सीमा तक संशोधन करना चाहिये जिस कारण जमींदारों और बिस्वेदारों को उस कानून में हटाया है उनके स्थान पर नया नाम दीजिये, उनको फिर से स्थापित कीजिये। इसके फलस्वरूप इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाया गया है। जिन लोगों को जमींदारी और बिस्वेदारी कानून के द्वारा खातेदारी टिनेन्ट की संज्ञा दी थी, उनको मालिक माना है। वैसे अंग्रेजी में मालिक प्रोप्राइटर या ओनर होगा। हमने खातेदार की संज्ञा दी है। इसके माने यह हुए कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में तीन प्रकार की क्लॉसेज़ बनाई गई हैं उनके अतिरिक्त यह चौथी क्लास और बनाई जा रही है। इससे बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी। जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान विधान सभा के अगले सेशन में संशोधन आयेगा कि इस प्रकार के मालिक दावा कैसे कर सकते हैं क्योंकि वे टिनेन्सी एक्ट में आते नहीं हैं। उनके दावे कहां किये जायेंगे; इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया है। यह प्रावधान लिखने में भूल से रह गया है, ऑर्डिनेन्स लाया जायगा इसलिए कि विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है और लोगों को मुश्किल हो रही है, तकलीफ हो रही है और फिर एक ऑर्डिनेन्स और जारी किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, यह जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है, जो सदन में प्रस्तुत किया है उसमें सेक्शन ६ है उसमें जो बात लिखी है, अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कानून चोर की चोरी को वाजिब ठहरावे और यह लिख दे कि इस तारीख के बाद उन चोरों के खिलाफ, उन्होंने जो चोरियें की हैं उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। मैं समझता हूं, कौन इस तरह के कानून को वाजिब ठहरा सकता है, कौन इस तरह के कानून की तारीफ कर सकता है? जो ऑर्डिनेन्स राजस्थान की परिस्थिति को समझ कर जारी किया गया है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसकी सेक्शन ६ में लिखा है कि मालिक कौन होगा ? मालिक वह होगा जो डेट ऑफ वेस्टिंग को जमीन के ओकुपेशन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ ! जिस दिन भूमि राज्य सरकार में निहित हुई उस दिन जो ओकुपेशन में है वह मालिक है, उसको कुछ राहत दी है। राजस्व मंत्रीजी कहेंगे कि हमने दावा करने का अधिकार दिया है। मैं सारे लीगल इन्टरप्रिटेशन को एक तरफ रख कर टिनेन्सी एक्ट, टिनेन्सी रूल्स, जमींदारी एन्ड बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट और रूल्स; इन चारों के इन्टरप्रिटेशन में नहीं जाना चाहता लेकिन मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्व मंत्री जी दलील करेंगे कि दावा करने का अधिकार दिया है। यदि मालिक बेदखल किया जायगा, भूमि गलत तरीके से ली गई है तो, लेकिन मालिक है कौन डेट ऑफ वेस्टिंग के दिन जिसके अधिकार में थी, जिसके ओकुपेशन का सवाल है, पजेशन का सवाल नहीं, मालिक वह है जो ओकुपेशन में हो। जो ओकुपेशन में है वह मालिक है और दावा कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि डेट ऑफ वेस्टिंग से पहले यदि जमींदार या जिस किसी ने कब्जा कर लिया था, ट्रेसपासर की हैसियत से जिसके खिलाफ दावा चलाना था वह दावा चल नहीं सकता क्योंकि वे आज बिस्वेदार या जमींदार नहीं रहे, ट्रेसपासर के लिये वे डिक्री नहीं ला सकते। क्योंकि हमने लिखा है कि मालिक वह होगा जो डेट ऑफ वेस्टिंग को जिसके कब्जे में होगी; उसको बेदखल करेंगे तो दावा ला सकता है। इसका मतलब यह होगा कि आज तो शायद राजस्व मंत्रीजी नहीं मानेंगे लेकिन मैं विधान सभा में यह दलील देना चाहता हूं कि इसका इन्टरप्रिटेशन यह है कि डेट ऑफ वेस्टिंग के पहले दावा नहीं कर सकते, ट्रेसपासर के खिलाफ रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। आज इस बात को मानने के लिये राजस्व मंत्रीजी तैयार नहीं होंगे। वे मानेंगे कब ? वे तब जब कि रेवेन्यू बोर्ड का खिलाफ फैसला होगा या हाई कोर्ट का डिसीज़न होगा। तब वे संशोधन भले ही लावें यह कह कर कि भूल हो गई, भूल होना स्वाभाविक है। हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि जमींदारी या बिस्वेदारी ट्रेसपासर के खिलाफ दावा नहीं ला सकते। सरकार की यह मंशा नहीं थी। इसलिये यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं समझता हूं, यदि ट्रेसपासर को छूट देनी है, इस प्रकार से अनधिकृत रूप से उसे भूमि पर काबिज बनाये रखना है तो फिर जब लैंड कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हो रहा था तब भी लोगों ने विचार प्रकट किये थे; आज राजस्थान में लैंड रिफॉर्म्स का लेजिस्लेशन हो रहा है लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Sir, I have not been able to follow the Hon'ble Member's point. How a trespasser has been protected under this section ? I will request him to be more clear. I am sorry, I could not follow.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आप समझना चाहते हैं, तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। देखिये, इसमें आपने लिखा है सेक्शन ६ में :

"As from the date of vesting of

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

an estate, the Zamindar or Biswedar thereof shall be a Malik of any Khudkasht land in his occupation on such date and shall, as such Malik, be entitled to the rights specified in part A, and be subject to the liabilities specified in part B of the second schedule annexed hereto and......" इसमें यह डिफाइन कर दिया है कि मालिक कौन है, डेट ऑफ वेस्टिंग पर जो जमीन उसके ऑक्युपेशन में है यानी उसके एक्चुअल पजेशन में है, वह मालिक है। और आपने दावे के बारे में आगे लिखा है-वह सेक्शन है, पार्ट ए, सेक्शन १२ :

'A Malik who has been ejected from, or dispossessed of, the whole or part of the land held by him otherwise than in accordance with law shall have the right to possession or re-instatement and compensation.' इसका मतलब यह होगा कि उस मालिक की जो भूमि आपने इजेक्ट या डिसपजेस्ड कर दी है, उसका रेस्टोरेशन ऑफ पजेशन वह दावे से ले सकता है। मालिक ले सकता है। मालिक कौन है ? जिसके डेट ऑफ वेस्टिंग पर जमीन ऑक्युपेशन में है। अगर उसके एक्चुअल ऑक्युपेशन में जमीन नहीं है तो उसको खुद काश्तकार नहीं मानेंगे, वह खुद काश्तकार नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कोर्ट ने कई केसेज़ में डिसीज़न दिये हैं कि डेट ऑफ वेस्टिंग पर अगर जमीन पजेशन में नहीं है, तो वह खुदकाश्त नहीं है। अब सवाल पजेशन का था, तो पजेशन में दो चीजें आती हैं। एक एक्चुअल पजेशन और दूसरा कन्स्ट्रक्टिव पजेशन, ये दोनों चीजें आती हैं। क्योंकि एक्चुअल पजेशन नहीं है, तो जुडिशियल केस में कोर्ट कन्स्ट्रक्टिव पजेशन देकर रिलीफ दे सकता है। इसमें आपने ऑक्युपेशन और पजेशन कर दिया, और पजेशन में एक्चुअल पजेशन आता है, जिससे आपने उसको महरूम कर दिया है, जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट बना कर १ नवम्बर, १६५६ से जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन कानून लागू हुआ उस समय से राजस्थान में उस आदमी के कब्जे में जमीन नहीं है, वह खुदकाश्त होल्डर नहीं है। वह खुदकाश्त होल्डर नहीं है तो मालिक नहीं है और मालिक नहीं है तो उसका दावा नहीं चल सकता। जितने पुराने दावे हैं वे इस बिना पर ही रिजेक्ट कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, उसका कारण यह है कि जमींदारों और बिस्वेदारों की हैसियत खत्म हो गई और उनके टाइटल गवर्नमेंट में वेस्ट हो गये। कोर्ट ने डिसीज़न लिया है कि जहां तक ट्रेसपासर्स का सवाल है, उनके डेट ऑफ वेस्टिंग में जमीन ऑक्युपेशन में नहीं है और उनके टाइटल गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहे तो इजेक्ट कर सकती है उस आदमी की लैंड को। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और विशेष तौर से राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि अभी देर नहीं हुई है, अभी तो बेटी बाप की है, अभी विधान सभा में कानून विचाराधीन है, अभी इसमें संशोधन किया जा सकता है। आप गम्भीरता से इस पर विचार कर लें, लॉ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट कर लें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कन्सल्ट कर लें। ऐसी नौबत न आ जाय कि दो महीने के बाद ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़े,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जब आपके नोटिस में कुछ ऐसे केसेज़ आयें, कुछ रिप्रजेन्टेशन्स आयें। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री से चाहूँगा कि आज तक ऐसे निर्णय हो चुके हैं, जो ट्रेसपासर्स के दावे चल रहे थे, उनमें उनको इवेड कर दिया गया है और इवेड इस आधार पर कर दिया गया है कि डेट ऑफ वेस्टिंग पर जमीन उनके पजेशन में नहीं थी। उनका ऑक्युपेशन नहीं होने के कारण उनका दावा नहीं चल सका। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में ट्रेसपासर्स को छूट दे दी गई है और उनको मुक्त कर दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि जाओ, भूमि तुम्हारे कब्जे में रहेगी। नतीजा यह है कि आज राजस्थान में जिन किसानों के अधिकार में भूमि है, जो मालिक हैं, वे इनसिक्योर फील करते हैं। आज फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आती है, हमारी राजस्थान सरकार सक्युॅलर भेज कर एम. एल. एज़. से पूछती है कि सब टीनेन्ट, सब लेटिंग के बारे में क्या विचार हैं, यह किया जाय या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सब-लेटिंग का प्रोविज़न रखा है, राजस्थान सरकार ने कानून बना दिया है कि कम्पल्सरीली हर एक आदमी को काश्त करनी पड़ेगी; अगर काश्त नहीं करेगा तो सरकार पांच साल के लिए उस जमीन को सब लैट कर सकती है। अगर कोई आदमी इसलिए काश्त नहीं कर पाता है कि उसके पास जमीन ज्यादा है तो आप सीलिंग कानून लागू क्यों नहीं करते हैं ? फिर बन्धन यह लगाते हैं कि उनकी लैंड को सरकार काश्त करा सकती है ! प्रश्न यह है कि आज आदमी सब लैट क्यों नहीं करता है ? उसका कारण यह है कि राजस्थान का हर एक आदमी जमीन को इसलिए सब लैट नहीं करता है क्योंकि वह जानता है कि जमीन को अगर सब लैट कर दिया, वैसे कानून कहता है कि पांच साल के लिए, तीन साल के लिए लैंड सब लैट कर सकता है, उसके बाद अपनी जमीन वापिस ले सकता हैं, लेकिन वह सोचता है कि आज तो यह कानून है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि राजस्व मन्त्रीजी आगे समय में राजस्व मन्त्रीजी न रहें, या रात में किसी दिन सोते समय इस प्रकार की चीज इनके दिमाग में आ जाय, वन फाइन मोर्निंग;और इस प्रकार का ऑर्डिनेंस जारी कर दें, कि उस तारीख से, जिस दिन मैं सो रहा था, जो जमीन जिसके कब्जे में है, उसको उसके खातेदारी राइट दे दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, आज हरएक आदमी इनसिक्योर फील कर रहा है, वह फील कर रहा है कि आज यह कानून है, लेकिन कल क्या हो जायगा, परसों क्या हो जायगा ? सरकार के दिमाग में कुछ बात जम जायगी कि यहां पर तीन साल के सब टीनेन्ट बनाने के लिए जो प्रोवीज़न रखा गया है, कहीं ऐसा न हो कि दो साल के बाद सरकार यह कानून बना दे कि जो सब टीनेन्ट हैं, उनको खातेदारी राइट दे दिये गये। इस प्रकार की अवस्था है। इस अवस्था में कानून की पवित्रता के प्रति लोगों के मन में अश्रद्धा की भावना पैदा हुई है और इस अश्रद्धा का कारण है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, टीनेन्सी एक्ट में होने वाले नित्य प्रति के संशोधन। इसलिए मैंने संकल्प के द्वारा सरकार, राजस्व मंत्री और विशेष तौर से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है कि यह ऑर्डिनेन्स जारी करने की परम्परा गलत है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, जिसके कारण ऑर्डिनेन्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जारी किया गया। कौनसी ऐसी परिस्थिति थी, जिसके कारण ऑर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता पड़ी? अगर आपने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करने का ऑर्डिनेन्स जारी किया तो मैं समझ सकता था, आपने एसेन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट में ऑर्डिनेन्स जारी किया है, उसको मैं समझ सका, लेकिन जमींदारी और बिस्वेदारी एक्ट में संशोधन करने का ऑर्डिनेन्स जारी करने के पीछे ऐसी कौनसी परिस्थिति थी? फिर आपने किया क्या, जो खातेदार था, जो टीनेन्ट था, उनको मालिक का नाम दे दिया। मालिक का नाम आप दो दिन बाद, चार दिन बाद दे देते। हमारे यहां पर बच्चा पैदा होता है, तो उसका नामकरण हम दो साल के बाद भी कर सकते हैं। फिर ऐसी क्या जल्दी हो गई? यह चोज हुई कि उसको आपने पहले खातेदार टीनेन्ट बना दिया, अब उसको राइट देना चाहते हैं, तो उसको आज आप मालिक बनाना चाहते हैं। विधान सभा का सेशन आ रहा था, उसमें आप कानून पेश कर सकते थे, कि खातेदार टीनेन्ट को मालिक कहा जाय, तो ज्यादा अच्छा रहता। आप समझते हैं कि खातेदार 'टीनेन्ट शब्द' अच्छा नहीं है, मालिक शब्द अच्छा है, अगर उसको मालिक बनाते हैं तो फिर गरीब काश्तकार ने क्या जुल्म किया है, जागीरदारों ने क्या किया है, भूमिदारों ने क्या किया है, उनके लिए भी अच्छे अच्छे नाम डिक्शनेरी में से ढूंढ कर निकालिये। खातेदार काश्तकार नाम आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब फिर से उसको मालिक बनाया है। इसी तरह दूसरों के लिए भी अच्छे नाम निकाले जायं और उनको अच्छे नाम देकर उनके लिए राइट मुकर्रर कर दीजिये। मैं समझता हूं कि आज से ही अच्छे नाम ढूंढना शुरू कर दें, इसकी व्यवस्था कर दें। यह रीज़न्स में लिखा है, अध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेन्स जारी करने के रीज़न्स में लिखा है, वह है कि राजस्थान के कुछ इलाके के लोगों, गंगानगर जिले के लोगों ने, रिप्रेजेन्टेशन्स किये हैं कि हमने मालिक नाम उड़ा दिया, खातेदार काश्तकार रख दिया। मंत्री महोदय से मैं यह अवश्य कहूंगा कि उन्होंने उनकी मांग को मंजूर किया है और इस प्रकार का कानून में संशोधन किया है और उनको संतोष करा दिया है कि तुम्हारा नाम मालिक रख दिया है। वे खुश होकर घर बैठे होंगे, लेकिन उन गरीब मालिकों को पता नहीं है कि नाम मालिक तो जरूर दे दिया, नाम मालिक जरूर रख दिया, लेकिन छुरी ऐसी गरदन पर फेरी है, झटका दिया है, हलाल नहीं किया है कि उनको कोई रिलीफ देने का, अदालत में जाने का, दावा करने का, डेट ऑफ वेस्टिंग के पहले के जो ट्रेसपासर्स हैं, उनके खिलाफ सूट फाइल करने का, केस चलाने का कोई प्रोवीज़न नहीं है। इससे बड़ी कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगी। वे शायद कहेंगे कि टीनेन्सी एक्ट मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा कि खातेदारी टीनेन्ट को टीनेन्सी एक्ट में डेफीनिशन दी गई है, उसमें आपने 'मालिक' शब्द नहीं जोड़ा है, a tenant will also include 'Malik'; इसलिए जो २६ और ४३ क्लॉज़ेज हैं, टीनेन्सी एक्ट के, जिसमें डेफीनिशन दी गई है, उसमें संशोधन करते a tenant will also include 'Malik'. तो आपने उनमें नहीं जोड़ा है, लैंड होल्डर में जोड़ा है, कि मालिक कौन है। लैंड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होल्डर की डेफीनिशन दी है, वह डेफीनिशन २६ में है, उस २६ में सब क्लॉज़ (२) जोड़ा है, उसमें तीसरा आइटम जोड़ा है मालिक का। आप मालिक टीनेन्ट को नहीं मानते, लैंड होल्डर को मानते हैं; लैंड होल्डर को मालिक बनाना चाहते हैं। मैं राजस्व मंत्री जी को पांच साल पीछे के कानूनी जीवन में ले जाना चाहता हूं। दफा १८८ निकाल लीजिये, इस सेक्शन में है, इन्जंक्शन सूट के लिए यह 'मालिक' कहां जाय। इस दफा १८८ में लिखा है....

"Injunction against wrongful ejectment." खातेदार काश्तकार को बदलने जा रहे हैं। १८८ सेक्शन कहता है:

'Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his land holder or any other person may bring suit for the grant of perpetual injunction.' टीनेन्ट की डेफिनिशन में लिखा है कि मालिक और लैंड होल्डर्स इन्जंक्शन का सूट नहीं ला सकते हैं। कोर्ट ने फैसला कर दिया है। उनको सिविल कोर्ट में जाना होगा। The word given in 188 is "tenant." टीनेन्ट की डेफिनिशन में सेक्शन ५ के क्लॉज़ में आपने लिखा है कि रेवेन्यू कोर्ट ट्रेस्पासर के खिलाफ दावा नहीं चला सकता। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी मजबूरी है। रिडेम्प्शन का सूट कहां फाइल करेंगे? कोर्ट में नहीं जा सकते। इन्जंक्शन जारी करा नहीं सकता। इसके अलावा आपने गंगानगर के लोगों के रिप्रेज़ेन्टेशन पर यह 'मालिक' शब्द रखा है। आपके पास अलवर और भरतपुर से कोई रिप्रेज़ेन्टेशन इस सम्बन्ध में नहीं आया। खाली एक जिले के रिप्रेजेन्टेशन पर आप कहते हैं कि हमारे पास रिप्रेजेन्टेशन हुए हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि आपके पास सिवाय गंगानगर के कहीं से भी रिप्रेजेन्टेशन नहीं हुआ। मगर यह कानून लागू होने से पहले अलवर और भरतपुर में लागू हो गया है और गंगानगर में लागू नहीं हुआ, जबकि यह गंगानगर वालों के रिप्रेजेन्टेशन पर हुआ है। कानून और रूल्स की कौन परवाह करता है? कानून बनते हैं लेकिन रूल्स नहीं बनते हैं और यह कहा जाता है कि अभी रूल्स नहीं बने हैं। रूल्स बनाने का हमें पूरा पॉवर है। तो मैं यह कहता हूं कि डेमोक्रेटिक सेट अप में तर्क देना कानून क्या है, सरकार का डिस्क्रीप्शन है, इस प्रकार की परम्पराएं मैं कहूंगा कि स्वस्थ परमपराएं नहीं हैं। जहां तक कानून लागू करने का प्रश्न है अलवर, भरतपुर और अजमेर में कानून लागू हुए थे। तो देखना यह है कि कहां से रिप्रेजेन्टेशन आये? रिप्रेजेन्टेशन आये गंगानगर से न कि अलवर, भरतपुर से और गंगानगर में वह कानून लागू नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक जिले के रिप्रेजेन्टेशन पर सारे लोगों की गर्दन पर छुरी क्यों फेरी जाती है? अगर आप यह समझते हैं कि आपका स्पेशल फेवर गंगानगर से है और आप गंगानगर को स्पेशल क्लास मानते हैं और आप उन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते तो आपको चाहिये कि आप उनको स्पेशल मान कर उनके लिये कानून बनावें। मगर मैं यह कहूंगा कि यह स्वस्थ परम्परा के खिलाफ होगा। आपने जागीरदारी, जमींदारी,

Page No.52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बिस्वेदारी आदि सभी को खत्म किया और सब को आपने एक स्तर पर ला कर खड़ा कर दिया है और काश्तकार बना दिया है और जमीन पर सभी को बराबर के अधिकार दिये हैं और यह माना है कि जमीन की मालिक तो राजस्थान की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में मैं यह कहूंगा कि यह पोलिटिकल कन्सीडरेशन आपके सामने गंगानगर के लिये आया क्यों ? आप कहते हैं कि वहां पर इसके लिये मालिक नहीं कहने पर लोगों में आपस में झगड़े होते हैं और हत्याएं हो गईं ; इसलिये आपने इसको मालिक कहने के रिप्रेजेन्टेशन को स्वीकार कर लिया और ऑर्डिनेन्स निकाल दिया। आप इसके लिये यह तर्क देते हैं और कहते हैं कि इस 'मालिक' शब्द को यहां रखना इसलिये जरूरी है कि वहां पर गंगानगर में इस शब्द के न होने से हत्याएं हुईं और मुर्तबानसिंह होस्पिटल में पड़ा पड़ा यह चिल्ला रहा है कि मुझे भूमि से हटा दिया गया और मुझे मालिक नहीं समझा। क्या यह कोई किसी भी कानून में परिवर्तन करने की चीज़ है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की नई नई बातें पैदा करके नये टीनेन्ट पैदा करना अवांछनीय है। मैंने इस सम्बन्ध में अपने विचार कानून की दृष्टि से प्रस्तुत किये हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसी कानून की दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर आपने 'मालिक' शब्द को रखा तो स्थिति और भी गंभीर होगी। आपने टीनेन्सी एक्ट में जमीन एक्सचेन्ज करने का अधिकार दिया है। एक मालिक दूसरे मालिक से जमीन एक्सचेन्ज कर सकता है। सब क्लॉज़ (७) में आपने लिखा है :

'A Malik may exchange land in his occupation with land in the occupation of another Malik for the purpose of consolidation or otherwise.'

इसका क्या मतलब है ? एक मालिक अगर जमीन को एक्सचेन्ज करना चाहे तो वह दूसरे मालिक से ही कर सकता है। वह मालिक के अलावा किसी काश्तकार से अपनी जमीन एक्सचेन्ज नहीं कर सकता। अगर कोई एक मालिक है और उसके छोटे छोटे खेत हैं और दूर दूर हैं, अगर वह चाहे कि वह उसी प्रकार के दूसरे जमीन वालों से जमीन को एक्सचेन्ज करे तो वह नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे मालिक नहीं हैं। वहां पर अकेला ही मालिक है। वह ऐसी हालत में किसी काश्तकार से अपनी जमीन को एक्सचेन्ज नहीं कर सकेगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जब वह जमीन को एक्सचेन्ज किसी काश्तकार से कर नहीं सकता, रिडेम्प्शन का सूट वह ला नहीं सकता, पार्ट (१) में जैसा दिया हुआ है सब क्लॉज(४)में मोर्टगेज के बारे में उसको अधिकार नहीं है। आप बतावें कि वह कौनसी कोर्ट में जाकर दावा करेगा ? ये सारी बातें कुछ नहीं लिखी गई हैं। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधित्व के आधार पर यह संशोधन लाये हैं तो यह कानून काश्तकारों और बिस्वेदारों के हित में कतई नहीं है। यह कानून न तो परम्परा, न न्याय और न किसी को संरक्षण देने की दृष्टि से भी हितकर है। आपने 'मालिक' शब्द रखा है। क्या मालिक को लैंड रेवेन्यू नहीं देनी पड़ती ? देनी पड़ती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है; जिस प्रकार से काश्तकार देता है । काम सारा वही होगा उनको भी रेन्ट देनी होगी मगर उनका नाम आपने मालिक रख दिया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमे तो जो टीनेन्सी एक्ट में उनको राइट्स दिये हुए हैं उनसे भी नीचे पहुंचा दिया है । आपने यहां पर गंगानगर के लोगों के कहने से मालिक शब्द भले ही रख दिया है मगर उनको अधिकारों में टीनेन्सी राइट्स में जो उनको पहले अधिकार दिये थे उनसे भी नीचे पहुँचा दिया है । मैं यह कहूंगा कि आपने उनको केवल एक मात्र शब्द बदल कर धोखे में डाला है । वे समझते हैं कि हमको सब कुछ दे दिया, मगर ऐसी बात नहीं है । आपने तो वह किया कि किसी को फुला कर यह कह दिया कि आपके हल को हमने कंठा कह दिया । वह फूल गया । मगर यह मालूम नहीं कि हल को कंठा कैसे कह सकते हैं ? मैं यह कहूंगा कि राजस्व मंत्री ने उनको शब्द बदल कर और मालिक कह कर उनके गले पर छुरी फेर दी । वे लोग यह चाहते थे कि उनको मालिक कहा जाए । आपने उनको मालिक कह दिया बस अब क्या है । वे खुश हो गये कि हमको मालिक कह दिया है । मैं माननीय राजस्व मंत्री से कहूँगा कि इस तरह से उनको मालिक कह कर उनको धोखे में डाल कर कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और यह कानून के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है । मैं यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, इससे वे लोग न तो रेवेन्यू कोर्ट में अपने दावे कर सकेंगे, न रिडेम्पशन का सूट ला सकेंगे और न पुराने दावों में ट्रेसपासर से रिफन्ड ले सकेंगे ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो यह ऑर्डिनेन्स निकाला है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसके बारे में यह कहा गया है कि इसकी बहुत जरूरत थी । मैं समझता हूं कि अगर इसको मेरिट पर एग्ज़ामिन किया जावे तो यह ऑर्डिनेन्स टिकने वाला नहीं है । इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसको रिपील करने के आदेश एक स्पोर्ट्समैन लाइक स्प्रिट से दे दें । हमारे यहां विधेयकों को वापिस लेने के नियम नियमावली में लिखे हुए हैं । उनके अनुसार वे इसको भी वापिस ले लें । नियम मैं उनको बता सकता हूं । वे ऑर्डिनेन्स को समाप्त कर दें और राजस्थान में कोई खातेदार और गैर खातेदार व खुदकाश्त की कोई दूसरी क्लास पैदा न करें । न उनको कोई इस प्रकार की अलग क्लास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है । इससे तो आप कानून को और पेचीदा बनाने जा रहे हैं और इसके सिवाय और कोई इस कानून का मतलब नहीं है । इसलिये मैं राजस्व मंत्री से फिर निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें और कानून बनाना केवल गंगानगर के लोगों के रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर सही नहीं है । मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस कानून को कुछ समय के लिये टाल दें और रोक दें और इस पर रेवेन्यू बोर्ड या हाई कोर्ट में भेज कर इसके लिये उनकी राय लें तो आपको मालूम होगा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि उनकी क्या राय है ? लॉ डिपार्टमेंट की बात तो मैं नहीं जानता कि वे क्या कहेंगे ? लेकिन इस प्रकार के कानून को रेवेन्यू बोर्ड जो रेवेन्यू में ऑथोरिटी है उनकी राय लेने के बाद में यहां पर लावें तो ज्यादा अच्छा होगा । जिस स्थिति में यह कानून इस समय है, अगर इसी स्थिति में आपने इस कानून को पास किया तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि आप इससे काश्तकारों का कोई हित नहीं कर सकेंगे और आप अपनी डायरी में नोट कर लें कि ६ महीने बाद इससे बड़ी दिक्कत पैदा होगी और बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी और हमको कोई एमेंडमेंट बाद में फिर लाना पड़ेगा । रेवेन्यू बोर्ड या जुडिशियल कोर्ट से जब यह वापिस हमारे पास आएगा तो आपको एमेंडमेंट लाना होगा । इससे अच्छा तो यही हो कि अभी इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए और इसको पास किया जाए । इसी सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है । मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो ऑर्डिनेन्स निकाला है उसको माननीय राजस्व मंत्री वापिस ले लेंगे, अगर वापिस नहीं लेंगे तो मेरे संकल्प को स्वीकार करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

(१ म. प.)

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्रीजी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है यह बताते हुए....

श्री अध्यक्ष : यह होगा कि सारी बहस का उत्तर साथ ही आप दे दें । अभी तो पहले प्रस्ताव पेश कर दें और आगे कन्सीडरेशन के लिए ले लें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जमींदारी एन्ड बिस्वेदारी एबोलिशन (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ये मूव कर रहे हैं ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के संकल्प का समर्थन करते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ :

"That the Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition (Amendment) Bill, 1960, be referred to a Select Committee (names to be submitted later) which shall submit its report on the first day of the next session,"

श्रीमान् हमारा मंत्रि-मंडल राजस्थान सरकार को चलाने की नीति को निर्धारित करता है । इस मंत्रि-मंडल की नीति जनता में संतोष और असंतोष दोनों ही वातावरण को बनाये रखने की रही है । ऐसा क्यों होता है, ताकि संतुष्ट वर्ग इस सरकार और मंत्रि-मंडल

(मेजर श्री फतहसिंह)

की प्रशंसा करता रहे और असंतुष्ट वर्ग अपने कष्टों के मारे चिल्ला उठे और त्राहि त्राहि करके अपने संरक्षण के लिए इस सरकार की ओर ताकता रहे। श्रीमान्, जब राजस्थान बिस्वेदारी और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था, प्रेसिडेन्ट महोदय ने १२ फरवरी, १९५९ को इसकी स्वीकृति दी १५ नवम्बर, १९५९ को इसको सेटल्ड एरिया में लागू किया गया और १५ जनवरी, १९६० को अनसेटल्ड एरिया में यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के लागू होने से सम्बन्धित जनता में असंतोष पैदा हुआ और उस असंतोष को दूर करने के लिए अथवा उनको भुलावे में डालने के लिए राज्य सरकार ने केवल जनता को चकमा देने के लिए एक ऑर्डिनेन्स निकाला और उसको कानूनी रूप देने के लिए आज यह संशोधन विधेयक इस सदन के समक्ष विचारार्थ लाया गया है।

श्रीमान्, मैं यह बताना चाहता हूं, माननीय श्री सतीशचन्द्र के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, कि यह ऑर्डिनेन्स सर्वथा निरर्थक था, भ्रमात्मक ऑर्डिनेन्स था, उससे न तो मालिक को लाभ हुआ, न किसी खेवटदार को लाभ हुआ, न पुराने कहलाये जाने वाले किसी जमींदार अथवा बिस्वेदार को लाभ हुआ। यह तो राज्य सरकार की, या यों कहिये, सरकार को संचालन करने वालों की एक चाल मात्र थी ताकि वे जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से उनसे साठ गांठ कर सकें। श्रीमान्, जमींदार अथवा बिस्वेदार को मालिक नाम से सम्बोधित कर दिया गया है लेकिन उनके अधिकार काश्तकार से अथवा खातेदार काश्तकार से निकम्मे बना दिये गये हैं। इसके ऊपर मैं आगे चल कर प्रकाश डालूंगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को मालिक बनाया गया है जो इस कानून के लागू होते समय भूमि पर ओक्युपेशन में थे या भूमि उनके खुदकाश्त में थी। उसी पर उनको मालिक बनाया गया। लेकिन ऐसी भूमि है, बीड़ इत्यादि, जहां पर इन मालिकों का, खेवटदार का, बिस्वेदार अथवा जमीन्दारों का कब्जा है तो उस भूमि को भी राज्य सरकार ने अथवा रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने छोड़ कर बड़ी भूल की है। श्रीमान्, इस कानून को हमारे सामने लाकर यदि इस कानून को हम पास कर देंगे तो काश्तकार काश्तकार में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देंगे। जब कि राज्य में एक वर्ग मालिक कहलायगा तो दूसरा वर्ग खातेदार टिनेन्ट और गैर खातेदार टिनेन्ट कहलायगा। यह उचित नहीं है। श्रीमान् हमारे सब भूमि सुधारों की आधारशिला प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनायें हैं। प्लानिंग कमीशन की प्रस्तुत की हुई रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार हमें सब किसानों को, मध्यस्थ वर्ग को खत्म करने के बाद, ओनर शिप का अधिकार देना चाहिये। हम हमारे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उससे परे जा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के चेप्टर १२ शीर्षक "लैंड पोलिसी" पैरा १७ पेज १९० पर लिखा है: "The general policy should be to enable the tenants to become owners of land." यानि मध्यस्थ खत्म करने के बाद सब किसानों को भू-स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिये लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। राजस्थान

(मेजर श्री फतहसिंह)

सरकार ने जमींदारी–बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम को पास करके, अथवा इस अधिनियम में दिये गये अधिकारों के बाद भी भू–स्वामित्व के अधिकार अपने में निहित रखना चाहती है। यह हमारी निर्धारित पोलिसी के खिलाफ पड़ता है। यही नहीं, हमारी सेकिन्ड फाइव इयर प्लान....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : I think the Hon'ble Member is discussing the whole Zamindari Abolition Act. We are concerned only with particular amendment, while the Hon'ble Member says that the zamindari should not have been abolished at all. That will be going too far.

मेजर श्री फतहसिंह : No, Sir, what I am saying is that the Government is adopting a discriminatory attitude. One class is being made the owner, whereas the other is not being made the owner. That is why I am referring to the report of the Planning Commission which is the basis of the policy of your Government and which your Government as well as the whole of India should fellow. तो यही नहीं, श्रीमान्, चेप्टर ६ में रिफॉर्म्स और एग्रेरियन रीऑर्गेनाइजेशन के पैरा ३, पेज १७६, लास्ट सेन्टेन्स पर लिखा है :

"Thus, programmes for abolishing intermediary tenures, giving security to tenants and bringing tenants into direct relationship with the State with a view to conferring ownership upon them are steps which lead to the establishment of an agrarian economy based predominantly on peasant ownership."

यानी सेकन्ड फाइव इयर प्लान में प्लानिंग कमीशन ने इस बात पर एम्फेसिस किया है कि मध्यस्थता खत्म करने के बाद हम टीनेन्ट्स को ओनरशिप के अधिकार दें। आपने यहां से जागीरदारी प्रथा को अन्त किया, वहां आपने ओनरशिप का अधिकार नहीं दिया। जब आप किसी वर्ग विशेष को 'मालिकाना' नाम से पुकारते हैं, यह एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। यह होना हमारे सब के लिये उचित नहीं होगा।

श्रीमान्, एक तरफ तो हम साम्यवादी प्रथा का विरोध कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर भूस्वामित्व राज्य सरकार अपने में निहित रखना चाहती है। मैं सरसरी तौर पर बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से हम लोग साम्यवादी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट जो हमारे भूमि–सुधारों की आधारशिला है उससे बाहर जा रहे हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री इस बात से सहमत हों कि यह विधेयक प्रवर समिति के सामने जाय। वहां पर इन बातों पर गम्भीरता से और बारीकी से विचार करें कि इस प्रकार से एक वर्ग विशेष को मालिक नाम से पुकार कर किसान किसान में एक प्रकार से क्या हम भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की भावना पैदा तो नहीं करेंगे ?

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इसमें जैसा कि प्रावधान बनाया गया है ये मालिक लोग रेन्ट देंगे लैन्ड रेवेन्यू के स्थान

(मेजर श्री फतहसिंह)

पर। लेकिन आगे जाकर कहा गया है कि अगर यह जो लैन्ड रेवेन्यू अगर रेन्ट की बेसिक रेन्ट से कम पड़ता हो तो वह रेन्ट रेट बढ़ाई जा सकती है। इस संबन्ध में मैं श्रीमान्, आपकी मार्फत राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान अजमेर जिले के भीम तहसील और रायपुर तहसील के खेवटदारों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय हरिभाऊ उपाध्याय जो अजमेर की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं इनको वहां की किसानों की हालत से अनभिज्ञता है। इसीलिये जहां गंगानगर जिले के लोगों की पुकार को सुन करके राजस्व मंत्री महोदय ने यह कानून बनाने का इरादा किया है वहां अजमेर के खेवटदारों की पुकार उनके पास पहुँची या नहीं; यह मैं कह नहीं सकता। जहां तक मैं समझता हूं इस विधेयक में गंगानगर के लोगों का जिक्र है इसलिये मेरी मान्यता है कि अजमेर के किसानों की खेवटदारों की हालत को राजस्व मन्त्री महोदय ने इस कानून को बनाते समय ध्यान में नहीं रखा है या ड्राफ्ट बनाते समय ध्यान में नहीं रखा है। श्रीमान्. अजमेर जिले की भीम और रायपुर तहसील के खेवटदारों की विकट परिस्थिति है। उन लोगों के पास बहुत कम भूमि है। अधिकतर किसान ऐसे हैं जिनके पास एक-एक और दो-दो बीघा जमीन है। मैंने किसान के घर में जन्म लिया इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि मेरे स्वयं के पास दस बीघे से अधिक काश्त योग्य भूमि नहीं है। वहां के अधिकतर किसानों के पास, सत्तर प्रतिशत किसानों के पास दो-तीन बीघा से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं है। वह भूमि किस प्रकार की भूमि है? उस भूमि को या तो बड़ी बड़ी कीमत देकर खरीदा है; एक, एक बीघे के पीछे हजार रुपये, दो हजार रुपये तक दिये हैं या ऐसी भूमि है जो पहाड़ और चट्टानों को तोड़-तोड़ कर बड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद बनायी है। इसलिये जिस भूमि को परिश्रम के बाद बनाया है उस भूमि पर लगान लगाने के लिये वह कानून लगाया जाय जो गंगानगर के लोगों के लिये अथवा दूसरे लोगों के लिये लागू होता है, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और खेवटदारों की जो विकट परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए क्या रेन्ट होना चाहिये, इसमें तरमीम होने की आवश्यकता है। यही नहीं, श्रीमान्, वहां कुछ बीड़ भी हैं जहां से लोग पत्थर-पट्टियां निकालते हैं, जो गरीब लोग हैं जो उनको बाजारों में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन इस कानून में इस प्रकार का कार्य करनेवालों को भी छूट नहीं दी गई है ताकि वे अपने जीवन-निर्वाह के लिये खड्डे वगैरह खोदने के लिये खदानों का प्रयोग कर सकें। इसलिये इस पर बारीकी के साथ प्रवर समिति में ही विचार हो सकता है। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने की बहुत आवश्यकता है।

श्रीमान्, जैसा कि माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने बताया, यह कानून उन मालिकों के लिये अहितकर ही नहीं किन्तु बड़ा घातक होगा, इसका मैं प्रमाण देता हूं। इस अमेन्डमेन्ट बिल के क्लॉज ६ में के शिड्यूल के पार्ट बी के खण्ड (११) में यह है:

"(11) The interest of a Malik in the whole or a part of the land held

(मेजर श्री कन सह)

by him shall be liable to be sold in execution of a decree."

अर्थात् उस मालिक का अपनी भूमि पर कोई हित है उसको न्यायालय द्वारा डिक्री अदायगी में कुर्क तक किया जा सकता है अथवा बेचा जा सकता है। श्रीमान्, इस कानून में और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा ३७ में विरोधाभास भी हैं। धारा ३७ में यह अच्छी तरह बताया गया है कि :—

"The rights of a tenant in a holding shall not be liable to seizure, attachment or sale by process of any civil court."

एक तरफ तो आप जमींदार, बिस्वेदार और खेवटदार को मालिक के नाम से पुकारते हैं और दूसरी तरफ आप उनको उन अधिकारों के संरक्षण से वंचित रखना चाहते हैं, जो आपने टीनेन्सी एक्ट में दूसरे किसानों को दिया है। इसका मतलब यह है कि किसी को कुबेर के नाम से आप पुकारें किन्तु वह निर्धन है; कोई अन्धा है उसको आप नैनसुख के नाम से पुकारें, यह उसी तरह की बात है। अगर यह कानून पास हो जाता है यह हमारे लिये उन खेवटदारों के लिये, इन मालिकों के लिये बड़ा अहितकर होगा।

यही नहीं; यह सेक्शन ६० सिविल प्रोसीजर कोड की भावनाओं के विपरीत भी जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि उनकी भूमि पर कोई डिक्री ला सकता है, उसकी अदायगी में उसको बेचा जा सकता है, कुर्क किया जा सकता है। सिविल प्रोसीजर की धारा ६० में जो प्रोटेक्शन दिया गया है एक एग्रीकल्चरिस्ट को वह इससे नहीं मिलता। आप ऐसे बिल को जहां ड्राफ्ट्समेन के हाथ छोड़ देते हैं, यह उचित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुँचाने के लिये बनाया जा रहा है। एक बनिया वर्ग क इससे लाभ होगा जिसके पास खेवटदार, बिस्वेदार की जमीन रहन होगी, उसको बेची जायगी। श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूँ 'बनिये' से मेरा मतलब किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष से नहीं है। उन सब लोगों से है जो व्यापार करते हैं, धन्धा करते हैं, मनी लेन्डिंग करके ब्याज लेते हैं, जो जनता का शोषण करते हैं, उन लोगों से अभिप्राय है। अब इस कानून के द्वारा मालिक लोगों की धड़ाधड़ जमीन की नीलामी होगी, डिक्री और अटेचमेंट की कार्यवाही होने लगेगी और किसान की जमीन बिकेगी।

इसलिये श्रीमान्, मैं इस पर अधिक नहीं कह कर आपकी मार्फत माननीय राजस्व मन्त्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि यह कानून बड़ी बारीकी से सोचने का है और इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जावे ताकि मेरे द्वारा अर्थात् माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाये गये मुद्दों पर वहां भली प्रकार से विचार हो सके, जिससे हम लोग जो कुछ अपनी नीति निर्धारित कर रहे हैं उसको ठीक तरह से किया जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों में, किसान–किसान में डिस्क्रिमिनेशन होगा और असन्तोष की भावना जनता में जाग्रत होगी जो कि किसी भी शासन के लिये उचित नहीं है।

ठाकुर श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो....

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी और श्री भैरोंसिंह अपने प्रस्ताव....

(विराम)

आप जारी रखें।

ठाकुर श्री रघुवीरसिंह : प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने को मैं खड़ा हुआ हूँ।

इसके कारण, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय यह एबोलिशन बिल ओरिजिनली यहां आया था उस वक्त भी प्रस्ताव किया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जावें जिससे इस पर पूर्ण विचार हो सके क्योंकि यह कुछ ही जिलों में सही, मैं तो निवेदन करूंगा कि अलवर जिले में यह सिस्टम बिस्वेदारी का करीब करीब सत्तर साल से चल रहा है और जब हम सत्तर वर्ष के हकूक को खत्म करने जा रहे हैं तो आवश्यक है कि यह कानून बनाने से पहले इस पर गहराई से विचार करें।

पर उस वक्त किसी कारण से उचित नहीं समझा गया और इसको हरीडली पास कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज अमेंडमेंट आया और वह भी कन्फ्यूज्ड वर्स्ट, कनफ्यूज्ड है। इससे भी परिस्थिति साफ नहीं होती। मेरा ख्याल है इससे और नफ्यूजन क्रिएट होगा।

कहा यह जाता है कि बिस्वेदारों की मांग पर हम इसे ला रहे हैं। पर मैं नहीं समझता कि वे कौन से बिस्वेदार हैं जिन्होंने ऐसा सुन्दर अमेंडमेंट अपने लिये स्वीकार किया। इसका तो यह मतलब है, जैसी कहावत है :

'ढाई से दो कर दो
पर नाम दरोगा धर दो।''

हमारा सब कुछ चला जावे पर मालिक नाम हमारा न बिगाड़ा जावे। अगर यह बात है तो ठीक है, नहीं तो मैं निवेदन करूंगा कि इससे खातेदारी की जो उनकी हैसियत है उस हैसियत से उनकी परिस्थिति और भी बिगड़ जावेगी और इसके बिगड़ने के कारण साइकोलोजिकल दृष्टि से देखते हैं कि जब राजस्थान में ही नहीं सारे भारत में एक क्लास क्रिएट कर दी टीनेन्ट की, हम यह मान कर चले हैं कि सब जगह टीनेन्ट ही टीनेन्ट होंगे और किसी तरह का टैन्योर होगा ही नहीं, सब टीनेन्टों को भी खातेदार टीनेन्ट कहिये या परमानेन्ट टीनेन्ट कहिये, उसमें परिणत करने जा रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि हम यह नई क्लास क्रिएट करें।

तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस कानून को क्या संज्ञा दी जावे, इसे प्रगतिशील कहा जावे या रिट्रोगेटिव यानी प्रतिक्रियावादी। ताज्जुब यह है कि अपने को प्रगतिशील कहनेवाले दल की सरकार ने इस प्रतिक्रियावादी कानून को ऑर्डिनेन्स के जरिये लागू किया। इसलिये निवेदन यह करूंगा कि इस पर बहुत सोचने की जरूरत है। हम अब तक का जो लेजिस्लेशन है एग्रीकल्चर टेन्योर का, उसमें नई क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं और जब एक नई क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं तो देखना यह होगा कि उनका और भी जो क्लासें हैं उनके साथ क्या सम्बन्ध है? उनसे हल्के उतरें या भारी पड़ें। अगर हल्के उतरते हैं तो साफ है इस कानून से आप उनके साथ भलाई करने जा रहे हैं

(ठा० श्री रघुवीरसिंह)

और अगर भारी उतरते हैं तो दूसरी क्लासेज़ में हार्ट बर्निंग पैदा हो जावेगी और एक क्लास जो खत्म हो चुकी थी वह फिर जिन्दा हो जावेगी। आधा गांव मालिक हो और आधा गांव टीनेन्ट। यह डिस्क्रिमिनेशन की भावना बनी रहेगी। इससे पार्टीबाजी और लड़ाई-झगड़े होंगे, जो खत्म हो चुके थे। आप उनको फिर जिन्दा करोगे। आप एक चिनगारी फिर छोड़ रहे हैं जो आगे जाकर बहुत बड़ी आग का रूप धारण कर लेगी। इसलिये निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव है वह ठीक है। ठीक है, आपको जल्दी है तो दो-तीन दिन में ही सिलेक्ट कमेटी में पास करवा कर यहां मंगवा लें।

हमें सोचना होगा कि यह नई क्लास जो हम फिर से क्रिएट करने जा रहे हैं उससे क्या परिणाम निकलेंगे? कहीं ऐसी बात तो नहीं हो जावेगी कि हमें फिर उस पर पछताना पड़े या थोड़े दिन बाद जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि सरकार को फिर दूसरा ऑर्डिनेन्स और अमेंडमेंट लाना पड़े?

मैं निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट के मारे रूरल इकोनोमी भी डिस्टर्ब होगी, एक तरह से सत्ता और अधिकारी वर्ग के प्रति विश्वास नहीं रह जावेगा। इसलिये मेरा तो यही निवेदन करना है कि इसको बहुत गहराई से सोचना चाहिये, यह नहीं कि 'खातेदार टीनेन्ट' की जगह 'मालिक' शब्द रख दिया। अगर उनके हकूक वही होने हैं जो खातेदार के हैं तो फिर 'मालिक' नाम रखते ही क्यों हैं? नई चीज़ आपके दिमाग में पैदा ही क्यों हुई? इससे क्या होगा कि आज नहीं तो दस-पांच वर्ष बाद जो लोग इस कानून को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में यह बात फौरन आवेगी कि 'खातेदार' और 'मालिक' शब्द में डिफ्रेन्स होना चाहिये और वे वह डिफ्रेन्स ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे तो उस समय यह चीज़ 'मालिकों' के लिये हानिकारक होगी। तो मैं तो यह निवेदन करता हूं कि जब खातेदार और मालिक में लाएबिलिटीज़ और अधिकारों में डिफ्रेन्स नहीं करना चाहते, उनको एक स्तर पर रखना चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि उनको नया नामकरण करके खामख्वाह ही एक क्लास और पैदा कर दें और झगड़े का कारण खड़ा कर दें और खामख्वाह लेजिस्लेटरों के दिमाग में फितूर पैदा करें कुछ सोचने के लिये कि 'मालिक' शब्द जब रखा है और डिफ्रेन्शियेट किया है, खातेदार और मालिक में, तो इसमें जरूर कुछ बात होगी और इसलिये इनको भी खत्म किया जावे। तब वे अपने कर्मों को रोवेंगे जब खत्म होंगे। तब सोचेंगे कि यह 'मालिक' नाम नहीं धरते और खातेदार ही होते तो शान्ति से बैठे तो रहते। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाय और गहराई से विचार किया जावे कि यह कानून कहां तक हमारी लैंड पॉलिसी में फिट-इन होता है और जिनके हित के लिये कहा जाता है उनके हित में है भी या नहीं या अहित में है। यह गहराई से सोचने के लिये प्रवर समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, यह मुझे आशा है।

श्री अध्यक्ष : श्री राव नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधेयक को प्रवर

(राव श्री नारायणसिंह)

समिति में भेजने के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की । इस विषय में मेरी यह मान्यता है कि जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनको मद्देनजर रखते हुए जो राज्य सरकारने यह संशोधन निकाला और इसके पहले एक ऑर्डिनेन्स जारी किया उसकी आवश्यकता है और थी । मैं समझता हूं, यह बड़ा ही उचित कदम था ।

इस विषय में अभी अभी हमारे एक माननीय सदस्य अजमेर का ही एक दृष्टान्त लेकर कह गए कि अजमेर के बिस्वेदार और खेवटदार कुछ विशेष परिस्थिति में थे । वास्तव में भूमि के मालिक होते हुए भी उनकी स्थिति एक अदने काश्तकार से अच्छी नहीं है । ऐसी स्थिति में इसके अलावा और कोई चारा नहीं था ।

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार का भू-खंड इस तरफ है कि पहाड़ी जमीन को काटकर वे अपने खेतों को बनाते हैं और जो प्रयास वे करते हैं अपनी जमीन को ठीक बनाने में ते वास्तव में देखा जावे तो ऐसा प्रयास है कि सारी ही जमीन को बिल्कुल नई पैदा करते हों । इन सब वजूहातों को देखते हुए और दूसरी भौगोलिक, ऐतिहासिक और इन भूमिकाओं को देखते हुए जब इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन राज्य सरकार के सामने हुआ तो मैं तो समझता हूं कि राज्य सरकार ने यदि एक कदम उठाया और ऑर्डिनेन्स भी जारी किया तो अनुचित कार्य नहीं किया ।

जिस समय अजमेर की भूमिका एक माननीय साथी बता रहे थे और यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि आज कुछ स्थिति बिल्कुल अलग है और उस अलग स्थिति को देखते हुए उनके जो बिस्वेदारी पुराने के हक हैं वे कायम रखे जाने चाहिए तो इसमें उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कही । मुझे समझ में नहीं आया कि जब वह डिस्क्रिमिनेशन की बात कहते हैं, यह मालिकाना हक देने में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है तो मैं नहीं समझता कि उससे उनका कोई खास आशय था । आया यह मतलब था कि मालिकाना हक नहीं देने चाहिए एक ही टीनेन्सी देनी चाहिए या कोई अर्थ था, मैं समझ नहीं पाया ।....

मेजर श्रीफतहसिंह(भीम): ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, जो मैं चाहता था वह यह था कि राजस्थान के समस्त किसानों को यह मालिकाना हक प्रदान किया जाना चाहिए । अगर मालिकाना हक किसी,को मिलता है तो राजस्थान के सभी किसानों को मिलना चाहिए । केवल गंगानगर के जमींदार या भरतपुर के या अजमेर के खेवटदारों को ही नहीं, बल्कि सब किसानों को मिलनी चाहिए । हमारी जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है,वह भी इस बात की सिफारिश करती है ।

राव श्री नारायणसिंह : (जारी) तो जहां यह डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है वहां हमें यह भी देखना पड़ता है । आज भी टीनेन्सी एक्ट के मातहत खातेदारी और काश्तकारी दो प्रकार के टेन्योर्स हैं और उन दोनों प्रकार के टेन्योर्स को रखने में विशेष भूमिकायें हैं । उनके पीछे इतिहास और उनके पीछे एक कानूनी स्थिति आती है ! इसलिए एक वर्ग को खातेदार बनाया गया और

(राव श्री नारायणसिंह)

दूसरे को काश्तकार । यदि बिल्कुल एक ही लकीर खेंच दी जाती तो कानून युनिफॉर्मिटी का दावा कर सकता था, डिस्क्रिमिनेशन हट सकता था लेकिन इस प्रकार की जो सारी क्लॉजेज़ हैं उनका ख्याल न रख कर एक गल्ती हो सकती है। अभी अभी प्लानिंग कमीशन ने जो लैंड पॉलिसी के अन्तर्गत सिफारिशें की हैं उनके बारे में बताया गया कि ओनरशिप भी है और मध्यस्थों को हटा-कर उनको खत्म करने के बाद काश्तकारों को पूरा हक देने की पुरजोर सिफारिश है। लेकिन इस 'ओनरशिप' शब्द को काफी छान-बीन करने के बाद ऐसा लगता है कि यह भी एक कई अर्थों वाला शब्द है। इसके माने यही नहीं होते कि उनको प्रोपराइटरशिप ही दे दी जाये। इस दृष्टि से तो खातेदार भी एक शक्ल में ओनरशिप रखते हैं, कुछ बण्डल ऑफ राइट्स उनके पास भी हैं। तो 'ओनर-शिप' के शब्द को रख कर अधिक दुहाई नहीं दे सकते। लेकिन आज हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जिस प्रगति से हमारा समाज चल रहा है आज कई प्रकार की बातों के लिए वह इन्तजार नहीं करना चाहता। आज जो कुछ भी सामाजिक प्रभाव हैं, प्रेशर हैं उनकी वजह से आज एक कदम उठाना जरूरी हो जाता है। वास्तव में कृषि सम्बन्धी जो कुछ भी विकास की बातें चल रही हैं और जो कुछ भी कानून बन रहे हैं वे एक ऐसे समाजवादी तत्व के सामुहिक प्रभाव से बन रहे हैं कि जिन्हें आज पूरा करना कठिन है। एक तरफ तो पब्लिक की डिमाण्ड है, प्रेशर है और दूसरी तरफ वस्तु स्थिति का खिंचाव है। इस खिंचाव में और इस प्रेशर में आज किसी भी सरकार को या सत्ताधारी को अपना काम चलाने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठता है उसको यह भी ख्याल करना पड़ता है कि वस्तु स्थिति क्या है और वस्तु स्थिति का ख्याल रखते हुए सामाजिक प्रेशर को भी नहीं भूल सकता। जहां समाजवादी तत्वों का सामूहिक प्रेशर बनता है वहां मैं निश्चय ही यह मानता हूं कि कानून बनने के बाद जिन तत्वों के ऊपर कुछ असर पड़ता है, उसमें किसी न किसी प्रकार से बहते हुए रहें। क्योंकि वह तो एक प्रकार की प्रगति की ऐसी ही धारा बनती है और उसके साथ बहना पड़ता है। लेकिन जब कानून का कुछ असर किसी विशेष तबके पर पड़ता है तो उनको उससे ऐतराज हो सकता है। इस ऐतराज को मद्देनजर रखते हुए सरकार की एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। लेकिन आज हमारी सरकार इस बात पर कटिबद्ध है कि समाजीकरण को प्रजातंत्र की पद्धति से करना है न कि टोटेलिटेरियन पद्धति से उसको आगे सरकाया जाये। इसलिए मिश्रित इकोनोमी और कई प्रकार की वैधा-निक दिक्कतों के साथ भी वह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी कठिनाइयां आना स्वभाविक हैं। आज यदि हम समाजवाद की बात करते हुए चीन की दुहाई दें तो चीन में जिस समय समाजवादी तत्वों का प्रसार किया गया तो पहले कृषि में वह तत्व गये। एग्रीकल्चर का पहले समाजी-करण हुआ और उसके बाद में उद्योग इत्यादि की तरफ अग्रसर हुए और उसमें भी शनैः शनैः अग्रसर होने का प्रोग्राम है। तो वह भी आज इस वस्तु स्थिति को मान कर चल रहे हैं कि किस हद तक समाजीकरण किया जा सकता है और उसी दृष्टि से यहां पर पहला कदम

(राव श्री नारायणसिंह)

कृषि की तरफ उठाया जाये तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि यह आखिरी कदम होगा। यह दूसरे तत्वों को भी देखेंगे और उसी का यह हुक्म है। पहले जो वास्तविक उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें पहले समाजीकरण का इन्तजाम नहीं कर सकते इसलिए वह चीज बन रही है। आज देश में जो वस्तु स्थिति है उसमें ग्राम्यावस्था पराधीन रहने की परिस्थिति में है। उसके कारण आज सारी ग्राम अर्थ-व्यवस्था के तत्व कुछ घुलमिल गए से नजर आते हैं और उनका तकाजा रहता है कि जितने भी भूमिपति बिना किसी खुदकाश्त किए हुए बैठे रहें ऐसी चीज़ को बरदाश्त करने के लिये लोग तैयार नहीं हैं। सारे देश में इस बात की मांग है कि हमें भूमिहीनों को स्थापित करना है और जो एब्सेन्टी लैण्डलार्डिज्म है उसको बिल्कुल खत्म कर देना है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप इसके पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में ?

राव श्री नारायणसिंह : उस दृष्टि से आज जो भी कदम उठा रहे हैं उसमें एक नीति का प्रभाव है, एक पब्लिक डिमाण्ड का प्रेशर है और उसके साथ ही साथ वस्तु स्थिति का अवलोकन भी आवश्यक हो जाता है। इसलिये इस प्रकार का तथाकथित डिस्क्रिमिनेशन भी सामने आने का अवसर होता है लेकिन वस्तु-स्थिति को देखते हुये उसको बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। अब जब बिस्वेदारी, खेवटदारी उन्मूलन का कानून आया तो खास तौर से अजमेर में शामलात के ऊपर कुछ विचार उठे और लोगों ने कहा कि आज जो पुश्तैनी शामलात खेवटदार थी वह भी खत्म हो गई यह सरकार की बड़ी भारी ज्यादती हुई, ऐसा प्रचार किया गया लेकिन यहां मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि 'शामलात' का शब्द ही बिल्कुल स्पष्ट है। जो पुरानी समाजवादी परम्परा थी उसका एक बचा हुआ रूप है। पहले खास करके अजमेर में जहां पहाड़ी गांव हैं वहां और मारवाड़ जो प्रान्त है उसमें खास तौर से करीब करीब विलेज पॉलिसी और इकॉनोमी इस प्रकार से गठित थी कि उसमें अगर बाहर का शासक आता भी तो उसको नजर अन्दाज नहीं कर सकते थे। जिस समय ब्रिटिश सरकार आई तो उसको भी इसमें मुंह की खानी पड़ी तभी वह व्यवस्था टूट पाई।

कई जगह के ऐसे भी दृष्टांत हैं कि कई गांवों में चार-चार, पांच-पांच साल तक फौजें पड़ी रहीं, उसके बाद वहां की परिस्थितियां बदलीं और वे फौजें वहां से हटीं। तो मैं उस समय की याद दिलाता हूं, तो मेरा मतलब यही है कि उस स्थिति में एक शामलात का स्वरूप बना और सारा गांव उस शामलात का अधिकारी है। उस स्थिति में कोई सेटलमेंट नहीं हुआ लेकिन उसके बाद जो शामलात का जो हक था वह व्यक्ति के पास नहीं था, वह सारा उस गांव के कुटुम्ब के पास निहित था और गांव का वह कुटुम्ब ही, गांव के सब लोग मिल करके ही खेती की और उपज की व्यवस्था करते थे बाकी को जमीन बचती वह शामलात से उसका प्रबन्ध करते थे। आज जब ब्रिटिश सरकार वहां आई, वहां सेलटमेंट हुआ तो सब के हक अलग अलग हुए,

(राव श्री नारायणसिंह)

हदबन्दियां हुईं और उनका परिणाम यह हुआ कि उनके हक जो गांव की हदान में थे वे वकीलों की पोथी में चले गए, उनको कचहरियों में जाना पड़ा और कई जगह झगड़े पैदा हुए और किस प्रकार से शामलात में असर पड़ा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बहस कर रहे हैं उसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य जो बहस कर रहे हैं वह बहुत अहम मसले पर बहस कर रहे हैं, वह बहुय अहम मसला है, मगर इस बिल में तो इतना है कि जो जमींदार और खेवटदार हैं खुदकाश्त जमीनों के लिये उनको खातेदार या काश्तकार माना जाय, मालिक माना जाय, शामलात की जमीनों से इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है। 'Shamlat Deh' has been dealt with separately in Zamindari Abolition Bill. इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर टू दी पोइन्ट रहें तो ठीक होगा।

राव श्री नारायणसिंह : राजस्व मन्त्रीजी की यह आशंका कि शामलात के प्रति जो कार्यवाही हुई है उसके खिलाफ कह रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो उसके पक्ष में ही कह रहा हूं। यह शंका गांवों में उठी हुई है और यह विवाद कर रहे हैं कि शामलात से वास्तव में अन्त में क्या परिस्थिति हुई है। शामलात के केसेज़ खड़े हुए हैं और शामलात के झगड़े खड़े हुए हैं, खेवटदार बन गए, शामलात होने पर वे इसमें रहे और बाकी के गांव अलग रह गए। शामलात होने के कारण ही सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी और राज्य सरकार ने यह कदम उठाया शामलात के ऊपर। वह चाहे एक वर्ग का हो चाहे पचहत्तर हजार का हो लेकिन उस पर गांव का हक रहना चाहिए और इसके अन्दर पंचायतों में भी झगड़े उठ खड़े हुए हैं और राजस्व के अधिकारियों को शामलात के मामलों का अधिकार मिला है। अब यह बात अलग है कि शनैः २ शामलात के लिये ग्राम पंचायतें जोर देंगी और मैं तो कहता हूं कि ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शामलात के लिए काम करने में कोई गल्ती हुई है। आज शामलात का रूप बिगड़ गया है और उसमें जो गल्तियां पाई गईं तो उसके निराकरण के लिये यह कदम उठाना पड़ा। वहां पर जो कदम उठाने पड़े उसके पक्ष में ही मैं कह रहा हूं। लेकिन आज गांवों में गलतफहमी है, उसको स्पष्ट करने की मंशा से ही मैंने यह निवेदन किया। इसके अलावा कुछ तथ्य ऐसे आते हैं इस विधेयक में जो विचारणीय हैं और उनमें एक तो यह है, "date of vesting".

यदि किसी खेवटदार ने अपनी माली हालत से या विशेष परिस्थिति से किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन भी दे रखी है और उसे गिरवी रखने के दौरान में यदि उस मोर्टगेजी ने उस जमीन को और किसी को काश्त करने के लिये दे दी, क्योंकि वह मोर्टगेजी वास्तव में खुदकाश्त नहीं कर रहा है इसलिये यदि उसने किसी काश्तकार को जोतने के लिये दे दी है तो आपके इस सिद्धान्त के हिसाब से 'ए' यदि ओरिजिनल माना जाय और 'बी' के पास गिरवी रखता

राव नारायणसिंह)

है और 'बी' 'सी' को काश्त करने के लिये जमीन देता है और आपके अनुसार वह 'सी' की जमीन बन जाती है और उसे ही हक मिल जाता है खातेदारी का। इसलिये भी इस बात को दृष्टि में रखने की आवश्यता है कि 'ए' ने विशेष परिस्थिति में अपनी कमजोर माली हालत के कारण किसी को गिरवी रखी और उस गिरवीदार ने किसी दूसरे को दे दी और सिर्फ इस वजह से अगर वह जमीन दूसरे के नाम हो जाती है तो वास्तव में एक तो पहले ही मरा हुआ था, इसीलिये उसने अपनी जमीन गिरवी रखी और अब उसको उस ज़मीन को वापिस प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं रहा, बल्कि उस गिरवी के दौरान में जो जमीन दूसरे को काश्त के लिये दे दी तो वह उसका मुआवजा भी खो बैठा; तो आज इस दृष्टि से भी इस पर विचार करने की खास आवश्यकता है। दूसरा, जो मालिक के ऊपर लाएबिलिटी है जिसका यहां जिक्र किया गया है और जिसके लिये मैंने एक संशोधन भी दिया कि जो इसके पार्ट 'बी' के आठवें आइटम में यह लिखा है :

"(8) The amount of such rent shall be liable to enhancement on one or more of the following grounds, namely:-

(i) When the rent payable by the Malik is substantially less than such rent calculated at the sanctioned rent-rates:......" तो यह बात तो ठीक है कि इन रेंट रेट्स के मामले में भी एक खास प्रकार का समानीकरण होना चाहिये, लेकिन आज जैसे अजमेर के भूमिकों के विषय में है कि वहां पर जो सेटलमेंट हुआ था लालसिंह सेटलमेंट, जो फसली १९९८ का है। सन् १९४२ में जो सेटलमेंट हुआ था उसमें जो उनके ऊपर तस्दीक हुआ उसके मुताबिक लैंड रेवेन्यू के अनुसार ४०६ खालसा के गांव जो अजमेर के थे उनका पौने तीन लाख या चार लाख का लैंड रेवेन्यू बना और वही चला आता है। उस दृष्टि से भी यदि हम देखें तो पूरे आंकड़े दस लाख के आ जाते हैं। दस लाख के ऊपर यह सारी चीज़ हुई है। अब आज यदि मार्केट रेट बढ़ गई है तो उसके साथ यह भी देखना है कि कन्ज्यूमर्स गुड्स की प्राइसेज भी बढ़ी हैं और जब प्राइजेज बढ़ी हैं तो उसी तरह कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी फर्क आया है। तो इसको बिना दृष्टि में रखे यदि हम एनहांसमेंट करेंगे तो उनके ऊपर एक खराब असर कर सकता है। इसके विषय में मैं जब अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करूंगा उस समय विशद रूप से कहूंगा। इसके अलावा जो लायेबिलिटीज़ के ब्यौरे में, पार्ट 'बी' में सेक्शन ११ में रखा गया है उस विषय में अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा और मैं यहां विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि clause 9, sub-clause ११ के हिसाब से "(11) The interest of a Malik in the whole or a part of the land held by him shall be liable to be sold in execution of a decree."

वास्तव में in execution of a decree अगर मालिकों के सारे इन्टरेस्ट को ही सेलेबल कहा जाता है, यह हमारी बुनियादी नीति है। लेकिन इससे एक थोड़ा सा अंदेशा पैदा करने वाली बात बनती है। इस विषय

(राव श्री नारायणसिंह)

में टीनेंसी एक्ट में भी एक्शन दिया हुआ है जिसका अभी जिक्र हुआ था और उसके अलावा भी यदि इस प्रकार से यह सवाल आता है तो वह सेल न तो मालिकों के इन्टरेस्ट में है और न स्टेट के इन्टरेस्ट में है।

असलियत में यह सेल होने की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब कि एक कर्जदार होगा, जब कि वह भूमि को रखने के काबिल नहीं रहेगा, उस वक्त जो खुद काश्तकार नहीं हैं वैसा वर्ग उसमें चला आयेगा । इस दृष्टि से वह जमीन खुद काश्तकार के हाथों से दूसरों के हाथों में जाने जैसी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ ड्यूज के जो कानून हैं, उसके बाद में अजमेर कोड़ है । उसमें यह प्रोवाइड किया गया है कि किसानों की ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड पर डिक्री नहीं होगी उनको उससे एग्जेम्प्ट किया है और अभी सी. पी. सी. के सेक्शन ६० का जिक्र किया है जहां कि कई प्रकार के एग्जेम्पशन्स हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए और हमारी बुनियादी नीति को दृष्टि में रखते हुए मालिक की जमीन डिग्री में बिक जाय, इस बात से सतर्क रहना है और ऐसी चीजों को भी यहां से उड़ा देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा कई प्रकार के और भी सुझाव आये और कई प्रकार के प्रश्न जो उठाये हैं कि मालिकों को दरख्त काटने का हक नहीं रहेगा, लेकिन वास्तव में यदि हम इन संशोधनों को पूरी तरह से देखें तो मालूम पड़ेगा कि जितना हक खातेदार को रहेगा अपने निजी उपयोग की लकड़ी को तो फिर भी काट सकेगा । यह तो एक सामान्य नीति है जो कि वन संरक्षण के लिए और वनस्पति संरक्षण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं उनमें जहां तक हो सके फालतू जो कटाई हो रही है उसको रोकने की तरफ राज्य सरकार काफी ध्यान दे रही है। उस दृष्टि से जितने हक इसमें दिये गये हैं वह कोई बहुत कम हक नहीं हैं। वास्तव में वे राजस्थान की सारी परिस्थितियों के समान ही हैं और उससे प्रचार नहीं बन सकता कि उनको दरख्त काटने का बिल्कुल हक नहीं रहेगा ।

अब जो यह संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, मैं जैसा निवेदन कर चुका हूँ, कई वस्तुस्थितियां, कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिनमें आज जो राज्य सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी यह कदम उठाये हैं उनको थोड़ा सा रोकने की जरूरत है । जो मानसिक परिस्थितियां हैं । खास तौर से जो मनस्तत्व की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है इस कानून के बनने से उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी दृष्टि से एक नई टेन्योर जैसी ही कायम करनी पड़ी जिससे इतनी राहत मिल सकी है जो आज की समाजवादी स्थिति में उतनी राहत देने की कोशिश की गई। यदि इसमें कोई कमियां रहती हैं, कोई व्यावहारिक कमियां रहती हैं तो जरूर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज कोई मान्य नहीं कर सकता है कि राजस्थान सरकार भूमि सुधार सम्बन्धी जो कुछ भी कदम उठा रहे है वह रिट्रोग्रेड हैं या वह सही नहीं हैं । वो कुछ उतावले से कदम उठाये जा रहे हैं, पूरी लगन से कदम उठाये जा रहे हैं और उन कदमों की सराहना भी हुई है । हम भूमि सुधार

(राव श्री नारायणसिंह)

सम्बन्धी कानूनों में काफी आगे बढ़े हुए हैं और उस आगे बढ़ने में यदि कोई व्यावहारिक दिक्कत आती है तो पीछे कदम हटाने में कोई दोष नहीं है। आज जो संशोधन हमारे सामने है वह खास तौर से उसी दृष्टि से से है। यदि हमने कुछ मालिकों की दरख्वास्त पर उनको मालिक ही रखना ठीक समझा और कुछ विशेष कानूनी आपत्ति ऐसी थी जिससे उनकी थोड़ी बहुत विशेषता रह जाय तो उसमें कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ। लेकिन यह बात जरूर है कि इस नये टेन्योर की वस्तुस्थितियों को देखते हुए यदि हम खड़ा करते हैं तो कहीं ऐसी कानूनी गुत्थियां पैदा न कर दें जिससे कोई आगे अड़चन आये जिनका अभी अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया भी है और खास तौर से माननीय श्री अग्रवाल ने कहा था कि लैंड होल्डर की डेफिनीशन में मालिक को रखा गया है। मैं इसकी पूरी कानूनी स्थिति को स्टडी नहीं कर पाया हूं, लेकिन यदि लैंड होल्डर की स्थिति में रखने से रेवेन्यू बोर्ड इत्यादि से अलग होकर सिविल सूट देने की डिक्री में पड़ना पड़ता है तो इस बात को विचारना चाहिए और उनको टीनेन्ट की ही डेफिनिशन अथवा दूसरी डेफिनिशन में लेने का प्रयास करना चाहिए।

इन सब बातों को देखते हुए यदि इस विधेयक को दो, तीन दिन के लिए प्रवर समिति में भेजा जाय तो भी कोई अनुचित नहीं होगा। वहां इस पर पूरी तरह से विचार किया जा सकता है। और बाकी मैं इसमें नहीं समझता कि कोई अधिक संशोधन होंगे। यदि सदन की तत्परता है कि यहां पर यह सब कार्य हो सकें तो बात अलग है, लेकिन प्रवर समिति में जाने से २-३ दिन में इसका कोई सही स्वरूप निकल सकता है जिससे काफी शिकायतें दूर हो जायं। अब रहा सवाल कि शिकायतें खड़ी की जाने के लिए ही शिकायतें खड़ी की जानी चाहिए तो वह शिकायतें तो कभी भी खत्म नहीं होंगी। वह तो हमेशा बनी रहेगी। कोई भी कानून निकलेगा उसका किसी न किसी सामाजिक तबके पर असर पड़ेगा ही और उस असर को आज लेने की क्षमता होनी चाहिए। यह जरूरी है कि सुधारक कानून को बनाने में हम जल्दी में ऐसी चीज़ नहीं कर जायं कि जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव पोटेन्शियेलिटी है उसमें फर्क आये, या हमारी बुनियादी नीति को बनाने में फर्क आये।

आज यदि हम भू-स्वामित्व को पूरी तरह से अलग करना चाहते हैं तो यह भी उसके साथ साथ अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ पूरी प्रवृत्ति रखें और उसमें राज्य सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, उसकी भी पूरी तरह जांच करें और जिन लोगों में यह कोऑपरेटिव बनाना है वहां पर वह किस प्रकार से सफल हो सकता है, उनका उसमें किस तरह से विश्वास पैदा हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए। आज भी मैं थोड़े से शब्द यह कहूंगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की ओर कदम उठाये जा रहे हैं और कुछ कोऑपरेटिव फार्मिंग निकले भी हैं तो वह इस प्रकार के हैं कि किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि रही है और सीलिंग इत्यादि आये हैं तो अपने ही रिश्तेदारों में बांट कर

(राव श्री नारायणसिंह)

उसका एक कोऑपरेटिव फार्म बना लिया, और ऐसे कोऑपरेटिव फार्म्स को अनुदान मिला है, और कोऑपरेटिव फार्मिंग की गिनती में ले लिये गये हैं। तो इस प्रकार....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह राजस्थान की घटना है क्या ?

राव श्री नारायणसिंह : ऐसा कई जगह है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में ?

राव नारायणसिंह मसूदा : ऐसी स्थितियों के ऊपर हमें सतर्कता रखनी चाहिये और जो कोऑपरेशन खड़ा हो वह ग्रामीणों की खुद की आवश्यकताओं से, उनकी समझ से, उनकी एप्रीसियेशन से ही उस गांव से ही खड़ा होना चाहिये। इस तरह का हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। कई कोऑपरेटिव सेक्टर्स में इस प्रकार की बातें हैं जिसका यहां अवसर नहीं है, लेकिन आज उन बातों को दूर करके उनको इस प्रकार की बनायें कि जिससे कोऑपरेशन सफलतापूर्वक चल सके और नीचे के स्तर में कॉन्फिडेन्स पैदा हो सके, विश्वास पैदा हो सके। तो वह कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरी तरह से और सही तरह से चल सकेगा। मैं अधिकाधिक इस बात पर जोर दूंगा; क्योंकि आज हम जब कई प्रकार के स्वामित्व को ठीक नीचे के स्तर तक समाप्त कर देना चाहते हैं और एक समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं तो उस सम्बन्ध में हमें उसका ऑल्टर्नेटिव पूरी पूरी तरह से कायम किये बगैर यदि हम उतावले में काम कर जाते हैं तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है और एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि कोई गाड़ी में जा रहा था उसकी गाड़ी ले ली गई और उससे कह दिया गया कि जीप आयेगी और वह जीप कभी नहीं आई। तो आज मैं इस बात पर जोर लगाऊंगा कि जो खेवटदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन और इस प्रकार के कई दूसरे कानून बना कर भूमि सुधार को ठीक आखिरी दौर तक ले जाना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को नहीं भूलें और राज्य सरकार को इन दोनों विभागों को, दोनों पालिसीज़ को इस प्रकार से समन्वय में लाना चाहिये जिससे यह एक दूसरे के पूरक हों और एक के गृहीत होने से दूसरे के नहीं होने की कमी किसी को महसूस न हो। आज यदि यह हो सकता है तो अधिकांश असंतोष जो पैदा होता है या पैदा कर दिया जाता है उसको वह अवसर नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने आसन को ग्रहण करता हूँ और समझता हूं कि यदि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाय तो अनुचित बात नहीं होगी।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : On a point of clarification......

श्री अध्यक्ष : मैं सारे माननीय सदस्यों से और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ....

मेजर श्री फतेहसिंह: I want to know from the Hon'ble Member...

श्री अध्यक्ष : Just a minute please. बहस के दौरान में कई ऐसे मसले आये हैं जिससे इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय २, ४ दिन के लिए तो सारे पोइन्ट्स

(श्री अध्यक्ष)

साफ हो सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो सदन स्थगित हो उसके पहले की तारीख दे दें ताकि वह प्रवर समिति में चला जाय और बिल बाद में पास भी हो जाय।

२ म० ५०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव मैं मान सकता हूं लेकिन आपकी आज्ञा से कुछ बातें जिन पर लोगों ने आपत्ति की है उनके बारे में आप फरमावें तो अर्ज कर दूँ। जो गलतफहमी हो रही है उसे मिटाना ठीक रहेगा। यह प्रवर समिति में इस प्रकार से जावे कि विदिन थ्री टू फोर डेज़...

श्री अध्यक्ष : अगले शुक्रवार तक रख लें ताकि नेक्स्ट वीक में हम इसे यहां ले लेंगे; दो-तीन दिन में सर्क्युलेट वगैरह हो जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : लास्ट डेट अगर अगले शुक्रवार को रख लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : I want to know from the Hon'ble Member whether he is in favour of conferring ownership rights on the Biswedars, Zamindars and khewatdars and, if so, why he is not in favour of conferring the same rights on other khatedaritenants of Rajasthan ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I would like to know what the Hon'ble Member means by ownership, and what is the vital difference between khatedar and Khewatdar ?

I think, Sir, there is some misconception in the mind of the Hon'ble Member. So I would like to understand what the Hon'ble Member means by Khatedar and Khewatdar.

मेजर श्री फतेहसिंह : The Hon'ble Minister is acting as intermediary ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, I am speaking in my own right.

श्री अध्यक्ष : और भी कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : और लोग भी बोलेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं सिर्फ दो-चार सवाल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये दो-तीन सवाल ही पूछना चाहते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने जो जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल पास किया था उस समय बिस्वेदार या जमींदार को खुदकाश्त की जमीन पर खातेदारी टीनेन्ट के अधिकार दिये थे और इस ऑर्डिनेन्स में कहा गया है :

"A considerable area of the land

(श्री पी. के. चौधरी)

in Ganganagar district is held as Khudkasht and the holders thereof are designated as Maliks. After the abolition of the estates of these Maliks under the Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Act, 1959, they have to retain possession of their Khudkasht lands as Khatedar tenants."

जब सदन ने वह बिल पास किया था तब बराबर उस पर सोच–विचार करके पास किया था। आज हम उनको मालिक की डेफिनीशन दे रहे हैं। आया उनको मालिक कहने से कोई सब्स्टेन्शियल डिफरेन्स पड़ता है या नहीं, यह देखने की बात है या प्रोप्राइटरी राइट मिलते हैं ? जो राइट गवर्नमेंट को दिये गये हैं क्या वे गवर्नमेंट के राइट्स उसको ट्रान्सफर होते हैं या वह सिर्फ खातेदार ही रह जाता है ? यदि वह सिर्फ खातेदार ही रह जाता है तो नाम बदलने से मतलब क्या है, यह समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मालिक के नाम से रिलेशन है तो मालिक बनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सदन में बिल लाकर एक पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर का ही नाम क्यों लिया जाता है ? भरतपुर में भी तो बिस्वेदार हैं। जब सदन में बहस होती है तो गंगानगर का ही नाम लिया जाता है, यह उचित नहीं है। जब सदन में हम बिल पेश करते हैं, हम ऑर्डिनेन्स में कहना चाहते हैं कि गंगानगर वालों को ही मालिक बनाना है तो बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया है, उनको मालिक क्यों नहीं बनाते ? मालिक का मतलब निकाला जाता है, "all the Khatedar tenants in Rajasthan. खातेदार टीनेन्ट और मालिक में क्या फर्क रहता है ? कुछ भी फर्क नहीं रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमने जो बिल आज से कुछ महीने पहले पास किया है उसके सेन्टीमेन्ट्स की खिलाफत करने के लिये बिल लाते हैं या सबस्टेन्शियली ज्यादा इन्ट्रेस्ट दे रहे हैं। यदि सबस्टेन्शियली कोई इन्ट्रेस्ट दे रहे हैं तो सिलेक्ट कमेटी में इसे स्क्रूटिनाइज करना चाहिये था टू गिव मोर राइट्स। जब हमने उनको खातेदारी राइट्स दिये थे तब कम्पेनसेशन का स्केल फिक्स किया था लेकिन आज हम उनको मालिक बना रहे हैं और रेट ऑफ कम्पेन्सेशन वही रखते हैं तो फिर मालिक बनने से फायदा क्या है ? एडीशनल राइट्स देना चाहते हैं तब तो कम्पेनसेशन की रेट्स एग्ज़ामिन करनी चाहिये। यदि और कोई राइट्स नहीं मिलते तो फिर उनको मालिक बनाने से क्या फायदा ? यदि नामकरण करने के सेन्टीमेन्ट्स से किया है तो आपका लोजिक मेरी समझ में नहीं आता। यदि लोजिक यह है कि राइट देने हैं, then the entire schedule of compensation will have to be revised. सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इस बिल पर ही विचार नहीं किया जाय बल्कि सारे जमींदारी और बिस्वेदारी का जो प्रिन्सिपल एक्ट है उस पर भी विचार करना होगा, तभी कुछ हो सकेगा। कम्पेन्सेशन का जो शिड्यूल लागू किया है उसमें भी फर्क होना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि मंत्रीजी इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे। If it is purely a question of 'naming तो सारे राजस्थान के खातेदारी टीनेन्ट्स and if it is not the question of naming

(श्री पी. के. चौधरी)

but confers some additional rights on them; तो फिर शिड्यूल ऑफ कम्पेन्सेशन है उसको भी तरमीम करना पड़ेगा ....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): 'बट्स एन्ड इफस' की जरूरत नहीं है, काफी क्लियर है।

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): मैं इस पर कुछ अर्ज कर दूं।....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस पर थोड़े और सुझाव देने हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने आया है वह बिल....

श्री पी० के० चौधरी : I think the Hon'ble Member should correct his address. He should say 'Manniya Adhyakhya' and not 'Adarniya Adhyaksha.'

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप शायद हिन्दी पूरी पढ़े नहीं है।

जो यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसको देखने से प्रतीत होता है कि "आठ के बजाय छः करदो लेकिन नाम दारोगा धर दो," इस तरह की कहावत चरितार्थ की जा रही है। इस बिल में खातेदारी टीनेन्ट और मालिक शब्द की परिभाषा में कोई फर्क नहीं है....

श्री अध्यक्ष : इसमें आठ के आठ रख रहे हैं, फिर भी दारोगा कह रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : राजस्थान सरकार यह क्या सोच रही है जबकि राजस्थान में आपने जमींदारियों और जागीरदारियों, जो कि लाखों की तादाद में थीं उनको समाप्त कर दिया और इसके साथ ही नाम पैदा किया जागीरदारी और जमींदारी खत्म करके मालिकाना या प्रोप्राइटरी राइट खत्म कर दिया तो फिर आज यह बिल सामने क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आता। जब कोई भी मूल फर्क खातेदारी टीनेन्ट और खुदकाश्त वालों को मालिक माना जाय उसमें नहीं है तो फिर क्यों ऐसा रखा जाता है? यदि यह समझा जाय कि हमें मालिक ही बनाना है तो फिर असेम्बली ने यह तय कैसे कर दिया कि जमीन पर किसी का मालिकाना राइट काश्त की भूमि पर नहीं रखा जायगा? जब यह सिद्धान्त तय कर दिया तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का बिल लाकर वापिस मालिकाना राइट क्यों देना चाहते हैं जबकि हमने यह सिद्धान्त माना है? चाहे डेफिनिशन में खातेदार टिनेन्ट के बराबर उनका रखा लेकिन फिर भी जिस शब्द को हम हटाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि भूमि भगवान् की लेकिन जमींदार काश्तकार को भूमि का मालिक बनाने के लिये फिर अग्रसर हो रहे हैं और जो सिद्धान्त है, हम उस सिद्धान्त के विपरीत जा रहे हैं। जो अधिकार पहले खातेदार टीनेन्ट को थे वे की वे ही इसमें हैं। मोर्टगेज रखने का राइट इसमें दिया है, दस साल में वह मार्टगेज खत्म हो जायगी। जो राइट्स खातेदार टिनेन्ट के हैं, वे ही राइट्स मालिक के हैं कि वह बेच सकेगा, डिक्री में जब्त की जा सकती है। वे की वे ही बातें हैं जो खातेदार टीनेन्ट के लिए हैं।

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

ऐसी स्थिति में जो बिल लाया गया है, यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ है। (विराम) कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है और राजस्थान असेम्बली ने भी इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार किया है कि किसी की भूमि पर प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं होंगे। इसके अलावा किसी के पास चाहे कानूनी पट्टा भी क्यों न हो, किसी भी तरह किसी को मालिक बना दिया तो वहां रेस्ट्रिक्शन्स क्यों लगा दी जायंगी? तो इस बिल से ऐसा माना जायगा कि हम उसको फिर कानून के द्वारा मालिक बनाते हैं। खातेदार टीनेन्ट की जो परिभाषा टीनेन्सी एक्ट में दी है उसके विपरीत कोई परिभाषा नहीं दी है। तो एक को खातेदार टीनेन्ट कहते हैं और दूसरे को मालिक कह देते हैं, तो इस प्रकार हम एक वस्तु में विभेद करते हैं, जो कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): खातेदारी टीनेन्ट और मालिक में अन्तर क्या है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : शब्दों का अन्तर है। उसको अब मालिक कहना चाहते हैं, जबकि पहले की डेफिनिशन में खातेदार टीनेन्ट रखा गया है तो उसको मालिक क्यों कहा जाय ? अगर सबको बनाना है, तो सबको मालिक कह दीजिये, सबको मालिक करार दे दीजिये। इस प्रकार का सेटिस्फेक्शन जमींदारों को ही क्यों हो ? जागीरदारों ने क्या गुनाह किया है, उनको भी मालिक बना देते। तो यह चीज़ नहीं है, खुश करने की बात ठीक नहीं है। हम लेजिस्लेचर में बैठ कर जो सिद्धान्त मंजूर किया है, उसके विपरीत हमें नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे राजस्व मंत्रीजी कहेंगे कि इसमें क्या है, उनको ज्यादा अधिकार नहीं दिये हैं, खाली 'मालिक' शब्द का उपयोग किया है। मैं निवेदन करता हूं कि 'मालिक' शब्द के लिये ही जो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा समाप्त की है उसको वापिस बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक तरफ काश्तकार के दिल में यह बैठाना चाहते हैं कि कोई मालिक नहीं है, खेती करनेवाले सब टीनेन्ट हैं, ऐसी स्थिति में वापिस उसको दोहराते हैं, जिसको हमने मिटाया है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री महोदय इस बात को पूर्ण रूप से सोचें कि खाली व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष, जिला विशेष की बात को सामने रख कर यह संशोधन लाया जा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। अगर यह संशोधन लाये तो फिर खातेदार टिनेन्ट की परिभाषा में लिख दें कि खातेदार टिनेन्ट को मालिक कहा जायगा। हमारे प्रान्त में तो यह बात सही हो सकती है। जमींदार जो खुद काश्तकार है, खातेदार टीनेन्ट है, उसके लिए 'मालिक' शब्द रखा जा रहा है, यह हमारे सिद्धान्त के विपरीत है और कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए और इस पर पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य मेजर श्री फतहसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महो-

(श्री लक्ष्मीचन्द)

दय, यह जो बिल हाउस के सामने रखा गया है, इसमे इस प्रकार की मान्यता होती है कि हमारी सरकार 'मालिक' नाम से पूर्ण रूप से खुश होना चाहती है और वह इस किस्म से 'मालिक' नाम का प्रयोग करके, उन खातेदारों को, जिनको जमींदार मानते थे, उनको जागीरदार, जमींदार, बिस्वेदार के नाम से खत्म किया, उनको अब जमींदार, बिस्वेदार के नाम से खत्म न करके उनका 'मालिक' नाम रखना चाहते हैं। इसका मकसद क्या है ? एक तरफ कहते हैं कि हम इस किस्म की राजस्थान में परम्परा कायम नहीं करना चाहते हैं, जिसको जमींदार माना जाय और काश्तकारों का सीधा कन्सर्न सरकार से होना चाहिए, न कि मालिकों से। मालिक उस समय में जमींदारों, जागीरदारों को मानते थे। जब जागीरदारी अबोलिश कर दी, सर्वथा खत्म कर दी, तो 'मालिक' शब्द रख कर जमींदारों के लिए नया शब्द प्रयोग करना, जिसका वही मतलब निकलता है, जो सरकार से निकलता था, ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि 'मालिक' शब्द रखने से उनको फायदा नहीं पहुँचने वाला है। एक कहावत है,

"खाली ठकुराई खाक में छानो
करे कुंवारा मेले आणां"

टाकुर कहो, शादी को पतो नहीं, लड़की को पतो नहीं। इससे आपको मालूम होगा कि उनको खाली टाकुर कहला कर गांवों में समस्या पैदा करना है, मालिक बना कर गांवों में इस प्रकार का वातावरण पैदा करना है, जिसके कारण एक काश्तकार, जमींदार और बिस्वेदार के दरम्यान इस प्रकार की भावना पैदा हो कि यह मालिक है और हम खातेदार टीनेन्ट हैं। जागीरदार, जिसका परमानेन्ट कब्जा था, उसकी जागीर खत्म होने के बाद उसकी जमीन खुदकाश्त में है। वह एक जगह तो खातेदार टीनेन्ट बन जायगा और उसको खातेदार टीनेन्ट कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं आती है लेकिन गंगानगर के लिए, बीकानेर डिविजन के लिए 'मालिक' शब्द रख कर इस किस्म की कोशिश करना चाहती है, यह सरकार के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। अगर जनता के अन्दर इस तरह भावना रखना चाहते हैं कि इस डिविज़न के मिनिस्टर इतने हैं, इस लिए वहां के काश्तकार को 'मालिक' कहेंगे और दूसरे डिवीजन के मिनिस्टर कम हैं तो वहां के जागीरदार को खातेदार टीनेन्ट कहेंगे, काश्तकार कहेंगे, यह रवैया कतई शोभनीय नहीं है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): इस बिल में कहीं नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस प्रकार इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिख दिया है कि बीकॉज़ गंगानगर के लोगों ने एप्रोच किया है, इसलिए इसमें 'मालिक' शब्द लिखा है। इसका मतलब है कि वहां के जमींदारों को खत्म किया जाता है, तो वहां के जमींदारों को 'मालिक' के नाम से पुकारा जाय। मैं कहता हूं कि गंगानगर के बजाय अगर दूसरी जगह के जमींदारों को खत्म किया गया है, उन खुदकाश्त वालों को 'मालिक' कह कर क्यों नहीं पुकारा जाता ? इससे यह भावना पैदा होगी लोगों में कि फलां जगह के

(श्री लक्ष्मीचन्द)

वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष के कारण वहां के जमींदारों को मालिक कहना चाहते है । मैं समझता हूँ कि इस किस्म की उपाधि देकर, इस किस्म की ताकत देकर उनको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो वह न तो हाउस के लिए शोभा की बात होगी, न मंत्री महोदय के लिए शोभा की बात होगी । मंत्री महोदय को सोचना चाहिए कि जब हमको मालिक नाम से घृणा थी जब देश के अन्दर मालिक नाम से घृणा थी और जब हमने लैंड लॉर्ड को खत्म किया है तो फिर 'मालिक' शब्द का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं ? इसलिए राजस्व मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मालिक नाम का जो बिल यहां रखा गया है, उस को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाय और इस पर पुनर्विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० सदन के सामने है । मैं समझता हूं कि शायद मंत्री महोदय ने, मूल विधेयक की स्याही भी नहीं सूखने पाई कि इसमें संशोधन रख दिया है, वह इस प्रकार....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको गीली मालूम पड़ रही है ?

डॉ० बहादुरसिंह : यह संशोधन इस प्रकार रखा मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर कुछ प्रभाव आया, कुछ दबाव आया और उनकी तुष्टिकरण के लिए इस प्रकार का संशोधन रखा है, जो काश्तकार या जो लोग गंगानगर में मालिक कहलाते थे, उनको मालिक कहा जाय । मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर, जब जमींदारी और बिस्वेदारी समाप्त हुई, वहां जमींदारी समाप्त हुई, तो वहां पर उनको भूमिधर कहा गया । उस समय सोचते तो सारे काश्तकारों को भूमिधर कह देते और उसमें भूमिधर की डेफीनिशन दे देते तो ज्यादा उपयुक्त होता । एक गांव में जमींदार था, खुद काश्तकार था, वह तो मालिक कहलायेगा और दूसरा गांव का रहने वाला कृषक काश्तकार कहलायेगा, इस प्रकार से उनके काश्तकारी में कोई फर्क नहीं होने वाला है, उनके अधिकारों में फर्क नहीं होने वाला है, केवल वह भूतपूर्व जमींदार है और दूसरा काश्तकार है, इसलिए उनके आत्म संतोष के लिए वह अपने को 'मालिक' कहेगा । इस प्रकार मैं समझता हूं कि जहां हम सर्वोदयी विचारधारा, जहां समाजवाद की ओर अग्रसर होते हैं, वहां एक समाज के अन्दर दो फिरके पैदा करना, यह जंचती हुई चीज नहीं है । इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर गंगानगर के लोग राजी हो जायं, तो मैं समझता हूं कि गंगानगर के मंत्री महोदय और दूसरे माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं । वे अगर तैयार हों तो उनको 'मालिक' न कह कर 'भूमिधर' कह दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहे । जैसा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी खत्म होने के बाद वहां के लोगों को 'भूमिधर' कह दिया गया, उसी प्रकार आप मालिक के बजाय 'भूमिधर' हो जायेंगे और काश्तकार भी इस मायने में 'भूमिधर' हो जायेंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि 'मालिक' की उपाधि को अगर आप ग्रहण न करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि उससे ज्यादा

(डॉ० बहादुरसिंह)

विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, सिवाय इसके कि जो आने वाली संतान है वह अनुभव करेगी कि पिता और पितामह हमारे जमींदार थे और हम मालिक कहलाते हैं। तो यह जो समस्या है वह खत्म हो जायगी और इससे कोई हित नहीं होता है। इसलिये प्रवर समिति इस पर विचार करे कि नाम 'मालिक' जो दिया गया है वह नाम रखना चाहिये या नहीं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करे। मेरा इस पर यही सुझाव है कि नाम में परिवर्तन करने का क्या असर है। यह इसलिये 'मालिक' रखा जाता है कि गंगानगर मे 'मालिक' कहते हैं इसलिये 'मालिक' नाम होना चाहिये। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और माननीय मत्री इस पर विचार करें।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, भूमि के वितरण के लिये राजस्थान विधान सभा ने कई कानून बनाये। राजस्थान सरकार ने जागीरदारी, और जमींदारी को समाप्त किया और वह इसीलिये कि जमीन का ठीक तरह से वितरण हो। आज यह देखने को मिला कि हमने जमीन को वितरित करने के बाद दो प्रकार के नाम काश्तकारों के रखे और एक को काश्तकार और एक को 'मालिक' जिसकी सदन में चर्चा चली। मैं समझता हूं कि इसके लिये गंगानगर के जमींदारों ने ही प्रस्ताव किया होगा कि 'मालिक' नाम रखा जाय। अलवर, भरतपुर और धौलपुर की तरफ से कोई इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन नहीं हुआ और न कोई प्रतिनिधि गया कि उनको मालिक कहा जाए। क्योंकि यहां के लोग भली–भांति जानते हैं कि एक दफे उन्होंने जमींदार नाम पसन्द किया था और इसी कारण उनकी यह दशा हुई। कांग्रेस ने यह नारा लगाया कि पृथ्वी हमारी माता है। कोई पृथ्वी का मालिक कैसे हो सकता है ? जब कांग्रेस ने पृथ्वी के मालिकों की आलोचना की तो जमींदार जमीन के मालिक कैसे हो सकते हैं और इस नाम के कारण उनको यह दिक्कत पैदा हुई।

दूसरी बात और मैं यह कहूंगा कि भरतपुर, अलवर, धौलपुर के लोग इस बात को जानते हैं कि 'मालिक' शब्द से उनको खतरा है। जब वे जमींदार थे तो जमींदारी गई। आज वे मालिक बनने जा रहे हैं। मैं यहां पर यह कहूँगा कि पिछले दो दिन हुए हमने विधान सभा में एक संशोधन पास किया है कि काश्तकार की जमीन पड़त रहती है तो उसकी वह जमीन ५ वर्ष तक जोतने के लिये किसी दूसरे को दे दी जावेगी। उसके बाद पांच साल के बाद अगर वह काश्तकार अच्छी स्थिति में होता है तो उसको वापिस ले लेता है अन्यथा वह उस जमीन को वापिस नहीं ले सकता है। इसके अलावा जब वह अपने आपको उस जमीन का मालिक कहेगा तो पब्लिक उसके खिलाफ आवाज उठाएगी कि चूंकि यह मालिक है और नाजायज़ फायदा उठाता है इसलिये यह जमीन इसको न मिल कर उन्हीं लोगों के पास रहे जिनके पास वह है, उनको जमीन वापिस नहीं मिलनी चाहिये। इसलिये मैं गंगानगर के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि यदि वे काश्कार हैं और जमीन के जरिये अपने बाल–बच्चों का गुजर करना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि वे 'मालिक' शब्द को हटा दें। उनको

(श्री सूबेदारसिंह)

राजस्व मंत्री को कहना चाहिये कि हम तो राजस्थान में जिस प्रकार से दूसरे काश्तकार हैं उसी प्रकार से काश्तकार रखना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार ने दो प्रकार के नाम कैसे रखे ?

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जावे और इस पर अच्छी तरह से विचार किया जावे कि जो भी काश्तकार हैं, जमीन पर काबिज हैं चाहे उनके नाम जमींदार रखें, चाहे खातेदार रखें, चाहे और रखें मगर यह सोचना होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों को नाम की वजह से कोई खतरा न हो। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो इस बिल पर माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं और इस पर बहुत सारी आपत्तियें उठाई हैं और यह कहा गया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाए और इसके लिये एक प्रस्ताव भी सदन में पेश हुआ है। जहां तक इस बिल का संबन्ध है और इस सदन में बहस हुई हैं इससे यही मालूम होता है कि 'मालिक' शब्द क्यों किया जा रहा है। अगर माननीय सदस्य इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को पढ़ते या ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उसमें जो रीज़न्स उसके जारी करने के संबन्ध में दिये गये हैं उनको मुलाहिज़ा करते तो उसमें साफ लिखा है कि गंगानगर की सरहद पंजाब से मिलती हुई है और वहां पर उनको 'मालिक' कहते हैं। इसलिये यह कहा गया कि 'मालिक' शब्द भी गंगानगर में है, जैसा कि पंजाब में कहा जाता है। उनको 'मालिक' कहा जाता है, हालांकि वे लैन्ड लॉर्ड्स नहीं हैं, but they are tenants for all purposes.

इसलिये 'मालिक' शब्द को उसी मंशा से रखा। भरतपुर और अलवर की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व इसके लिये नहीं किया गया। अजमेर ने इसको पसन्द किया है। अलवर, भरतपुर के वहां इसकी जरूरत नहीं है। मैं यह कहूंगा कि इसमें कुछ फर्क नहीं है। बहुत सारी बातें कही गई। मैं यह कहूंगा कि बिस्वेदारी, पट्टेदारी आदि एबोलिश होगी। एक दफे व्यवस्था होगी। जो सरकार ने तय कर दिया है उससे ज्यादा रखना किसी क्षेत्र में हमारी मंशा नहीं है। वह तो वन्स फोर ऑल समाप्त कर दी गई है। टॉनेन्ट के राइट्स हैं उनको खुदकाश्त जमींदार कहिये या खातेदार कहिये, इससे ज्यादा राइट देने की कोई मंशा सरकार की नहीं है।

अब रहा प्रश्न यह कि हमने एक नई क्लास पैदा कर दी है और नया 'मालिक' का नाम चेन्ज किया है और इससे कई कॉम्पलीकेसीज़ पैदा होंगी। मैं यह कहूंगा कि हमने सिर्फ नाम चेन्ज किया है और कोई कॉम्पलीकेसीज़ पैदा नहीं होंगी। कई सदस्यों के यह ख्याल हैं कि सेक्शन ६० सी० पी० सी० के प्रोविज़न्स इस पर लागू नहीं होंगे और कुछ एग्जेम्पशन्स लागू नहीं होंगे। यह उनका ख्याल गलत है। आप दरअसल में इसके लिये टीनेन्सी एक्ट की धारा १४ देखिये। धारा १७ टीनेन्सी एक्ट की 'खुदकाश्त जागीर' की है। उसमें टीनेन्ट माना है। उसके बाद में १७ (ए) इन्सर्ट किया है उसमें 'मालिक' नाम दिया गया। इसलिये कोई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

टीनेन्ट की अलग क्लास नहीं रहेगी। यह एक मात्र वहम है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : कौनसी धारा है, साहब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टीनेन्सी एक्ट की धारा १४ से जो चेप्टर शुरू होता है वह आप देखें। उसमें आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दफा १७ (ए) में 'मालिक' इन्सर्ट किया। यह सब इसमें है। इसलिये माननीय सदस्यों ने कहा कि उनको टीनेन्ट नहीं माना जावेगा, सूट का और इन्जंक्शन का इम्पलीकेशन नहीं होगा, यह उनका कहना ठीक नहीं है और न यह मेरी मंशा ही हैं। कोई सुपीरियर राइट्स की मंशा नहीं है। गवर्नमेंट कभी यह नहीं चाहेगी कि हम कोई नई क्लास कायम करें।

खातेदार टीनेन्ट से कोई बाधा पैदा नहीं होती है, it is only a difference of nomenclature; इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। इसके अलावा शिड्यूल 'ए' अलग है उसमें राइट्स एन्ड लिबर्टीज़ है, उसमें सब कवर होता है। अब यह कहा गया कि वृक्ष काटने का अधिकार भी है। किसी ने कहा कि बहुतसों की जमीनों के राइट्स गवर्नमेंट में वेस्ट होंगे। मैं यह कहूंगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी पॉलिसी को रिवाइव करने की कोई बात नही है। इसलिये इन पॉइन्ट्स को इस बिल में लाने की कोई रिलेवेन्सी नहीं है और न इससे कोई फायदा होने वाला है।

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि ५, १० या २० आदमियों की एक सिलेक्ट कमेटी बैठ जाए और इसमें कोई लुकेना रह गया हो तो उसको दूर कर दिया जावे। मगर जिस मकसद से इसको पेश किया है वह मकसद यही है कि उनके राइट्स में कोई रद्दोबदल करने की मंशा नहीं है। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्य ने इसको प्रवर समिति को रेफर करने के लिये कहा है इसको रेफर कर दिया जाए और सिलेक्ट कमेटी इस पर जल्दी विचार करके अपनी राय नेक्स्ट वीक में ही दे दे। जैसा अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है कि इसको शुक्रवार को ले लिया जाए नेक्स्ट वीक में, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेजर फतहसिंह का जो प्रस्ताव है उसको थोड़ा संशोधित करके मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

(विराम)

Is it agreeable to you. ?

मेजर श्री फतहसिंह : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान जमीदारी तथा बिस्वेदारी एबोलिशन (अमेन्डमेंट) बिल, १९६० को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसके सदस्यों के नाम अभी बताये जावेंगे, जो अपना प्रतिवेदन तारीख ९ या उससे पहले प्रस्तुत करें।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार कियां गया।

(विराम)

आगे माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का प्रस्ताव था उस पर भी मतदान होगा।

प्रश्न यह है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अब दूसरी प्रकार की पोज़िशन हो गई। वह प्रस्ताव तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है क्योंकि सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी मतदान तो होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : यदि उसके पक्ष में मत देता है...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : विश्वास रखिये विपक्ष में हाउस मत देगा।

श्री भैरोंसिंह : उनका यह प्रस्ताव था कि उस ऑर्डिनेन्स को बिल न बनाया जाय, वह तो अपने आप गिर जाता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): बिल रहना चाहिये तो ही सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Resolution has to be voted down. That cannot remain on the agenda.

प्रस्ताव मंजूर कर लेने से बिल नहीं बन जायगा। आपका प्रस्ताव तो यह था कि बिल नहीं बनना चाहिये, that is not the case. You have of course the very basis of that. यह सिलेक्ट कमेटी में जावेगा, बिल बनेगा।

श्री भैरोंसिंह : उनके प्रस्ताव की मंशा यह थी कि ऑर्डिनेन्स को बिल न बनाया जाय। दूसरा प्रस्ताव यह था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। जब यह प्रस्ताव पास हो गया कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो ऑर्डिनेन्स को बिल नहीं बनाया जाय, यह प्रस्ताव अपने आप ही रिजेक्ट हो गया। जब इस बिल को ही सिलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं और उसको एक बिल के रूप में तो हाउस ने मंजूर ही कर लिया है इसलिए भी ऑटोमेटिकली वह प्रस्ताव रद्द हो जाता है।

श्री अध्यक्ष फिर भी इसमें शंका किसी प्रकार की न रहे, मतदान होना उचित है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस ऑर्डिनेन्स को बिल न बनाया जाय, यह प्रस्ताव जो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री
२. श्री रामचन्द्र चौधरी
३. श्री चुन्नीलाल
४. डॉ० बहादुरसिंह
५. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
६. श्री ज्वालाप्रसाद
७. श्री श्रीभानसिंह

Page No.79

(श्री अध्यक्ष)

८. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
९. श्री प्रभुलाल पुरोहित
१०. श्री आबिद्अली
११. श्री रामप्रसाद लढ्ढा
१२. मेजर श्री फतहसिंह
१३. श्री दयाकृष्ण विजय
१४. श्री रघुवीरसिंह
१५. राजा श्री मानसिंह
१६. श्री लक्ष्मीचंद
१७. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१८. श्री विद्यासागर
१९. श्री तेजपाल

रेवेन्यु मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे।

राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६०

(खण्डशः विचार—विमर्श)

श्री बरकतुल्ला खां (उप मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'राजस्थान मोन्युमेन्ट्स, आर्चियोलोजिकल साइट्स एन्ड एन्टीक्विटीज़ बिल, १९६०, विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

Dr. Chandra Kala.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६० सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इसको एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है इस विधेयक के द्वारा राजस्थान राज्य में प्राचीन वस्तुओं, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों तथा प्राचीन वस्तुओं के परीक्षण, रक्षा, देख रेख, संधारण, अवाप्ति तथा विनियमन के लिए प्रावधान किये जाने का सरकार का उद्देश्य है। इस सम्बन्ध में बताया गया है कि पहले भी दो केन्द्रीय अधिनियम थे। उनमें से एक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और दूसरे को फिर से प्रतिस्थापित किया गया था। और वह चल रहा था और उनके आधार पर हमारे इस प्रान्त में एक प्रकार का कानून लागू था। पूरे राजस्थान का एक कानून था; यद्यपि वह भी उसी पर आधारित था। दूसरा अजमेर, आबू में लागू था, सुनेल में मध्य भारत का कानून चल रहा था। उनका एकीकरण कर देना है और साथ साथ भारत सरकार के निर्देशन से इस प्रान्त की वस्तु-स्थिति को देखते हुए इस तरह का उसमें प्रावधान कर देना है जिससे इस प्रान्त के लिये एक स्वतन्त्र विधेयक की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

वैसे इस विधेयक की उपयोगिता स्पष्ट है। जब जयपुर शहर ही में मैं विधान सभा के पास ही हवा महल के उल्टे गिरे पड़े कलशों को देखती थी और उसके आसपास की

(डॉ० चन्द्रकला)

जमीनों का लोगों द्वारा दुरुपयोग करते देखती थी, जयपुर स्थित अजायबघर में बिजली की व्यवस्था का अभाव मैंने देखा था और यहां और भी छतरियां आदि ऐसी हैं जिनको टाटी, मिट्टी आदि से घेर कर अपने लिए लोगों ने आवास बना लिये हैं और इससे बड़ी बात जब स्टेशन से उतरते मैं महात्मा गांधी की मूर्ति खड़ी देखा करती थी, जो अब हटा दी गई है, तो मैं महसूस करती थी कि कैसे हमारी राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जाता ? कैसे वह महसूस नहीं करती है कि राजस्थान पुरातत्व वस्तुओं में वैभवशाली है और इस वैभव की रक्षा उनको अच्छी तरह से करने की जरूरत है ? अच्छा है, हमारी सरकार ने इतनी देर के बाद भी यह महसूस तो किया कि आज इसकी आवश्यकता अवश्य है। वैसे तो ठीक है, हमारी केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में जैसा होता था उसी तरह से यहां पर राष्ट्रीय प्राचीन स्मारकों की रक्षा का प्रयत्न किया जाता रहा है। उसको हम दर गुजर नहीं कर सकते हैं। अपनी सरकार को हम दाद दे सकते हैं कि उसने सुन्दर तरीके से उनकी रक्षा की। पहले चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जिस किसी ने देखा होगा और अब देखेगा तो इस विषय में उनके रक्षण की प्रशंसा अवश्य करेगा। इसी तरह से दूसरे स्मारकों की भी बात है। लेकिन दूसरी जगह जब इन चीजों को बुरी हालत में देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस विषय पर जब कानून लागू हो जावेगा तो एक ओर तो केन्द्रीय सरकार का कानून लागू है ही, हमारी सरकार भी प्रान्तीय कानून बना कर स्मारकों की रक्षा करेगी तो निस्संदेह प्राचीन वैभव, जो किसी तरह के धन और सम्पत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है, की रक्षा हो सकेगी, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। शायद जैसे घर की मुर्गी की कद्र कम होती है वैसे ही मुझे लगता है कि अपने ही स्मारकों की हमारी सरकार कद्र कम करती है। बाहर वाले महसूस करते हैं एक एक टेकरी पर, एक एक किला है उसकी घिरी हुई दीवारें उनकी रक्षा करती हुई दिखलाई पड़ती हैं उन स्थानों को वे देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि राजस्थान के लोग किस तरह बहादुर, कितने साहसी, परिश्रमी और उद्यमी थे और किस तरह उन्होंने यह सब किया।

जैसलमेर में हम देखते हैं, पुराने समय में जब स्थल मार्ग के द्वारा 'राजस्थान के जहाज—ऊंटों' से वहां व्यापार होता था जैसलमेर नगर जिसकी इमारतें हल्दियों के रंग से रंगी हुई हैं उस समय वह कितनी सुन्दर और आकर्षित दीखती होंगी। आज भी वहां के स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता है। उसके साथ साथ यह भी है ये चीजें तो ऊपर से दिखाई पड़ती हैं किन्तु माननीय अध्यक्ष इसके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो गुप्त हैं जैसे भित्ति चित्र, कलाचित्र, मूर्तियां आदि। इसके अतिरिक्त जितना साहित्य हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में राजस्थान में है उतना दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। मैं अपने अन्वेषण के सिलसिले में कुछ घरों में रखे हुए हस्तलिखित ग्रन्थ देखने गई थी। मुझे एक परिवार में एक व्यक्ति के पास १,२०० हस्तलिखित ग्रन्थ बैठनों में बन्धे हुए सुरक्षित रूप में देखने को मिले : सौभाग्य से जो अब पुरातत्व विभाग के पास आ चुके हैं। मैंने यह भी देखा कि बाहर से जो लोग यहां आते हैं और ऐसे ग्रन्थों की

(डॉ० चन्द्रकला)

खोज रखते हैं वे भारी कीमत देकर अपने यहां ले जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार को इन बातों का पता होगा; या नहीं होगा यह मैं नहीं कहती लेकिन पता अवश्य होना चाहिये। इस दृष्टि से भी इस विधेयक का मूल्य बहुत है और इसकी अहमियत है फिर भी इस पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है।

इस विधेयक की परिभाषा को मैंने देखा उसमें सरकार ने सारी बातों का अच्छी तरह से उल्लेख किया है। परिभाषा में कोई ऐसी चीज छूटी नहीं है पुरातत्व सम्बन्धी स्थान, वस्तु आदि; लेकिन ध्यान से अगर हम इस बिल की धाराओं को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि सरकार पुरातत्व में कुछ स्थान; मन्दिर, स्तूप या कुछ छतरियों को ही मानती है लेकिन वास्तव में पुरातत्व सम्बन्धी प्राचीन साहित्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो प्रावधान किये गये हैं वे ऐसी जगहों के लिये ऐसी बातों के ही लिये किये गये हैं। हमारा जो साहित्य है उस साहित्य में इतने विषय, इतनी चीजें हैं जिनको सुरक्षित रखना, उनका प्रकाशन करवाना बहुत आवश्यक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके विषय में इस बिल में कुछ नहीं कहा गया है और जो कुछ कहा भी गया है अगर उससे ही उनको नियन्त्रित करने की कोशिश की जायगी तो मैं समझती हूं उस पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा। जो बातें परिभाषा में दी हुई हैं उसी तरह का प्रावधान हमें धाराओं में दिखाई नहीं देता जिससे इन सब चीजों पर वे लागू हों। ऊपर से दीखने वाली चीजें हैं उनमें छिपी हुई जो चीजें हैं पुरातत्व सम्बन्धी कोष अन्तर्निहित है। पहले हर राजा के घर में पोथीखाना होता था, हर राजा को साहित्य, कला, संगीत आदि का शौक हुआ करता था और अनेक प्रकार का साहित्य भी उनके पास रहा करता था। यही नहीं; अलग अलग लोगों के पास तरह तरह के संत साहित्य बहुत सामग्री योग साधना, तंत्र-मन्त्र का साहित्य, डिंगल, पिंगल, वीररस का साहित्य उपलब्ध है। विधेयक में इन सब के बारे में प्रावधान नहीं है; अतः इन सब बातों पर अच्छी तरह से सोचा जाय।

इसके साथ साथ जैसा कि हमारी सरकार ने महसूस किया जो स्मारक हैं वे सभी तो सरकार के अधीन नहीं हैं; कुछ ऐसे भी हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार में हैं। अलग अलग व्यक्तियों में किसी के घर में, किसी के राजमहल में हो सकता है उसके लिये भी प्रावधान की आवश्यकता है। यह देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के अधिकार में ये चीजें हैं उससे वह किस तरह से ली जायं। उससे ले करके रक्षा की जाय तो उसको क्या मुआवजा देना पड़ेगा? आखिर उसका किसी न किसी प्रकार से सहयोग लेना पड़ेगा। हरएक स्मारक के साथ कोई न कोई भावना निहित रही है कुछ सेन्टीमेन्ट्स होते हैं। इसलिये किसी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में किसी व्यक्ति की भावना और उसके सेन्टीमेन्ट्स की उपेक्षा सरकार नहीं कर सकती इस, तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इन स्मारकों पर अलग अलग लोगों के अधिकार हैं वैसी हालत में जहां हम एकीकरण करने जा रहे हैं इससे कोई समस्या सुलझेगी नहीं; इसमें दुरुपयोग अधिकारों का हो सकता है। इसलिये हमें इस पर भी ध्यान देकर सोचने की आवश्यकता है।

(डॉ० चन्द्रकला)

इसके अतिरिक्त स्मारक भी कई तरह के हैं। इसमें भी हमें देखना है कि किन किन स्मारकों की किस किस तरह से रक्षा करनी है। जहां तक इस विधेयक का सवाल है, यह बहुत ही उपयोगी, बहुत ही सामयिक और अच्छा है लेकिन विधेयक में जो प्रावधान हम करने जा रहे हैं उससे विधेयक का जो उद्देश्य है उसमें ये प्रावधान एक साधन है। हम इसके द्वारा यह आशा करते हैं कि आगे से हम अपने इस वैभव को जो हम भूले हुए थे पुराने अवशेषों की ओर जो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे अब ध्यान देंगे। इससे हमारे राष्ट्र के पुराने इतिहास और संस्कृति की सुरक्षा हो सकती है। अभी अभी जैसलमेर के जिले के अन्दर कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जिनका नाम तो मुझे याद नहीं आता फल पत्थरों के मिलते हैं। कुछ साल पहले पत्थरों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के फल पाये गये जिससे कल्पवृक्ष के नाम से यह कल्पना की जाती है यह वृक्ष राजस्थान में था। कल्पवृक्ष से जिस जिस प्रकार की कल्पनायें हुई होंगी उसी प्रकार के फल मिलें होंगे- मैं इस बारे में अधिकार पूर्वक नहीं कह सकती किन्तु किम्वदन्ती जरूर है और ये सब बातें दिखाई पड़ती हैं। इन सब चीजों को सुरक्षित रखकर अपने लिये आने वाली पीढियों के लिये और दूसरों के लिये, देशविदेशों के लिये बहुत सुन्दर सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। विधेयक को बनाना बहुत जरूरी है और जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये जिससे यह हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। मेरे प्रस्ताव के अनुसार यह विधेयक प्रवर समिति को जायगा तो वह सारी बातों पर विचार करेगी और फिर हम इस विधेयक को पारित करेंगे तो वह बहुत उपयुक्त होगा। इसी आशा के साथ मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं आशा करती हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोन्युमेन्ट्स, आर्क्योलोजिकल साईट्स एन्ड एन्टीक्विटीज़ विधेयक, १९६० जो सदन के समक्ष माननीय मंत्री महोदय ने विचारार्थ रखा है इस संबन्ध में मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, हमें प्राचीन वस्तुओं का मोह है, इस कारण हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता गुलामी में जकड़े हुए होने के कारण उसे भूल चुके थे उसकी याद हमें पुरानी चीजों से पुरानी कलाओं से, पुराने स्मारकों से आती है। इस प्रकार की जो राष्ट्रीय सम्पत्ति है, उसकी सुरक्षा किस प्रकार से हो, उसके लिए सरकार ने यह कानून सदन के सामने रखा है। इस कानून के देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस प्रकार का कानून चाहिये वैसा नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसी संस्थायें हैं जो प्रचीन साहित्य शोध का काम करती हैं उनका सहयोग लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों के अन्दर विज्ञान दर्शन आदि की ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हम अपनी बौद्धिक सम्पत्ति है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहां सलाहकार मंडल का प्रश्न है, वह किस प्रकार का होगा, यह सरकार के दिमाग में स्पष्ट

(डॉ० बहादुरसिंह)

नहीं है कि वह किस प्रकार का होगा। माननीय अध्यक्ष, ऐसी चित्रकारियां, भित्ति चित्र या और भी अन्य वस्तुयें ऐसी हैं जो अभी तक छिपी पड़ी हैं, नष्ट हो रही हैं। राजस्थान सरकार ने उन ग्रन्थों के लिए कोई सुरक्षा-व्यवस्था हो, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। प्राचीन हस्तलिखित पांडु-लिपियां भी हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जायगी, इसके लिए भी राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकार के पास नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है।

आप कह सकते हैं कि एक संस्था की हमने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के वैज्ञानिक युग में जब कि उन प्राचीन निधियों की काफी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है और इसी से प्रेरित होकर विदेशी लोग यहां से नाना प्रकार की चीजें खरीद खरीद कर ले जा रहे हैं, कुछ अधिक संस्थाओं की और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है ताकि हमारी निधि सुरक्षित ही न हो; बल्कि जो बाहर भी जा रही है वह भी रोकी जा सके। इनमें ऐसे ग्रन्थ रत्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते। आज हमारे ये प्राचीन ग्रन्थ, चित्र आदि वस्तुएं डॉलरों में जा रहे हैं, बाजार में इनका काफी व्यवसाय हो रहा है।

मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था केवल उन वस्तुओं के लिए की जा रही है जो सरकार के अपने हाथ में है या अधिकार में है पर मैं चाहता हूं उनके लिये भी कुछ किया जाय जो बाजारों में बिक रही है और जो जन साधारण में मिल रही हैं। जो लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति है और जो बराबर आर्थिक स्थिति के विषय होने के कारण अथवा लोभ-लालच के कारण विदेशियों को बेच रहे हैं; यहां इस प्रकार के बहुत से दलाल मौजूद हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो इस विधेयक से विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर राजस्थान की सरकार अपनी प्राचीनतासे मोह रखना चाहती है और पुरानी चित्रकला-शिल्प कला आदि के शोध ग्रन्थों को सुरक्षित करना चाहती है तो इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इसकी भी व्यवस्था तुरन्त की जानी आवश्यक है।

यह स्पष्ट है कि अगर आप जन-साधारण से कोई चीज़ लेंगे तो उसका मुआवजा देना होगा। आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी। उन लोगों से वस्तुएं लेने के लिए आपको इन्फॉर्मर रखने होंगे, घोषणा करनी होगी कि जो लोग अपने इस तरह के प्राचीन ग्रन्थ देना चाहें वे सरकार से सम्पर्क स्थापित करें; सरकार उनको लेना चाहती है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राजस्थान के इस विभाग की मैं आलोचना तो नहीं करना चाहता पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह विभाग जहां केवल केन्द्रीय व्यवस्था है या जैसे जयपुर का शहर है जिला केन्द्र है वहीं अपने अधिकारी रख कर उनकी देखरेख रख सकता है। पर जो दुरस्थ प्रदेश हैं उनकी व्यवस्था का कैसे प्रबन्ध करेगा? जैसे महाभारत में मचकुंड का जिक्र आता है। यह एक तीर्थ स्थान है जो हमारे राजस्थान में पड़ता है। वहां हजारों तीर्थयात्री आते हैं पर सरकार का विभाग केवल नाम मात्र की व्यवस्था वहां करता है।

(डॉ० बहादुरसिंह)

इसमें आर्थिक कठिनाई हो सकती है। पर इसके महत्व को देखते हुए सरकार को इसके लिए अधिक प्रावधान रखना चाहिये। आप ऐसे प्राचीन स्थानों की सुरक्षा फिर भी करते हैं तो इसके साथ ऐसी व्यवस्था और करनी होगी कि जो दूरस्थ प्रदेशों में ऐसी चीजें हैं या ग्रन्थ हैं उसके लिए आपको ऐसी व्यवस्था और करनी होगी कि वे भी सुरक्षित हो सकें। आपने स्थानीय अधिकारियों को और कलेक्टर को पॉवर दिया है पर धौलपुर में कलेक्टर नहीं रहता। भरतपुर में रहता है। भरतपुर की चीजों के वह ज्यादा टच में रहेंगे। तो इस दृष्टि से मेरा यह सुझाव है कि विलेजलेवल पर आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिये और ग्राम पंचायतों को इसके लिए व्यवस्था सौंपनी चाहिये। वे इस काम को अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे और जहां जिस किसी के पास भी ऐसी चीजें होंगी उसकी तलाश वे बहुत अच्छी तरह और शीघ्रता से कर पावेंगे। जैसे मैं बताऊं सर मथुरा में एक जगह हैं। वहां के एक निवासी के पास प्राचीन ग्रन्थों का काफी बड़ा भण्डार है पर आज इस हालत में है कि काफी जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं तो इन जैसे स्थानों का और लोगों का पता पंचायतें काफी लगा सकेंगी।

इस विषय में मेरा राजस्थान सरकार को यह निवेदन भी है कि जो इसके लिए सलाहकार बोर्ड बनावें उसमें इस प्रकार के लोगों को लें जो इस कार्य में विश्वास रखते हों और अनुभवी हों।

फिर राज्य सरकार इस तरह कुछ व्यवस्था करे कि जगह जगह केन्द्रीय पुस्तकालय और संग्रहालय बनावे और उनका अच्छी तरह से संचालन करे। मैं अभी उदयपुर गया था। एक संस्था वहां देखी। आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यह संस्था काफी अच्छे रूप में चल रही है। पर सीमित साधनों के कारण इसका ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। इस तरह और भी जगहें हो सकती हैं। तो इनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मन्त्री महोदय को कुछ प्राचीनता से अधिक मोह है और काफी अच्छा घूमने-घुमाने में भी ! इसके लिए वे विश्वास करते हैं, उनसे मुझे विश्वास है कि वे इस ओर काफी अच्छा ध्यान देंगे और जो चीजें आज बाजारों में बिक रही हैं इस महत्व को, उनको रोकने का प्रयास भी करेंगे। अगर उनको भी अपने अधिकारों में लेने की व्यवस्था करें तो ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इन सारी बातों के लिए इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव वे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदीजी का एक प्रस्ताव और है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के समक्ष आया उस पर मैंने भी प्रवर समिति के समक्ष भेजने का एक संशोधन पेश किया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मेरा तो यह भी विश्वास है कि जब १९०४ में लॉर्ड कर्जन के जमाने में जो प्राचीन स्मारकों की रक्षा का कानून बना तो

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हमको समझ लेना चाहिये कि उस समय चाहे वे वाइसराय अन्य मामलों में कितने ही प्रतिगामी रहे हों, पर इस कानून बनाने के लिए तो हम उनकी प्रशंसा ही करेंगे। इससे हमारे देश की एक अमूल्य निधि का बचाव हुआ है, जो सम्भव थी कि ऐसे कानून के अभाव में नष्ट हो गई होती। उसी समय राष्ट्रीय स्मारक संस्था हमारे देश में स्थापित हुई; हमारी प्राचीन निधि को सुरक्षित रखने के लिये और भावी सन्तति के ज्ञानवर्धन के लिये।

इसी आधार पर हमारी राज्य सरकार ने भी अपने राज्य के अन्दर उन सारी वस्तुओं को; जिनका समावेश इस कानून में नहीं हो रहा था, सुरक्षित रखने के लिए इस कानून में यह प्रावधान किया है। जैसा कि इसमें बतलाया गया है, तीन प्रकार की सूचियां हैं : (१) वह जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जिनको कि केन्द्रीय सरकार के अधीन माना है, (२) वह जिनको राजकीय अधीन माना है (३) जो दोनों साथ साथ चलती हैं।

मैं समझता हूँ अपने अधीन जिन वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती है सरकार उनके लिए यह विधेयक है। यदि इतने उत्तम उपयोग? महत्वपूर्ण विधेयक को यदि कुछ और भी हम विशेष उपयोगी बना सकें और इसमें उन धाराओं को भी समाविष्ट कर सकें कि जिनसे कि इसमें त्रुटियां हैं उनकी पूर्ति हो तो यह हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण कानून बन सकता है। और हमारे राज्य के लिए वैसा कानून और भी अधिक उपयोगी बन सकेगा।

(३ म. प.)

मैंने सारी दृष्टि से यह देखा तो कुछ चीजें ऐसी पाई कि जिनका इसमें अभाव है और यदि उनका समावेश किया जाता है, जिसके ऊपर कि हम लोग कुछ ठंडे दिमाग से बैठ कर ही विचार कर सकते हैं तो अच्छा है। अभी तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक, दो चीजें ही बतलाऊंगा। इसके अन्दर जिन चीजों को रक्षित करना आवश्यक माना गया है उसमें कुछ मूर्तियां, कुछ स्तूप और कुछ भवन आदि ही रखे गये हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे राजस्थान में खास तौर से ऐसी चीजें हैं जिनका कि पुरातत्व महत्व कहीं अधिक है और वह है जिनको हम वाल पेन्टिंग या भिती चित्र कहते हैं। यहां जयपुर में भी मुझे मालूम है कि एक पुरोहित परिवार के वहां २०० वर्ष से भी अधिक पुराने उनके भवन में भित्ति चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा यहां दूदू में एक जागीरदार हैं उनके यहां भी सुना है, कि भित्ति चित्र बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, जिनमें कि राग–रागिनियों के चित्र हैं और जिनको कि आज एक अमूल्य निधि मान सकते हैं और जो इस युग के लिए बहुत महत्व रखते हैं! आज ऐसे लोग ही नहीं है कि जो इस प्रकार के चित्रों को अंकित कर सकें। तो जहां हम दूसरी चीजों की रक्षा के लिए प्रावधान कर रहे हैं, इस प्रकार के भित्ति चित्रों का भी इसमें कोई न कोई प्रावधान रखना चाहिए था। मैं देखता हूं कि इन चीजों का इसमें कोई प्रावधान नजर नहीं आता। इसी तरह से जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया ....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is no Quorum, Sir.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (जारी) : कि जब हम मिट्टी, पत्थर और ईंटों को इतना महत्व देते हैं, उससे कहीं अधिक महत्व तो हमारे देश का जो प्राचीन साहित्य है जो कि अब धीरे २ नष्ट होता जा रहा है और हस्त लिखित पुस्तकें हैं उनके लिए यदि हमारे यहां पूरा ध्यान नहीं दिया गया और हम उनको सुरक्षित नहीं रख सके तो मैं समझता हूं कि हमारी पुरातत्व संबंधी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण निधि है वह भी थोड़े दिनों में नष्ट–भ्रष्ट हो जायेगी। यों तो हमारे यहां नेशनल आरकाइव्ज और कई नामों से इस प्रकार की संस्थायें हैं लेकिन उनमें इतना काम हो रहा या नहीं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इन चीजों का भी इसमें समावेश किया जाये कि जिनको हम अपने देश की अमूल्य निधि और साहित्य कह सकते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, बताऊं कि मुझे इन्द्रगढ़ जो कि कोटा जिले में है वहां जाने का मौका मिला। वहां के पुराने राजमहलों को देखने का भी कुछ मौका मुझे मिला और एक कमरे में जब मैं गया, जिसका कि ताला टूट चुका था उसमें हजारों की तादाद में हस्तलिखित पुस्तकें थीं। पुराने राजा–महाराजाओं के समय की पुस्तकें उसमें पड़ी हुई थीं और मेरे साथ वहां के कुछ कार्यकर्त्ता भी थे और मुझे चूंकि उससे रूचि थी तो मैंने कुछ पुस्तकें देखीं जिसमें कि फारसी, संस्कृत दोनों प्रकार का साहित्य मुझे मिला! मुझे बतलाया गया कि जहांगीर के समय श्री मद्भाग्वत्गीता का फारसी में अनुवाद किया गया था, वे पुस्तकें भी इसमें है। ऐसे ही और मुगलकालीन पुस्तकें रखी ...ो या तो दीमक खा गई और कुछ कस्बे के लोग रात में आते हैं और उन पुस्तकों को चुरा कर ले जाते हैं, जिनको कि वे बाद में रद्दी में बेच आते हैं। इसके लिए मैंने मुनि जिनविजयजी को भी पत्र लिखा उन्होंने मुझे सूचना भी दी कि हमने गवर्नमेंट को लिखा है और उनकी तरफ से कोई व्यक्ति गया भी। लेकिन जो भण्डार पुस्तकों का मैं देखकर आया था, शायद उसकी आधी पुस्तकें भी नहीं मिली। इस तरह से मैंने एक उदाहरण कोटा जिले का बताया। इसी प्रकार और भी कई वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनका महत्व नहीं समझा जाता। भरतपुर के अन्दर भी कई लोगों के पास हस्तलिखित पुस्तकें थी। बाहर के लोग चाहे वह हिन्दी पुस्तक हो, चाहे फारसी की हो, चाहे संस्कृत की हो नाममात्र के पैसे देकर उन पुस्तकों को ले गए। आज जब कि हम पुरातत्व सम्बन्धी चीजों की रक्षा के लिए कानून बना रहे हैं तो उसमें इन चीजों का भी समावेश किया जाये कि ऐसी चीजों को भी पुरातत्व में माना जायेगा। इसके साथ ही साथ, जैसा कि इस विधेयक में दिया है कि राज्य सरकार उन्हीं चीजों को अपने इस कानून के अन्तर्गत ध्यान में रखेगी, जो कि इस प्रकार की श्रेणी में आती हैं। उसमें उन्होंने वैसे तो बहुत समझ बूझ कर इस चीज को रखा है और जो इसके अलावा उपकरण होंगे इनको इसमें नहीं लेंगे। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि हमारे देश में कुछ इस प्रकार का लोगों का स्वभाव हो गया है या उनका विश्वास हो गया है कि जो भी चीज मूर्ति के रूप में दीखे वह उसे अपना इष्टदेव मान लेते हैं। किसी हिन्दू को बुद्ध की या जैन की मूर्ति मिल जाती है तो वह उसको अपने ही धर्म की मान

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लेते हैं। यहां तक कि पहले एक दफा 'चांद' पत्रिका में वह चित्र दिखाया गया था कि हमारे यहां गांवों में बहुत से लोग मील के पत्थरों को भी अपना देवता समझ कर पूजते थे और उसके ऊपर रोली-चन्दन चढ़ाते थे और वह समझते थे कि यह भी हमारे कोई देवता है। इसके अलावा हमारी जो पुरातत्व संबंधी चीजें थीं लोगों ने उसे अपना देवता समझ कर घरों में रख लिया था या अपने देवता बना लेते थे। मैं आपको एक उदाहरण और दूँ कि मथुरा जिले के अन्दर परखम गांव के पास एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जो कि बहुत पुरानी थी और उसको गांव के लोग 'जखैया' कहकर पुकारते थे। वहां पर पुरातत्व संबंधी खोज के कुछ लोग आये और वहां पर कुछ ऐसी किंवदंति है कि वह कुशन कालीन मूर्ति है जिसको कि पहले यक्ष के नाम से पुकारते थे, और यक्ष से फिर उसका अपभ्रंश 'जखैया' नाम हो गया....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

(३० ८ म० प०)

(गणपूरक घंटी)

श्री जुगलकशोर चतुर्वेदी : तो मैं यह बतला रहा था कि इस प्रकार से लोगों के धार्मिक विश्वासों का भी अवश्य ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी धार्मिक विश्वास एक विश्वास के रूप में होता है....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उस मूर्ति का क्या हुआ ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उस मूर्ति को वहां से लेकर फिर मथुरा म्युज़ियम में एक खास स्थान पर रखा हुआ है और अमेरिका और दूसरे मुल्कों में यह मानते हैं कि यह देश में सबसे ज्यादा महत्व की मूर्ति है। यह आज भी परखम के यक्ष नाम से मशहूर है। तो भरतपुर के आसपास भी कुछ ऐसी मूर्तियां हैं, जो कि १॥ या २ हजार वर्ष पुरानी हैं, लेकिन जो गांवों के पास हैं और उनको आज किसी ने दुर्गा, गणेशजी और किसी ने कुछ नाम दे रखा है, लेकिन यदि उनको पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाये, तो मैं देखता हूं कि वह पुरातत्व की चीजें हैं और लोग आज भी इष्टदेव के नाम से उनको मानते हैं और ऐसा विश्वास मान कर चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके धर्मों पर किसी प्रकार से आक्षेप किया जाये। लेकिन समझदार लोगों को ठीक तरह से समझाया जाये तो वह मान लेंगे, कि यह हमारे किसी देवी देवताओं से संबंधित नहीं है और यह तो पुरानी वस्तु है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि इसको कुछ व्यापक बनाने की जरूरत है जिसमें कि हम भेद कर सकें कि कौन सी चीज पुरातत्व में रखने योग्य है और कौनसी नहीं। इसी तरह से मैं यह भी समझता हूँ कि हमारे यहां के स्मारक, पुराने स्तूप या पुरानी छतरियां हमारे प्रदेश में ऐसी हैं कि जिनको सुरक्षित रखना चाहिए। अब, हमारे प्रदेश के अन्दर बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं। ऐतिहासिक महापुरुष हो चुके हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं। मेरा तो विश्वास है कि जहां कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, जो भी उनका क्रीड़ास्थल रहा हो या उनके जीवन से संबंधित कोई स्थान हो उनको सुरक्षित किया जाये। यों तो मैं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उदयपुर गया और मेरे साथ अपने कुछ साथी भी थे। वहां पर हम पुण्य भूमि, पविन भूमि हल्दी घाटी भी देखने गये और वहां हम बहुत उत्सुक होते थे यह जानने के लिए कि किस जगह पर कहां से राणा प्रताप गये होंगे, किस नाले को लांघा होगा, कहां जाकर उनका चेतक गिरा होगा ? वहां पर हम उदय सागर झील को भी देखने गये और हमने चाहा कि किस जगह पर मानसिंह के साथ भोजन के अवसर पर जिस प्रकार घटना हुई थी, वह कहां हुई होगी ? कोई बतलाने वाला, कोई कहने वाला नहीं था। कुछ पुजारियों ने जरूर कहा था कि नीचे मंदिर सा बना हुआ है, एक भवन सा बना हुआ है वहां राणा प्रताप रहते थे और ऊपर किनारे पर मानसिंह का डेरा रहा था, ऐसी वहां किंवदंतियां हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे कितने ही स्थान हैं राजस्थान में जहां कि इस प्रकार से महापुरुषों के जीवन से सम्बन्ध रहा है। मैं तो यह चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग को तलाश करके जो बूढ़े लोग हैं, जो पुराने आदमी हैं, उनसे इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करें। शायद भावी संतति उस चीज को नहीं पा सकेगी। यह ठीक है कि इस तरह की कुछ संस्थाएं भी बनी हैं, लेकिन फिर भी विशेष प्रयास करके जहां २ महापुरुषों से खास खास घटनाएं सम्बद्ध हैं वहां पर जरूर एक तरह का पट्टा लगा देना चाहिए; उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड जैसे होते हैं वैसे लगा देना चाहिए जिससे लोग पहचान सकें।

इसी तरह से उनकी रक्षा के लिए जो दंड विधान किया गया है वह भी कुछ ...है। इसमें लिखा है कि जो कोई इस प्रकार के स्मारक नष्ट करेगा, जो इस तरह के स्मारकों को नुकसान पहुँचायेगा, तो उनके लिए जो उन्होंने अर्थ दंड के रूप में जो रखा है, वह तो रखा है पांच हजार और जहां उनके कारावास का प्रश्न है उसके अन्दर रखा है तीन महीने। उसके कारावास की सजा तीन महीने होगी और जो आर्थिक दंड दिया जायेगा वह पांच हजार का हो जायेगा। दंड विधान सभा में ऐसा होता है कि इसको इतने रुपये का दंड होगा तो उसको सजा इतनी होती है। इतने रुपयों के साथ इतनी सजा होती है। मैं कानून का पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उसको एक अच्छा भयप्रद रखा जाय जिससे लोग इस तरह की चीज न करें। इसी प्रकार मैंने बताया कि प्राचीन पुस्तकों के सम्बन्ध में हम कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों से किसी भी तरह से उन पुस्तकों की खोज करायें। यह बात सही है कि बहुत सी संस्थाएं हैं जो खोज करती हैं, फिर भी उनसे भी बच जाती हैं। मैं तो कहता हूं कि ये कुछ लोग एक तरह से शोषण करते हैं उन लोगों के साथ। आज प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें महाभारत या गीता की हैं जिनका उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। जब बाहर के लोग आते हैं, तो वे पांच हजार और दस हजार रुपये ? देकर उन किताबों को ले जाते हैं, जिनको यहां पर कोई पांच या दस रुपयों में खरीद लेते हैं। उन लोगों की गरीबी का फायदा उठाते इसलिए राज्य सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो कि उसका उचित मूल्य ? देकर हस्तलिखित किताबें खरीदी जा सकें। ताम्र पत्र पर ऐसे लाखों लेख जैसलमेर में हैं, ऐसे कितने ही स्थान हैं जहां पर पुराने वक्त की

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

प्रणाली थी उस वक्त के चित्र, पुस्तकें वगैरह चीजें ऐसी हैं जिनकी रक्षा की आवश्यकता है। हम कुछ मूर्तियों की रक्षा करने जा रहे हैं लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरत है इस प्रकार की ग्रंथों की रक्षा करने की भी। एक इसमें प्रश्न और आता है कि जो इस प्रकार के पुरातत्व सम्बन्धी स्थान होंगे उनको सरकार अवाप्त करेगी किसी कानून के जरिए। लेकिन ऐसे स्थान भी राजस्थान में हैं जिनके कि स्वामी राजस्थान के बाहर हैं। यानी राजस्थान में स्मारक हैं लेकिन स्वामी, जिनका स्वामित्व इन स्मारकों पर है और वे राजस्थान से बाहर हैं उनको लेने की क्या व्यवस्था है, इसमें नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं भरतपुर और डीग के बीच में कुम्हेर के पास छागरसोली गांव की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं, माननीय अध्यक्ष, जहां पर कि महारावल होल्कर के पुत्र खांडेराव महारानी अहिल्या बाई के पति की छत्री है, वहां पर छत्री आज भी कायम है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको अपने अंतर्गत लेने के लिए इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है। उस छत्री पर आज भी एक पुजारी, एक आदमी इन्दौर की तरफ से होल्कर खानदान की तरफ से वहां पर रखा हुआ है। आज यदि, पुरातत्व विभाग उस छत्री को लेना चाहेगा, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है, तो उसके लिए क्या प्रावधान इसमें रखा है, क्योंकि इन्दौर राजस्थान के अन्दर नहीं है, वहां का जो मालिक उसका है, वह राजस्थान सरकार के अधीन नहीं आता, उनके लिए भी क्या व्यवस्था होगी, यह मुझे देखने को नहीं मिली। इस तरह की कितनी ही चीजें हैं जिनको मैं समझता हूं कि यदि इसको जिस रूप में आज हम ले रहे हैं उसी तरह से न ले करके हम एक प्रवर समिति इसके लिए बनाए और वह प्रवर समिति अभी चार-पांच महीने बाद जब हमारा अगला सत्र इस विधान सभा का आए, उससे पहले २ मिल कर जो इस प्रकार की कितनी ही चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर जैसा मैंने अभी कहा भी, उन सब चीजों को यदि हम उसमें लेते हैं, तो उससे बहुत कुछ लाभ ही होगा।

एक इसमें दिया है कि जो ऐन्शियेंट मोन्युमेंट्स हैं उसके समीप भी कोई किसी तरह से अधिकार करता है, तो उसको भी सजा दी जायेगी, वह दंडनीय होगा। यह 'समीप' शब्द जो है, यह भी भ्रामक हो सकता है। मुझे मालूम है कि डीग जहां कि एक परकोटा है उसके पास ही एक मोटरों का अड्डा है और आम लोगों का वहां पर स्थान है, वहां पर लोग आते-जाते हैं। अब उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह घोषित कर दिया है कि इससे पचास-पचास, सौ-सौ गज फासले तक कोई भी मोटर अड्डा नहीं बना सकता या उसके पास जा नहीं सकता। आज वहां पर लोग भयभीत हो रहे हैं। जो उसकी पुरानी परिधि है जो पुरानी सीमा है वह समाप्त हो जाती है। उसके पचास-पचास, सौ-सौ गज के फासले पर भी कोई होटल नहीं बना सकता, कोई किसी तरह से वहां नहीं बैठ सकता है। तो यह 'समीप' शब्द जो होता है, इसको डिफाइन किया जाय। जो प्रेमिसेज़ पहले से निश्चित हैं तो उससे अधिक सौ गज और दो सौ गज और जगह लेते हैं तो वह भी कुछ ज्यादा कष्टदायी सिद्ध हो सकती है। ऐसी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि जिससे आगे जाकर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जनता को कष्ट न हो। कई ऐसे कारण हैं जिनसे कि हमको यह देखना पड़ेगा कि इसको इस वक्त में या आज के जो हमारे विधेयक कानून के रूप में आए तो वह कहीं ऐसा न हो जाय, कि एक ओर तो उसे शिथिल अनुभव किया जाय तो दूसरी तरफ वह बहुत कठोर हो जाय। तो कई इस प्रकार के दृष्टांत हैं, जिनसे कि मैं आवश्यक समझता हूं और मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय भी जो कि इस कानून को पास कराने में बहुत उत्सुक हैं, जहां वे उत्सुक हैं कि इस प्रकार के कानून बनें वहां साथ ही साथ वे इस बात के लिए भी उत्सुक होंगे कि वह कानून सर्वांगीण बने, उपयोगी बने। वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि जितना महत्वपूर्ण विधेयक वे आज ला रहे है उसके महत्व को देखते हुए उसको जल्दी पास करने की आवश्यकता नहीं समझेंगे। फिर इसमें ऐसी कोई जल्दी करने जैसी चीज़ भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि दो, चार, पांच महीने बाद जब कि अगला सत्र प्रारम्भ हो उसके प्रथम सप्ताह में प्रवर समिति इस पर विचार करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तो यह कहीं अच्छा उपयोगी होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति का मेरा जो सुझाव है वह प्रस्तुत करूंगा और मुझे पूर्ण आशा है कि वे उसे स्वीकार करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो कानून इस सदन में लाया जा रहा है उसके महत्व के बारे में तो काफी रोशनी डाली जा चुकी है। लेकिन इस कानून के लाने के साथ साथ पुरातत्व संबंधी जो समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं, उस ओर मैं, मेरे माननीय मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस कानून की परिधि स्पष्टतः लक्षित होती है कि पुरातत्व संबंधी, जिसको हम आर्कियोलोजिकल मैटीरियल कहते हैं उस हद तक इस कानून की परिधि को सीमित किया गया है। हमें इस भेद को लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि यह भेद अब रूढ़ हो गया है। दूसरे भेद हैं साहित्यिक शोध संबन्धी बातों को हम किस हद तक पुरातत्व के साथ में आज जोड़ सकते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं नहीं कहता कि प्राचीन साहित्य सामग्री पुरातत्व के अन्दर आती नहीं, लेकिन जो प्राचीन वस्तुओं के प्रबन्ध और संरक्षण के लिए आज व्यवस्था है, और जिस व्यवस्था को हम लोगों ने मान लिया है, उसमें एक भेद कर दिया गया है। पुरातत्व के कई भेदों में से स्मारक संबन्धी जो अंग है उसकी रक्षा के लिए, मैं समझता हूँ, यह कानून हमारे सामने विचारार्थ रखा गया है।

सवाल सारा यह आता है कि हम राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारक जिनमें स्तूप, मन्दिर और छतरियां सब आ जाती हैं, उनको रक्षा के लिए ही इस कानून का सीमित रहने दें या इसकी परिधि को विस्तृत करें। यह बात बिल्कुल ठीक है कि राजस्थान की प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक सम्पदा की रक्षा के लिए, उसके संग्रह के लिए, यही नहीं, उसके संपादन और प्रकाशन के लिए, मैं समझता हूं, राज्यव्यापी प्रयत्न होना चाहिए। राज्य ने एक पुरातत्व मंदिर जोधपुर में कायम किया है। कुछ ५, ६ वर्षों से अधिक समय से वह काम करता चला आ रहा है और उस विभाग की ओर से राज्य के जहां तक प्राचीन ग्रन्थों का सवाल है,

(श्री जनार्दनराय नागर)

उनके संपादन और संग्रह का सवाल है, उस काम को राज्य करवा रहा है । राज्य के आर्क्योलोजिकल विभाग के द्वारा प्राचीन मूर्तियों, स्तूपों, स्मारकों की रक्षा का काम होता चला आ रहा है । तो इन दोनों राजकीय विभागों के द्वारा, मैं मानता हूं, राज्य के प्राचीन साहित्य और प्राचीन स्मारकों की रक्षा का प्रबन्ध जहां कर रहे हैं वहां साथ ही साथ राजस्थान की प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा का प्रबन्ध राज्य की ओर से हो रहा है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि ये दोनों विभाग सुसंगठित विभाग नहीं हैं । मैं आपको आर्क्योलोजिकल विभाग की याद दिलाऊं कि यह विभाग नितान्त ही असंगठित विभाग है । उसमें क्या होता है कि कुछ खास खास स्तूप और पुरातत्व संबन्धी स्मारक हैं उन्हीं की रक्षा का व प्रकाशन का काम ज्यादा होता है । लेकिन आज आप पुरातत्व संबन्धी म्यूज़ियम्स को देखें तो, अध्यक्ष महोदय, आपको एक बात का पता लग जायगा कि हमारे ये म्यूजियम अविकसित हैं। भारत सरकार से म्यूज़ियमों के विकास के लिए राज्य को मदद मिल सकती है । वह मदद, मैं समझता हूं, हमारी राज्य सरकार आज तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई है । डिवीज़न की योजनाएं तो राज्य सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं और उन पर निर्णय आज तक नहीं हो पाया है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारा आर्क्योलोजिकल विभाग पूर्ण विकसित डिपार्टमेंट नहीं है । वह पूर्ण समर्थ नहीं है अपने विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए । जिस प्रकार का काम होना चाहिए उस काम के लिए उसके पास साधन-सुविधाएं नहीं हैं । उसके पास स्टाफ नहीं है ।

इधर पुरातत्व मंदिर का भी, मैं समझता हूं, ढांचा और कामकाज कुछ इसी मिकदार के अन्दर चलता है, अध्यक्ष महोदय । राज्य ने जितने भी साधन उनको प्रदान कर रखे हैं वे साधन सीमित हैं, यथायोग्य नहीं हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का कानून इस सदन के द्वारा बनाया जाय जिससे राजस्थान की प्राचीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सामग्री का न केवल संरक्षण हो सके, लेकिन उसका संग्रह हो सके, उसका प्रबन्ध हो सके और आवश्यकता पड़े तो उसका प्रकाशन भी हो सके । सारा प्रश्न यह है कि यदि हम इस कानून से प्राचीन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संपदा को प्रकाशित नहीं कर सके तो उस संपदा का क्या करें ? यह बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान प्राचीन साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रदेश है । यहां पर ऐतिहासिक प्राचीन राजवंश जो आये, बसे और जिन्होंने अपना राज्य यहां पर चलाया उन प्राचीन राजवंशों का इतिहास आज का नया नहीं है, करीब ३ हजार वर्ष पुराना है । उस समय राजस्थान में दो प्रसिद्ध जनपद थे जिनके अवशेष कुछ मिलते हैं । राजस्थान का आज का प्रदेश दोनों जनपदों के अन्दर बंटा हुआ था, एक का नाम शैवी जनपद और दूसरे का नाम बैराट जनपद । शैवी जनपद और बैराट जनपद के संबन्ध में काफी अवशेष, ऐसे स्थान आज राजस्थान में हैं, जिनकी खुदाई होने का काम, मैं समझता हूं, प्रथम प्राथमिकता को लेते हुए होना चाहिए, जैसे उदयपुर के पास एक नगरी है, वहां पर खुदाई का काम थोड़ा बहुत चल रहा है । खुदाई से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन्हें आप

(श्री जनार्दनराय नागर)

देखें तो वहां पर मोहनजोदड़ो से भी प्राचीन अवशेष मिले हुए प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि इधर राजस्थान के हिस्से में वैराट जनपद के हिस्से के, मैं समझता हूं, ऐसे ऐतिहासिक स्थान आज भी हैं जिनकी खुदाई होना जरूरी है और जिनकी रक्षा होना बहुत जरूरी है। यह प्राचीन स्मारकों, प्राचीन अवशेषों और प्राचीन सामग्री का न केवल संरक्षण का सवाल है, यह सारा कानून, मैं समझता हूं, केवल संरक्षण ही के लिए हमारे सामने लाया गया है, उनके शोध, उनके विकास के लिए, संग्रह के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो सारा सवाल हमारे सामने दो पहलुओं में बंटा हुआ है। इस विधेयक से हम एक मकसद को, एक उद्देश्य को पूरा करेंगे। राजस्थान में जो प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सामग्री है, जो अवशेष हैं उनकी रक्षा इस कानून के जरिये कर पायें।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने दूसरे पहलुओं को हमारे सामने रखा है कि राजस्थान की प्राचीन साहित्यिक सामग्री के संपादन के लिए, संरक्षण के लिए क्या करें? मैं कह मानता हूं कि यदि ऐसा कानून लाया जाय कि जिसमें इस कानून का भी समावेश कर लिया जाय और जो हिस्सा रह गया है उसका भी समावेश हो तो मैं समझता हूं इस सदन के द्वारा काफी अच्छा महत्वपूर्ण काम कानून बनाने की दृष्टि से कर पायेंगे।

राजस्थान में चारों तरफ बिखरी हुई राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, राजस्थान का प्राचीन साहित्य, मैं समझता हूं, नवीन राजस्थान की चेतना और जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, अध्यक्ष महोदय, यहां महाराणा प्रताप का उल्लेख हुआ। उनके पिता जिस जगह पहली बार पर्वतमालाओं में जहां कि उदयपुर बसा हुआ है आकर रहे वहां वे खंडहर आज भी ज्यों के त्यों हैं। जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जहां महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ, जहां महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ वे स्मारक आज अरक्षित अवस्था में पड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप जैसी विभूति के लिए, उनके जन्म का जो स्थान है, उनके देहावसान का जो स्थान है, जहां उनका राजतिलक हुआ, मैं समझता हूं, उन स्थानों की हम पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। चितौड़ के किले में भारत सरकार के प्रयत्न से संरक्षण का कामकाज हुआ है। चित्तौड़ के किले में जितने स्मारक हैं उनकी रक्षा भारत सरकार की ओर से हो रही है। चितौड़ के किले के अलावा, मैं समझता हूं, राजस्थान का कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई भाग ऐसा नहीं है जहां कि कोई ऐतिहासिक महापुरुष उत्पन्न नहीं हुआ हो, उनके जीवन-यापन के कार्यकलापों की ऐतिहासिक महत्ता नहीं रही हो। उनके संरक्षण के लिए, मैं समझता हूं, कोई रचनात्मक प्रयास राजस्थान में नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूं कि इस कानून का उद्देश्य केवल निषेधात्मक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, लेकिन रचनात्मक उद्देश्य का इस कानून के अन्दर तत्काल समावेश किया जाना चाहिए। यदि कहीं ऐतिहासिक स्थान है तो खोज होनी चाहिए। इसका प्रावधान इस कानून के

(श्री जनार्दनराय नागर)

अन्दर होना चाहिए। खोज होने के बाद रक्षा के लिए प्रावधान इस कानून में होना चाहिए, यही नहीं राजस्थान के जो पुरातत्व-वेत्ता हैं उनकी निगरानी में उनका प्रकाशन हो। मैं समझता हूं, इसका ऐसा कोई न कोई प्रावधान इस कानून में होना चाहिए।

यह सही बात है कि राजस्थान का जो प्राचीन साहित्य है वह आज बाहर चला जा रहा है। हमारे राजस्थान में कई बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, अध्यक्ष महोदय, जो कि प्राचीन साहित्य संग्रह और शोध का काम कर रही हैं। मैं आपको बीकानेर की दो एक संस्थाओं की याद दिलाना चाहता हूँ। बीकानेर में सादूल इन्स्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जो वर्षों से प्राचीन साहित्य संग्रह और शोध का काम कर रही है। यही नहीं हमारे बीकानेर में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राचीन साहित्यिक शोध के विद्वान माने जाते हैं। उनके द्वारा इकट्ठी पुस्तकों का भंडार देखा जाय तो करीब करीब ४० हजार से अधिक उनके पास में प्राचीन ग्रन्थ संग्रहीत हैं और वे अपना शोध का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि राजस्थान की प्राचीन साहित्य सामग्री के बारे में मेरे माननीय मित्र ने यहां पर कोई जिक नहीं किया ! मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण और प्राप्ति की दृष्टि से।

सिक्के राजस्थान के बहुत से परिवारों के पास, वंशों के पास, कुटुम्बों के पास और जातियों के पास में हैं।

अब मैं आपका ध्यान चारणों और भाटों के साहित्य की ओर दिलाना चाहता हूं। आज राजस्थान में चारणों और भाटों का साहित्य बहुत सा मौखिक है। आज भी राजस्थान में ये जातियां हैं, लेकिन धीरे धीरे अस्तव्यस्त हो रही हैं। उनकी जबान पर जो साहित्य आज है उसको एकत्रित करने का प्रयास कुछ गैर सरकारी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हजारों वर्षों से चारण और भाट साहित्य का सृजन करते आ रहे हैं जिनकी गौरव-गाथा आप सुनते आ रहे हैं। मैं औपचारिक बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आवश्यक बात करता हूं। यदि हमारी निश्चित रूप से इतिहास के प्रति और प्राचीन संपदा के प्रति निष्ठा है, जैसा कि एक मित्र ने कहा कि प्राचीन के प्रति ममत्व जाग्रत हुआ है, सरकार का यदि सच्चा ममत्व है तो इस परिधि में ये विषय आने चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि चारणों और भाटों का साहित्य अमूल्य है जो यों ही चला जा रहा है। नवीन बदले हुए जमाने में उनका भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं है इसलिये इस चीज की आवश्यकता है।

साथ ही यह कहा गया कि प्राचीन लोगों के पास सामग्री है लेकिन उसे किस तरह से इकट्ठा किया जाय, इसके लिये बहुत कम धन दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से काम में कोई रुकावट नहीं डाली जाती है, लेकिन जो राज्य सरकार के स्तर पर काम होता है उसमें भी धन का बहुत कम ख्याल रखा जाता है। मेरा तात्पर्य यह है कि इन तमाम बातों पर विचार करना चाहिये। मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना

(श्री जनार्दनराय नागर)

चाहिये क्योंकि यह शंका की गई कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं ? हमारे सामने जो प्रश्न लाया गया, यदि कानूनी अड़चन है तो किस तरह से उसका निस्तार कर सकते हैं, इन सब बातों पर विचार करना आवश्यक है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : पुरातत्व सामग्री इकट्ठा करने के बारे में और इस पर नियम प्रस्तुत करने के बारे में मन्त्रीजी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं खुद भी इस विषय में थोड़े से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ट्रेजरी बेन्चेज़ पर कोई नजर नहीं आ रहा है !

श्री बरकतुल्ला खां (उप मंत्री विकास) : मैं हाउस में ही मौजूद था।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही उपयुक्त प्रस्ताव है। इस बारे में जितनी देरी की जाती है वह एक दिन जाकर घातक सिद्ध होती है। क्योंकि जैसा कि मेरे पहले माननीय सदस्यों ने कहा है, ५. ७ वर्षों के अर्से में भी जो चीजें यहां थीं वे बाजवक्त वहां नहीं मिलतीं। इस ओर मेरी विचारधारा भी रही है, इसके लिये इसकी परमावश्यकता है....

डॉ० बहादुरसिंह : आप अपना प्रयास बतावें तो मन्त्रीजी को तजुर्बा होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसके वास्ते मेरा अर्ज करना यह है कि यह भूखंड जो राजस्थान या महा-राजस्थान के नाम से विख्यात है उसकी भारतवर्ष में ही क्या प्रत्युत विश्व के अन्दर और दूसरी जगह के अन्दर भी यहां की बराबरी नहीं को जा सकती। आज तक जहां एक्सकेवेटर की स्पाइक और स्पेड, ये दोनों चीजें दुर्भाग्य से बहुत कम काम में आई हैं जिसके सबब से अमूल्य धन-राशि, या अमूल्य रत्नों से भी जिसकी कीमत ज्यादा है वह आज भूगर्भ में विलीन है, इस वास्ते यह अत्यन्त आवश्यक होना चाहिये कि इसके लिये व्यवस्था हो। इसके वास्ते जैसे पुराने खंडहर, स्तूप, पुरानी छतरियां, महल हैं, इन चीजों के अतिरिक्त मूर्तियों के वास्ते भी अभी प्रश्न आया है और जो भी सामग्रियें उपलब्ध हो सकती हैं उनके लिये प्रश्न आया है। राजाओं के राज्य में, राजाओं के महलों में और बहुत से जागीरदारों के महलों में और इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के बड़े-बड़े मठ हैं और मन्दिर हैं उनमें भी काफी सामग्री आज भी उपलब्ध हो सकती है जो आज सड़ रही है, गल रही है, इसमें इन चीजों का भी समावेश रहे, जो चित्र और पुस्तकें हैं उनका भी इसमें समावेश किया जाय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक स्टेप आगे बढ़ कर उन जगहों में जावें जहां उससे भी ज्यादा शस्त्र भी जो पुराने ऐतिहासिक युग की वस्तुएं हैं, जैसे महाराजा शिवाजी को शिवनेर में भवानी ने तलवार बख्शी है, उससे भी बहुत विशेष पहले के भी ऐतिहासिक शस्त्र मिलेंगे। उन चीजों के लिये भी इतना ही गौरव है जितना दूसरी चीजों के लिये हो सकता है।

यह भी परिपाटी यहां राजस्थान में और

Page No.95

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

भारत के अन्य स्थानों में रही है कि जो मूर्तियें हैं वे किसी सबब से खण्डित हो गई हैं या टूट गई हैं तो उनको गंगा, यमुना में या पुष्कर में जलमग्न कर दिया गया है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वे टूटी हुई मूर्तियां भी उपलब्ध हो सकें तो वे बहुत पुरानी संस्कृति की एक तरह से प्रतीक होकर हम लोगों के लिए मार्ग दर्शन कर सकती हैं। मैं देखता हूँ कि राजाओं के राजमहलों में और उपवनों में ही नहीं वरन् सरदारों के महलों में और यहां तक कि ऑफिसरों के यहां भी उनके बाग-बगीचों में बहुत पुरानी मूर्तियें जिनको देखा जाय तो उपलब्ध हो सकती हैं। यदि यह डिपार्टमेंट ये चीजें इनसे मांगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी भारतवर्ष में ऐसे मामलों में पीछे नहीं रहेंगे तो उन सब चीजों के लिए जैसी और चीजें हैं, कानून निर्धारित किया जाता है, यह तो अच्छी चीज़ है। इसके अतिरिक्त जो चीजें भू-गर्भ में आज मौजूद हैं वे तो इस तरह से आज भी सुरक्षित हैं। उससे ज्यादा दूर भी लोग जायं तो हर्ज नहीं है। जैसे कहा जाता है कि मिश्र में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग पहुँचे बिना नहीं रहें तो हमारे यहां भी ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जिनको लोग बाहर से आकर ले जाते हैं और ये चीजें बाहर पहुंच जाती हैं। तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा कि जैसे कपड़ों आदि का, जैसी दूसरी पुरानी बनी हुई कालीन आदि पुराने राजाओं आदि के यहां मिल सकते हैं। पुराने कपड़े और पांच-सात सौ वर्षों पुरानी चीजें, शस्त्र इत्यादि भी मिल सकते हैं।

तो ये चीजें भी एक दिन जाकर बड़े महत्व की हो सकती हैं। मेरे विचार के अन्दर यहां राजस्थान के अन्दर देखा जाय तो यहां जो मनुष्यों के वास्ते, देवताओं के वास्ते, वस्त्र आभूषण और दूसरी सामग्री बहुत ऊंची होती है और जो अफगानिस्तान को आर्याना और ईरान जिसको ईरान कहा जाता है, वहां पर यहां की सभ्यता का प्रभाव है, इसके साथ ही बाली, हैरात आदि जगह हैं, वहां पर काफी चीजें बुद्ध धर्म की मिलती हैं। कम्बोडिया, जिसको कम्बोज कहा जाता था, उस कम्बोडिया, श्याम और लाओस के अन्दर भी काफी चीजें हैं। जिनकी मिसाल में भारत की सभ्यता भी पिछड़ी हुई नहीं है। सुमात्रा आदि द्वीपों में इस प्रकार की चीजों की कमी नहीं रही है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, I rise on a constitutional point. Whether the State Government is empowered to pass this Bill. Under the definitions, Clause (2), snb-clause (ii),

"antiquity' means-(a) any coin, sculpture, epigraph, manuscript, record, document, picture, painting, printed matter or other work of art or craftsmanship .."

श्री अध्यक्ष : So what?

श्री पी० के० चौधरी : I am explaining.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप स्पीच देना चाह रहे है?

श्री पी. के. चौधरी : स्पीच नहीं, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। Now State List, item 12 says:—"...ancient and historical monuments and records other than those (declared by or under law made by Parliament) to be of national importance" तो हम कानून पास कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट में records are usually historical records. और कॉनकरेन्ट लिस्ट में आर्क्योलोजीकल साइट है : "Archaeological sites and remains other than those (declared by or under law made by Parliament) to be of national, imporatnce." 'Remains' here means 'archaeological debris.' तो मेरा जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, हम besides these archaeological remains or records, 'printed matter or other work of art or craftsmanship...' प्रिन्टेड मैटर, क्राफ्ट्स आदि इन सारी की सारी चीजों को करना चाहते हैं। So whether the Government is competent to take this sort of authority over them. Suppose I am possessing a fountain pen. It may be very costly pen, but it has no historical or archaeological value...

श्री अध्यक्ष : Your point is clear. The Hon'ble Member says that it is not within the competence of this legislature...

श्री पी० के० चौधरी : Yes, according to Constitution. The Constitution does not permit you to legislate on this.

श्री अध्यक्ष : I think it falls under the Concurrent List.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, The Concurrent List says, "Archaeological sites and remains other than those (declared by or under law made by Parliament) to be of national importance." That is all. But under our Bill we are taking away objects of craftsmanship or any other work of art. You cannot declare them as antiquities. एन्टीक्वीटीज़ जो हैं, अध्यक्ष महोदय, उसमें देखेंगे कि मैंने कोई अच्छी पिक्चर बना ली है; say, my father might have made a good picture and tomorrow he might expire. Now under this definition, you can declare that picture as an antiquity. This definition is as wide as that and the intention of the Constitution makers was not that you may declare everything as antiquity. Their intention was very clear, "archaeological..."

श्री अध्यक्ष : Any observations on this ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : और और दूसरी चीजें...

श्री पी० के० चौधरी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का जवाब आने दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां (उप मंत्री, विकास): Before this Bill was brought before this House, the Government of India was consulted and we were advised.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सुनाई नहीं पड़ा है।

Page No.97

श्री बरकतुल्लाखां : So far as the Concurrent and State Lists are concerned they are more or less in support of the provisions in the Bill. State List says about records. 'Records' also include 'books.' Under the Concurrent List, it says, "Archaeological sites and remains..." Now, Sir....

श्री पी० के० चौधरी : Does it cover a work of art which my father might have produced ?

श्री बरकतुल्ला खां : I take this opportunity to assure the Hon'ble Member that we are not going to snatch anything that he or his mother might possess.

(विराम)

But if somebody has got a thing which is of historical value, then in that case the State feels itself competent enough to legislate through this Act that it will remain in India either as a part of the National Archives or a part of the State Museum. In any case, Sir, it will be covered by State List, item 12 or Concurrent List item 40. I don't think we are going beyond our limitations.

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir, we have gone beyond our limitations.

श्री अध्यक्ष : Anyway, this is a question of interpretation. This House is competent to pass any Bill it likes. Whether it would be beyond our powers can be decided by the Courts later on. Moreover, the explanation given by the Hon'ble Minister should be enough to satisfy the Hon'ble Member. I rule out the point fo order and the discussion will proceed.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : नम्बर दो साहब, "...epigraph, manuscript, record, picture...." So this was the subject on which I was telling..

तो मेरा निवेदन तो यह था कि इसके ऊपर बहुत काफी तो कहा जा चुका है लेकिन सब चीजों का समावेश होने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता। राजस्थान के अन्दर वे चीजें भी हैं, जिनको देखा जाय तो एक दिन....

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, Another point of order. It does not contain any financial memorandum.

डॉ० चन्द्रकला : It is there. At the end.

श्री अध्यक्ष : Please make sure first about the point on which you want to talk.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : ये देखते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : You raise so many points of order that you are not sure of them.

रावल साहब ने अपना भाषण समाप्त कर लिया।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप पढ़ तो लें।

मेरा अर्ज करना यही है कि हमारे यहां की सभ्यता इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंची हुई थी जब वेस्टर्न लोग मैदानों में नंगे फिरते थे। इतने ऊंचे दर्जे की सभ्यता हमारे देश की थी जिसकी बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को शीघ्रातिशीघ्र काम में लाया जाय और जो मुझसे भी सेवा ली जायगी, मैं सहर्ष ऐसे मामले में सेवा के लिए तत्पर रहूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : This financial memorandum is defective.

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Member cannot raise any objection at any time. He should know that.

(विराम)

और बहस की आवश्यकता है इसमें ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं बोलूंगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब जरूरत नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्यों, क्यों ?

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान पुरातत्व सम्बन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६० प्रस्तुत हुआ है....

श्री पी० के० चौधरी : I want to speak on it.

श्री अध्यक्ष : आप तब तक और कागज़ देख लीजिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : (जारी) जिसके विषय में माननीय सदस्या ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखा है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

यह एक ऐसा विषय है जो हमारे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से बहुत ज्यादा सम्बन्ध रखता है। हमारे राजस्थान में पुरातत्व विभाग का कार्य जितना मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ होना चाहिये, ऐसा लगता है कि उस प्रकार नहीं हो रहा है और इसी कारण से यह बिल हमारे सामने यहां लाया गया है। लेकिन जब इस बिल को पढ़ा तो ऐसा लगा कि इसके उद्देश्य काफी विस्तृत हैं और इसके अन्तर्गत न केवल पुराने सिक्के और पुराना साहित्य है बल्कि पुरातत्व सम्बन्धी सभी चीजें आ जाती हैं। आज तक इस सम्बन्ध में कार्य किस प्रकार से चलता है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि केवल कुछ मन्दिरों पर और कुछ स्थानों पर बान लगा दिया कि यह राज्य सम्पत्ति है और ये पुरातत्व विभाग के अन्डर में हैं, लेकिन यहां पर भी कई जगह ऐसी हैं जो बहुत ही महत्व की हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया है और न कोई उनके लिये व्यवस्था रहती है और न की गई है। इस प्रकार के कई चित्र होते हैं जो ऐसे पत्थरों पर खुदे हुए होते हैं, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है मगर वे सुरक्षित नहीं हैं। जो कोई भी वहां पर, उन स्थानों को देखने जाता है वहां से उनको उठा ले जाता है! जिन लोगों के पास इस प्रकार के

(श्री दयाकृष्ण विजय)

साधन हैं कि वे उन चित्रों आदि को उठा कर ला सकें वे उन चीजों को जो उनको बहुत पसन्द आती हैं उठा कर ले आते हैं और इस प्रकार की कई चीजें लोगों के घरों पर संग्रहालय के रूप में पड़ी हुई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम इन अवशेषों को संरक्षण देना चाहते हैं तो हम लोगों को चाहिये कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था रखें कि ये सारे चित्र एक स्थान पर आ जावें।

जहां तक पुराने साहित्य और पुस्तकों के संरक्षण का सम्बन्ध है, उसके लिये भी इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से दूसरी चीजों के विषय में कार्य होगा उसी प्रकार से इसमें भी होगा, और साहित्य सदन जो कार्य करते हैं उनको सहायता दी जावेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये जैन संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनको किस प्रकार से सहायता मिलेगी। किस प्रकार से उनको इसमें सहायता मिलेगी? मैं ऐसा समझता हूं कि इसके लिये एक बोर्ड की जरूरत थी और वे ऐसी संस्थाएं सब उसमें मिलतीं और उनके अनुभवों से लाभ उठाती।

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं और ऐसी गाथाएं भी हैं जो उनके मस्तिष्क में हैं, जो ऐतिहासिक महत्व की हैं उनको भी लिपि बद्ध करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये उनको भी लिपिबद्ध करने का प्रबन्ध किया जावे ताकि वे स्थाई हो जावें।

पुस्तकों आदि के लिये यह ठीक है कि साहित्यिक एकेडेमी को भार दिया गया है। मैं इसकी आलोचना नहीं करता। मैं यह कहूंगा कि यह एकेडेमी का काम है कि जहां तक इसके ध्यान में संचय करने की चीज हो लाने की कोशिश करे। मगर इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि वह एक बोर्ड की व्यवस्था करे क्योंकि जिस प्रकार पुरातत्व के सिक्कों और स्मारकों से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार धार्मिक स्तंभ भी हो सकते हैं और ऐसे कई लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं उनको भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जावे। लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल सरकार में नौकरशाही में जो भावना होनी चाहिये वह नहीं है। इसमें तो व्यक्ति के सहयोग की तो आंतरिक भावना होना चाहिये और आंतरिक योग होना चाहिये जो आज-कल नौकरशाही में दिखाई नहीं देती है और वे लोग केवल मशीनरी की तरह काम करते हैं और जो काम संग्रह करने के लिये होना चाहिये वह उस प्रकार नहीं होता है। मैं यह कहूंगा कि कोई भी संग्रहालय बनाने की बात हो उसमें जहां कहीं एडवाइस लेने की बात हो तो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से जो इस सम्बन्ध में कार्य कर रही हैं उनसे एडवाइस ली जानी चाहिये, इससे आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा और वे लोग अधिक योग दे सकेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि यह बिल जल्दी पास होना चाहिये। अब तक यह कार्य सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्तर्गत चल रहा था। इससे इतना काम खास तौर से नहीं हो सकता था जितना अब किया जा सकता है। इसमें एक बोर्ड बना कर व्यक्तियों का सहयोग लिया जावे जो इसमें दिलचस्पी रखते हों। इसके अलावा कई ऐतिहासिक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

स्थान छोटी छोटी जगह पर हैं। अब तक सेन्टर की तरफ से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, मगर अब उन पर ध्यान दिया जा सकता है। आपको पैसे चाहे, सेन्टर देता है फिर भी आप उन स्थानों की मरम्मत आदि का जो कार्य है पंचायत समितियों द्वारा लेवें या दूसरा काम है ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का उसमें योग ले सकते हैं। इससे जो स्थान या पत्थर या कोई चित्र टूट गये हों गिर गये हों, उनकी वे लोग अच्छी तरह से देखरेख कर सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि छोटे स्थानों पर कोई पत्थर गिर जाता है और पता नहीं लगता तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई देखने वाला नहीं। मेरे जिले में इसी प्रकार का एक पुरातत्व मंदिर है; चारछोम में एक महादेव का बड़ा मन्दिर है। वह बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व का है, मगर उसकी हालत ठीक नहीं है। अटरू में महादेव का मन्दिर था उसमें जितने भी कलात्मक चित्र थे उनको कई लोग वहां से उठा कर ले गये और रामगढ़ के पास ब्रह्मदेव का मंदिर है वह तांत्रिक प्रतीक हो सकता है और उसको देखने के लिये कई विदेशी आते हैं। यह मंदिर बड़े जंगल में है। वहां जाने के लिये लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने भी एक बार उसको देखा। एक विदेशी वहां आया। वह विदेशी वहां पर कला को देख कर इतना मुग्ध हुआ कि वह वहां से एक चित्र ले गया और पत्थर उठाने वाले को बहुत बड़ा भारी पैसा दिया।

मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे कला की विदेशी लोग कद्र करते हैं, मगर हमारे यहां पुरानी सामग्री है, जिससे हम अपने पुराने इतिहास का पता लगा सकते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं इस बात को अवश्य मानता हूं कि इस विषय में सरकार की तरफ से कदम अवश्य उठाया गया है। इसके लिये विधेयक लाया गया है। मैं यह कहूँगा कि आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह अंग्रेजों द्वारा लिखा गया और उन्होंने हमारे आदरणीय नेताओं, जिनके गौरवपूर्ण गीत गाये जाते थे उनका गुणगान नहीं किया और हमारे यहां जो आतंककारी बन कर आये उनका गुणगान हमारे इतिहास में किया है और वही इतिहास हमारे बालकों को पढ़ाया जाता है और आज इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। यदि इसके लिये हम जितने भी प्रयत्न करेंगे तो हम अपने इतिहास को फिर से आगे लाने में और बालकों को सही बातों में आगे लाने में योग दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों की हमारे सामने बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें अपने इतिहास को सही माने में लाने के लिये पूरा कदम उठाना चाहिये। मैं सुझाव दूँगा कि जितनी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं वे सभी मिलकर इसमें योग दें तो यह कार्य आसान हो सकता है। इस दृष्टि से मुझे यह बिल अधूरा दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि इसमें एक बोर्ड का गठन होना चाहिये और इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है। वहां बैठ कर इस पर सदस्य विचार करें कि किस प्रकार से पंचायत समितियों से, ग्राम पंचायतों से और किस प्रकार दूसरे लोगों और संस्थाओं से योग ले सकते हैं। इस कार्य को अब तक

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा था और इससे हमको कोई ज्यादा लाभ नहीं होता था। लेकिन अब हमारे हाथ में यह चीज़ आ रही है तो हमें जो हम इस डीसेन्ट्रलाइज़ेशन से जितना फायदा उठा सकते वह उठाना चाहिये।

(४ म० प०)

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल इसको जल्दी में पास करके नहीं की जा सकती। यदि जल्दी में इसको पास करना चाहेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिल को, आज जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे सांस्कृतिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक कारणों से भी, मैं उन चीजों और बातों के महत्व को समझता हूँ, इसको जल्दी में पास न करके यदि थोड़ा इसमें विलम्ब भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे किसी पर कोई आघात नहीं होने वाला है और न ही किसी के समर्थन में बात होनी है। इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाय और उसमें पंचायत और पंचायत समितियों की राय ली जाय इस तरह से यह सांगोपांग होगा इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

उप मंत्री, विकास (श्री बरकतुल्ला खां): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। जो भी यह चाहते है कि मैं उनसे एग्री करूं लेकिन पहली मर्तबा आकर मैं उनसे डिसएग्री भी नहीं करना चाहता था लेकिन ये जिस तरह के आर्क्योलोजिकल मोन्यूमेन्ट्स हैं और डॉक्युमेन्ट्स हैं, मैं उन चीजों को ख्याल में रखते हुए यह चीज़ नामुनासिब होगी कि जिन चीजों को हम बचाना चाहते हैं उनके बचाव में हम देरी कर दें और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दें। जो हालात सामने आये हैं उनसे इसकी और भी ज्यादा जरूरत पड़ गयी है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का एक्ट था। वह पूरा रिपील हो गया, हमारे यहां उसका एडेप्टेशन कायम है या नहीं, शुबहा की चीज़ बन गई है। यही नहीं बल्कि, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि जैसे राणकपुर का टेम्पल है, उसके बारे में अखबारों में बड़े विख्यात आदमी की चिट्ठी आई कि जिसमें शिकायत की थी कि टेम्पल में टेम्पर-विथ किया जाता है, पुरानी मूर्तियों को रिप्लेस करके नयी लगाई जा रही हैं उनकी जगह और उससे आर्कोलोजिकल वेल्यू खत्म हो रही है। यही नहीं, कोटा में बाणखेड़ा, राजगढ़, किशनगढ़ में दूसरे ऐसे टेम्पल्स हैं, कुछ लोग वहां की मूर्तियों को हटा कर ले जा रहे थे। यह मामला रेवेन्यू और पुलिस अफसरों के सामने लाया गया। वह एक्ट चूंकि रिपील हो गया, इसलिए उन्होंने कानूनी चाराजोई करने से इन्कार कर दिया। नतीजा यह होता है कि जितना समय इस कानून को लागू करने में लगाते हैं उससे ज्यादा हमारी ये चीजें इधर उधर हो जाती हैं। यही कोई बात नहीं है, मैं, अध्यक्ष महोदय, यह बात कहूं कि भीलवाड़ा के आसपास एक टेम्पल को बाकायदा लोगों द्वारा लूटा गया जो जंगल में थे, उन लोगों ने मूर्तियां निकालीं, वे उनको दिल्ली ले गये। वे टेम्पल थे जिनको प्रोटेक्ट नहीं

(श्री बरकतुल्ला खां)

कर सकते थे । न तो वहां मेनेजमेंट था और न ही वहां पर कोई आबादी थी जो उनकी हिफाजत करती । लिहाजा यह जरूरत पेश आयी थी कि इन तमाम चीजों की हिफाजत की जाय और कुछ भी किया जाय चूंकि ये राजस्थान की चीजें हैं और वे राजस्थान से बाहर न जांय । कहने को कई बातें कही गई हैं, ऐसी बातें कह सकते हैं जिनको देखने से थोड़ी बहुत शर्म भी आ जायगी । जहां हम कहते हैं कि हमारी खूबसूरत चीजें हैं, जैसा कि फुलेरा से आने वाले मेरे लायक दोस्त ने कहा कि हमारी राजस्थान की कई जगह खूबसूरत चीजें हैं, इसलिए तो लॉ को लागू किया है । आज हिन्दुस्तान में ११वीं सदी के पेन्टिंग्स के मेन्युस्क्रिप्ट्स कहीं भी मुहैया नहीं हैं लेकिन हमारे यहां ११वीं सदी के पेन्टिंग्स सांचोर में पाम ट्री के ऊपर मौजूद हैं । अगर अपनी चीजों को हम बाहर जाने देंगे तो नतीजा यह निकलने-वाला है कि राजस्थान जो अपने आपको पुराना और ऐतिहासिक स्टेट बताता है वह सारा का सारा खत्म हो जावेगा । अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं कि किशनराय हैं, प्रेसीडेन्ट हैं, एडवाइज़री कमेटी गवर्नमेंट आफ इन्डिया के वे कहते हैं :

'Rajasthan is not physically a desert as generally believed to be but artistically it has become a desert because all its art has left the land and others is in the process of going."

This is an expert's opinion of a leading most man of our land. जब ये सारी चीजें सामने आयीं तो उसके बाद क्या किया जाय ? लिहाजा मैं इस बात से डिस्एग्री करते हुए इस बात से कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय मैं दर्ख्वास्त करूंगा उन तमाम मेम्बर साहबान को जिन्होंने मुख्तलिफ जबाबात पेश किये थे, शायद मैं उनको खुश कर सकूं और जबाब दे सकूं ।

क्लॉज ३१ में साफ जाहिर है कि एडवाइज़री बोर्ड बनाया जा सकता है । यह सवाल आया कि मेन्युस्क्रिप्ट खरीदे जा सकते हैं या नहीं ? मैं क्लॉज़ २० की तरफ ध्यान दिलाऊंगा । अगर ध्यान दिया गया तो मालूम हो जायगा कि उसमें क्लियर कट चीजें मौजूद हैं कि चीजें खरीद की जा सकती हैं ।

जहां तक मुझे याद है, एक मेरे दोस्त ने यह भी कहा था कि जितने बहियात हैं उनका क्या होगा ? वे एन्टीक्विटी में आती हैं, रेकॉर्ड में मौजूद हैं बल्कि तमाम वे चीजें जिनकी एक हिस्टॉरिकल वेल्यू हो सकती है, वे चीजें जो कि तीन हजार वर्ष पहले की हैं उनको रखने की कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि सबसे पुरानी चीज मालव की चीज़ मिली है जो यह बताती है कि राजस्थान के अन्दर रिपब्लिक जैसी कोई चीज़ थी । यह भी बताना चाहूंगा कि यक्ष की मूर्ति भरतपुर में सबसे पुरानी है । वह नोका से निकाली गई थी ।

मेरे एक दोस्त ने अभी अहिल्या और होल्कर की छतरी के बारे में फरमाया था । मैं बताऊं उनको कि वह ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है । ब सूरत मैं हाउस से नॉन कोऑपरेट नहीं करना चाहता, मैं उनको खुश देखना चाहता

(श्री बरकतुल्ला)

हूं, इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने में कुछ चीजों की हिफाजत करने में देर हो सकती है। जैसा जिस तरह से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जल्दी जल्दी यह चीज़ होनी चाहिये तो मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी २ पास कर लें तो अच्छा है। आनेवाले जमाने में राजस्थान ऐसी चीजें देने वाला है जो हिन्दुस्तान में कहीं भी मुहैया नहीं हैं। जब पाकिस्तान बना तो हिज़री और हड़प्पा की सिविलाइजेशन खत्म हो गई। वे दोनों ला-पता थीं। हनुमानगढ़ में एक्सकेवेशन हो रहा है। उदयपुर स्टेशन के सामने हो रहा है जो यह बताता है कि वह जमाना ऑल राउन्ड बताया जाता था। रेती के पाइप बनाये जाते थे। मटकी दूसरी मटकी को जोड़ के रखा गया था। वे पाइप थे।

आज जो हिन्दुस्तान की ओल्ड सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान के अन्दर मौजूद है।

जहां तक पुराने किलों का सम्बन्ध है हर जिले के अन्दर कोई न कोई किला जरूर मौजूद है जिसके अन्दर लाइइयां हुई हैं, हर गांव के अन्दर बहादुर लोग पैदा हुये थे। इस राजस्थान के अन्दर जो पुरानी चीजें इस तरह से अलग अलग जगहों हर बिखरी हुई हैं उनको एक जगह लाकर कन्सोलिडेट करके रखना चाहते हैं ताकि हिन्दुस्तान के और विदेशों के स्कॉलर्स आकर उनका फायदा उठा सकें।

जोधपुर के अन्दर जिस प्रकार रेकॉर्ड जमा है उसकी मन्शा यही है कि हिन्दुस्तान के और बाहर के लोग यहां आकर हमारी पुरानी तहज़ीब को जो देखना चाहते हैं वे देख सकते हैं। उस समय कितनी काबलियत थी, अक्ल थी, हुनर था वहां पर सारी मौजूद हैं। इस बिल की मन्शा भी यही है कि ये तमाम चीजें हमारे पास एक जगह हों, हमारे हाथ से न जायं, इससे हमारे यहां के और बाहर के स्कॉलर्स फायदा उठाते हैं। इसलिये मैं मजबूर हूँ कि इस सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को ना मन्जूर करूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि डॉ० चन्द्रकला को संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्मारक, पुरातत्व संबन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

खण्डशः विचार–विमर्श।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, I move, "That in Clause 2, part (ii)

(1) Add the words of 'national importance belonging to bygone ages' at the end of sub-part (a).

(2) In part (d) insert the word 'or' between the words 'historical' and 'archaeological' and delete the words 'or artistic'.

अध्यक्ष महोदय, यह जो डेफिनिशन है उसके अन्दर एन्टीक्विटी किसको कहा जाता है इसकी डेफिनिशन यह दी गई है :

"'Antiquity' means-

(a) any coin, sculpture, apigarh, manuscript record, document, picture, painting, printed matter or other work of art or craftsmanship,

(b) any article, object or thing of historical archaeological or artistic importance, interest or value, detached from a protected monument or collected from or discovered in a protected area,

(c) any article, object or thing illustrative of science, artcrafts, literature, religion, customs, morals or politics in bygone ages, and

(d) any other article, object or thing of historical archaeological or artistic importance interest or value,"

यानि दो तरह की एन्टीक्विटी होगी। एक एन्टीक्विटी 'includes any article, object or thing which the State Government may, by notification in the official Gazette, declare, by reason of its historical or archaeological association, to be an antiquity for the purposes of this Act but does not include an antiquity as defined in the Central Act, to which the provisions of that Act apply for the time being.' दूसरी एन्टीक्विटी है वह पार्ट 'ए' में है : "any coin, sculpture, apigarh, manuscript, record, document, picture, painting, printed matter or other work of art or craftsmanship," इस प्रकार से पार्ट 'ए' है जिसका सब पार्ट 'डी' है दोनों जिस प्रकार से रखा है उस प्रकार से हम रखते हैं दो तरह की एन्टीक्विटी होगी। एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेन्स की कोई चीज है जो हिस्टोरिकल रीज़न्स के लिए है, but because it is an object of art.

चाहे श्री पी० के० चौधरी द्वारा ही कोई क्यों न बनायी होवे या उसके पिता के द्वारा बनायी हो उसके लिए भी यह हो सकता है। यह जो बिल रखा गया है उसमें गवर्नमेंट की मन्शा है या नहीं, मैं नहीं कहता। यदि वास्तव में यही मन्शा हो तो यह मेरा अमेंडमेंट ज्यादा जरूरी है।

मान लीजिये, कल मैंने कोई चित्र बनाया जिसको हिस्टोरिकल मान कर प्रिज़र्व कराना चाहते हैं, whether that painting has got a historical value and whether that stands the test of time. इसका जब तक टेस्ट नहीं हो इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। मान लीजिये कोई आर्टिस्टिक वेल्यू का कोई चित्र बनाते हैं जिसको केवल इसीलिये

(श्री पी. के. चौधरी)

प्रिज़र्व करते हैं तो यह भी एन्टीक्विटी में आ जायगा। इसको मैं अक्लमन्दी का नहीं कह सकता।

पार्लियामेंट ने कानून बनाया। स्टेट लिस्ट व कॉन्करेन्ट लिस्ट में कहा गया है:

"Archaeological sites and remains other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance."

सब जगह ऐसी चीजों को प्रिज़र्व करने के लिए कहा गया है। खास तौर से it must be related to the archaeology. Value is changed with the changing world. जो टेस्ट ऑफ टाइम में स्टेन्ड करता हो, ऐसी चीजों को प्रिज़र्व किया जाना चाहिये। आज किसी लिट्रेचर के लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि इसको प्रिज़र्व किया जाना चाहिये। यह इस तरह की चीज़ हुई कि अपने लिये कफन हम आप खुद ही बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें राजस्थान सरकार डिस्क्रीशन कर सकती है।

श्री पी. के. चौधरी : जैसा कि मैंने कहा पार्ट 'ए' में, इतनी वाइड डेफिनिशन है, इसमें कोई क्लिअर नहीं।

They cannot declare an object that it is of a recent preparation or an ancient.

श्री बरकतुल्ला खां : It is just for the State Government for declaring whether it is something of recent origin of an old...

श्री अध्यक्ष : And particularly about the painting prepared by Shri P. K. Chaudhary.

श्री पी. के. चौधरी : My amendment is to add the words of 'national importance belonging to bygone ages' at the end of sub part (a)...

श्री अध्यक्ष : If these things are added, every word will be challenged in the Court of law, and that will then become very difficult to...

श्री बरकत्तुल्ला खां : Then what will be the definition of 'bygone ages', Sir?

श्री पी. के. चौधरी : That is taken from the definition here.

श्री अध्यक्ष : Any way you continue.

श्री पी. के. चौधरी (जारी) : तो आर्कियोलोजी की डेफिनिशन 'सी' में है वह 'ए' में लागू होगी। तो इस कारण मैं तो इसे मानता हूँ कि हम इस प्रकार का कानून नहीं बनावें और न कि जिस एक्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं जो कि प्रिज़र्वेशन ऑफ ओल्ड मोन्युमेंटस् था उसके इन्टेन्शन के खिलाफ हम जावें। उसका उद्देश्य था क्राफ्टसमैनशिप को प्रोत्साहन देने के लिये, पर आप डिक्लेअर करना चाहते हैं इसकी डेफिनिशन में, दस-बीस वर्ष पुराने पेन्टिंग या क्राफ्टसमैनशिप को रिकॉग्नाइज़ करने की बात।

(श्री पी. के. चौधरी)

It is going too far in your zeal and people will laugh at you that you are preserving your existing history. आज के, रिसेन्ट के और दस–बीस साल पुराने वर्क को आप रिकॉग्नाइज़ करने के लिये बड़े उत्साही हैं कि आज आप इस तरह की डेफिनिशन रखना चाहते हैं। आप प्रेज़ेन्ट हिस्ट्री को प्रिज़र्व करना चाहते हैं। उसे इसके अन्तर्गत लेकर आप कम्पेन्सेशन भी देंगे और सभी चीजें उसके लिए करेंगे। "A man of action never bothers to preserve the present history." वह तो यह सोचता है कि मेरी ऐसी हिस्ट्री बने कि आगे आने वाली सन्तति उसे देख कर प्रेरणा ले और वही इसे बनावे। We are trying to change every day. It will be much better than what is today. We are trying to progress everyday. इसलिए किसी भी डाइनेमिक सोसाइटी का यह तकाजा नहीं है कि अपनी आज की हिस्ट्री की बात पहले सोचे, न कि आगे की प्रोग्रेस की।

तो जहां तक हिस्टोरिकल प्रिज़र्वेशन को बात है उसे आप करिये; पर मैं जानता हूं कि इस क्लॉज़ का दुरुपयोग हो सकता है। किसी ने एक किताब देख ली दस साल पहले, तो अगर दुरुपयोग करने की नियत बनी तो इस क्लॉज़ का दुरुपयोग करके उसे भी इसके अन्तर्गत ले लेगा। किसी ने प्रिन्ट बना लिया या पेन्टिंग बना लिया दस, पन्द्रह साल पहले। उसके लिया कहेगा कि यह तो एन्टीक्विटी है। ये सारे इसमें आते हैं। इसे कम्पेन्सेशन दो। इसे लो। तो मैं समझता हूं कि इतनी वाइड डेफिनिशन नहीं रखनी चाहिए। मन्त्री महोदय कहेंगे कि गवर्नमेंट की मंशा नहीं है यह।

श्री बरकतुल्ला खां : Why do you anticipate my reply. It may? be different than a usual reply. तो इसके इन्टरप्रिटेशन और भी हो सकते हैं। मिसयूज़ भी हो सकता है। आपने क्रोनोलोजी नहीं लिखी तो इसका तो मिसयूज़ होगा और यही समझा जावेगा कि आप एन्टीक्विटी में इन्हें रख कर इन्हें भी प्रिज़र्व करना चाहते हैं और यह अगर है तो यह पागलपन के सिवाय और कोई शब्द इसके लिये मेरे पास नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह 'पागलपन' अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री पी० के० चौधरी : No, it is not unparliamentary.

श्री अध्यक्ष : I think your meaning is quite clear...

आप अमेन्डमेन्ट पेश कर रहे हैं। You have put your amendment. Let other members speak now.

श्री पी० के० चौधरी : Another verbal Amendment, Sir, I want to move.

डॉ० बहादुरसिंह : वह कैसे हो सकता है ?

श्री पी० के० चौधरी: Just hear me.

श्री अध्यक्ष : We have taken only clause 2.

Page No.107

श्री पी० के० चौधरी : That is in Sub-Clause 4. It should be 'ground' instead of 'sound'.

श्री अध्यक्ष : It is a suggestion to the Government.

श्री अध्यक्ष : (उप मंत्री से) आपको कहना है उसके बारे में ?

श्री बरकतुल्ला खां: यह बिल जो है यह पुरानी चीजों को प्रिज़र्व करने के लिये बनाया गया है और हो सकता है इसके पीछे भावना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हो। क्योंकि प्रोग्रेसिव-वालों का तो मानना यह है कि पिछले नाते-रिश्ते तोड़ कर नई चीज बनाई जावे।

तो इस बिल की सारी मंशा यह है कि तमाम वे चीजें जो पहले लोग बना गये हैं उनको प्रिज़र्व करें और जमा करके उनको रखें। इसलिये कहीं जोश में यह भी ख्याल आ जाता है कि हिस्ट्री हम बना रहे हैं तो हमारी हिस्ट्री तो जो बनेगी वह आइन्दा आने वाला जमाना लिखेगा। हमारे मुंह से हम अपनी हिस्ट्री बनाने की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : It might be history but not the antiquity.

श्री बरकतुल्ला खां : Who will preserve the records for 2 thousand years ?

श्री पी० के० चौधरी : आप भी अपनी हिस्ट्री प्रिज़र्व करना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां: जहां तक कॉन्ट्राडिक्टरी होने का सवाल है डेफिनिशन में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हरएक चीज़ को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। इसके बाद दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि कुछ बातें रह गई हैं, जैसे शाहजहां का जूता जो कि इस डेफिनिशन में नहीं आ सकता तो ऐसी और भी चीजें रह सकती हैं क्योंकि ये किसी प्रावधान से गाइड नहीं हो सकती थीं। तो इन चीजों के लिये प्रावधान करने के लिये इस नीयत से कि ऐसी चीजें हाथ से न चली जावें इसको कवर किया गया है 'डी' से।

पर कोई यह सोचे इस जमाने में कि रीसेन्ट ओरीजिन को ही हिस्टोरिकल और आर्क्योलोजी कह देगा तो यह सारा एक्ट बनाना ही रिडिक्युलस होगा। फिर हमारे खुद के पास इतना रुपया मिल सकता है कि जिससे हम जो अपने पास पुरानी चीजें हैं उनको ही प्रिज़र्व करने में फेसिलिटेट कर सकें। फिर दस, बीस, पच्चीस साल पुरानी को कैसे डिक्लेअर कर सकते हैं कि ये एन्टीक्विटी हैं? इनको इस बिना पर कंम्पेन्सेशन दे दें और एक्वायर कर लें।

असल बात तो यह है कि जो चीजें पुराने गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के एक्ट से प्रिजर्व होने से बच गई हैं उनको प्रिज़र्व किया जाय और लोगों को कोई ऐसा मौका कानून के न होने से न मिल जावे कि दूसरा आदमी मौके का फायदा उठा कर उन्हें बेच दे या कह दे कि इसकी तो आर्क्योलोजिकल वेल्यू नहीं है। तो इसके लिये यह बिल रखा है। इसलिये मेरी अर्ज है हाउस से कि वे इसे मन्जूर कर लें। I hope the Hon'ble Member will withdraw his amendment.

श्री अध्यक्ष : एक सूचना आपको दे दूं कि वह शब्द 'ग्राउन्ड' है, it is not 'sound,' it is 'ground."

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २ व ३ विधेयक के अंग बनें।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : तीन पर मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : अमेन्डमेन्ट तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पर इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ दो विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ तीन के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जो हम कानून बनाने जा रहे हैं उस कानून के द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो इस प्रकार का कानून है और उसका जो इम्प्लीमेन्टेशन या एग्जीक्युशन हो रहा है उसके अन्दर यह कानून किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करेगा।

अभी जिस समय फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था और यह प्रश्न पैदा किया था कि राजस्थान सरकार इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना सकती उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि भारत सरकार का जो इस प्रकार का कानून है और जिस रूप में वह हमारे यहां लागू है, उसके अलावा जो उस मोन्युमेन्ट के प्रोटेक्शन के लिये आवश्यकता महसूस करते हैं उसकी पूर्ति के लिये हम यह कानून बना रहे हैं।

तो, आज जो हमें एक कानून बनाने का अधिकार है वह कानून बनाने का अधिकार बेशक संविधान के द्वारा हमें मिला हुआ है और जब संविधान के द्वारा अधिकार मिला है तो उसके अन्तर्गत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पॉवर के अनुसार उसने कानून बनाया हो, उसमें आपका कानून इन्टरफियर करता हो। उस स्थिति में आपने यह कानून बनाया है यह स्पष्ट है। तो इस क्लॉज़ को न रखने से भी आपका काम चल सकता है। पर अगर इस क्लॉज़ को कानून में रख कर आप चलते हैं तो इसकी मंशा स्पष्टतः यह होगी कि किसी

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कानून में हस्तक्षेप करें। तो ऐसी स्थिति में इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं भी रहती है तो तात्पर्य यही होगा कि हमने केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाये कानून में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है और यदि यह क्लॉज़ रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा बन रहा है जिसका इन्टरप्रिटेशन यह लिया जा सकता है। यह इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न इससे पैदा होता है। इसलिये मेरा यह निवेदन करना है कि जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इस मुद्दे पर रेज़ किया है उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर इसको हटा दिया जावे तो नुकसान नहीं होने वाला है। पर इसको रखने के कारण गलत इन्टरप्रिन्टेशन किसी भी समय समझा जा सकता है, यह स्पष्टतः इससे अर्थ लिया जावेगा।

श्री बरकतुल्लाखां (उप मंत्री, विकास): I agree to it and permission may be granted to be deleted.

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ४।

श्री पी० के० चौधरी : अमेन्डमेन्ट का क्या हुआ। क्लॉज़ तीन का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : We would not put it to vote.

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ में मेरा संशोधन यह है :

"(1) Insert the words 'by the notification in the Official Gazette' between the words 'declare' and "for."

(2) Delete sub clauses (2) and (4). Also in sub-clause (5) rplace the firure '4' by (1). क्लॉज़ ४ में 'Power to declare monuments etc to be protected'.

इसके सब-क्लॉज़ (१) में लिखा है :

"The State Government may declare for the purposes of this Act-"

So between the words 'declare' 'and 'for' the words 'by the notification in the official Gazette' are to be inserted and then it will read as :

"The State Government may declare by notification in the Official Gazette for the purposes of this Act." That is my amendment here.

सब-क्लॉज़ (२) में, जिसको कि मैंने डिलीट करने के लिए कहा है, उसमें इस तरह लिखा हुआ है :

'Before making any such declaration as is referred to in sub section (1), the State Government shall, by notification in the Official Gazette, give two months' notice of its intention to do so and a copy of such notification, along with a statement of the reasons for which such declaration is proposed to be made, shall be affixed in a conspicuous place at or near the ancient or historical monument or the archaeological site which is proposed to be declared as

(श्री पी. के. चौधरी)

protected or on or near the place where or in which such monument or the antiquity proposed to be declared is protected is for the time being.'

और सब-क्लॉज़ (४) जो है वह यह है:

"On the expiration of the said period of two months the State Government may, after considering the objections, if any, received by it, declare by notification in the Official Gazette-

(i) an ancient or historical monument to be protected monument,

(ii) an archaeological site to be a protected area, or

(iii) an antiquity to be a protected antiquity."

I could not follow it. If the history says or if your expert says there is an ancient monument, it should be delcared...

मैंने सब-क्लॉजेज़ (२) और (४) दोनों को डिलीट करने के लिए लिखा है और वह इसलिए लिखा है कि जिस मोन्युमेन्ट को आप प्रिज़र्व करना चाहते हैं आप उसका गजट में दो महीने का नोटीफिकेशन लगाइये, फिर उस साइट पर नोटिस लगाइये जिसको कि आप प्रिज़र्व करना चाहते हैं। तो कोई मोन्युमेन्ट किसी प्राइवेट प्रोपर्टी में हो या किसी ट्रस्ट में हो तो जो इन्ट्रेस्टेड लोग हैं आपके नोटिस लगाने के बाद और दो महीने के दरमियान में उनको मौका मिलेगा कि जो उसकी वेल्युएबल चीजें हैं उनको वह हटा सकते हैं। अब उसके बाद में उनके ऑब्जेक्शन्स सुनने के बाद आप डिक्लेयर करेंगे कि that it is an ancient monument...

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई मोन्युमेन्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स का है या नहीं, तो इसको तो आपको पहले ही सोचना चाहिए, you must make your own decision. तो फिर आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए और फिर डिक्लेयर कर देने के बाद में किसी को ऑब्जेक्शन करना हो तो उसको दो महीने का समय दे सकते हैं, वर्ना अगर ऐसा नहीं करेंगे और उसके लिए नोटिस लगा देंगे और दो महीने में कोई ऑब्जेक्शन करे और फिर उसको सुनने के बाद ही आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो इसमें तो प्रोपर्टी के डेमेज होने का काफी डर रहता है और मुझे On the face of it" ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्शन्स सुनने के बाद आप डिक्लेयर करेंगे। अगर आपके किसी एक्सपर्ट ने कह दिया कि यह हिस्टोरिकल मॉन्युमेन्ट है तो फिर आपको नोटिस वगैरह के लगाने की जरूरत ही नहीं रहती। आपने अभी अभी दो, चार मन्दिरों का नाम बताया, पत्थरों का नाम सुनाया, अब जब कि हम उनको मानते हैं कि यह एन्शियेन्ट हैं और इनको प्रिज़र्व करने का है तो फिर ऑब्जेक्शन किस बात का आ सकता है? ऐसी चीज को तो लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। हमारा दिमाग साफ होना चाहिए कि this is ancient and this is modern अगर वह एन्शियेन्ट है तो ऑब्जेक्शन के बाद कोई मॉडर्न नहीं हो जायेगा और अगर मॉडर्न है तो एन्शियेन्ट नहीं हो जायेगा। जो

(श्री पी. के. चौधरी)

साइट आप प्रिज़र्व करना चाहते हैं उससे नोटिस दो महीने का लगा कर रखेंगे तो a number of people will take advantage of that and they will remove things, जिसका आपको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए announcement must be immediate and atonce, जिससे कि आप उसको प्रिजर्व कर सकें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, गणपूर्ति का अभाव है !

(४. ३५ म० प०)

(गण-पूरक घंटी)

श्री पी० के० चौधरी : तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह मैंने इसलिए ही रखा है और जो बात मैंने बताई कि अगर आप उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं पहले और बाद में उसको अपील का मौका देते हैं तो यह ठीक है। ऑब्जेक्शन इन्वाइट करके एन्शियेन्ट या मॉडर्न का फैसला नहीं होता है। एन्शियेन्ट और मॉडर्न जो है worth preservation or not वर्थ प्रिज़र्विंग मोन्युमेन्ट है या नहीं, वह तो टेक्निकल एडवाइस से होता है। मैं समझता हूँ कि यह अमेन्डमेन्ट जो मैंने रखा है इसको मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है मैं इसका विरोध करता हूं। उसका कारण यह है कि यह केवल कुछ बिल्डिंग्स का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत बहुत सी चीजें आती हैं और वह किसी के भी पजेशन में है और कोई उसका मालिक भी है, किसी वस्तु का कोई मालिक भी होता है तो उससे वह चीज यों ही नहीं ली जा सकती जब तक कि उसकी कन्सेन्ट न मिल जाये। यदि उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको सुनने का अवसर देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुझे समझ में नहीं आता कि अपने कॉन्स्टीट्यूशन में भी ऐसी बात है कि अगर सरकार किसी की कोई चीज़ को लेना चाहती है तो पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा और उसके ऑब्जेक्शन्स सुनने पड़ेंगे और हर एक आदमी को सुनने का अवसर देने का राइट है, उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसके अन्तर्गत जब कि हम सारी पुरातत्व संबंधी सामग्री को संग्रहीत करना चाहते हैं और उसकी रक्षा भी करना चाहते हैं और उसको अपने पजेशन में लाना चाहते हैं तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उसको नोटिस दें और उसका प्रोपर टाइम हो और जिससे वह प्रोपर्टी ली जाती है तो उसके भी ऑब्जेक्शन्स सुनने चाहिए और उसके ऑब्जेक्शन्स सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि यह चीज रक्षा के अन्दर लेने की है। जब तक उनके बारे में पूरा विचार नहीं हो जाये तब तक उसको इसके अन्तर्गत नहीं लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बाद में किसी प्रकार के नये ऑब्जेक्शन्स लाये जा सकते हैं। इसके बाद में यह जो संदेह प्रकट किया गया कि कई चीजें उसमें से हटा दी जायेंगी तो मेरी समझ में यह कल्पना तो ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार से राष्ट्रीय सम्पत्ति की कोई चीज़ है और वह किसी के पास है तो उसका पूरा डेस्क्रिप्शन तो होगा ही, फिर कोई व्यक्ति कैसे हटायेगा ? कोई नोटीफिकेशन निकाला जाये और उसके अन्दर उस सम्पत्ति

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का विवरण आ जाये और उसके बाद में फिर आॅब्जेक्शन मांगे तो यह शंका प्रकट करते हैं कि उसमें से कोई चीज़ हटा दी जायेगी, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो जो भी लिस्ट आप देंगे और जब कि सारी चीजें उसमें आ जायेंगी तो फिर हटाने या चुराने की बात इसमें नहीं होगी। मैं समझता हूं कि शायद नोटीफिकेशन इतना विस्तृत होगा कि उसमें सारी संबंधित चीजें लिखी होंगी। अगर ऐसी बात नहीं हो तो माननीय मंत्री महोदय इसको एग्री कर लें और नोटीफिकेशन में सारी चीजों का विवरण होगा, ऐसा अमेन्डमेंट अपनी तरफ से मूव कर दें या फिर इसे ही अमेन्डमेंट मूव किया हुआ समझा जाये।

श्री बरकतुल्लाखां (उप मन्त्री, विकास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें तो नोन एन्टीक्विटी की हैं जिनके ऊपर कि कोई कार्यवाही नहीं हो सकती और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एन्टीक्विटी की हैं और जिनसे हम वह लेना चाहते हैं अगर उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो इस सदन के मेरे यही अज़ीज़ दोस्त कहेंगे कि सरकार ज्यादती कर रही है और जब किसी को मौका दिया जाता है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐतराज करते हैं तो यही कहा जाता है कि बहुत कमजोरी के साथ मुकाबिला किया जा रहा है। यह तो वही बात हो गई, 'हम हुए काफिर तो वह काफिर मुसलमां हो गए' यानी हम किसी के लिए काफिर हुए तो दूसरा हमारे लिए काफिर से मुसलमां हो गया, वही चक्कर पड़ गया। हम जब किसी को मौका नहीं देना चाहते तो कहा जाता है कि उनको मौका मिलना चाहिए और यदि किसी को मौका देते हैं तो कहा जाता है कि उसको मौका नहीं दो। समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते से कहां पहुंचें ? मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस अमेंडमेंट को वे विथ्ड्रॉ कर लें।

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ में श्री पी० के० चौधरी का जो अमेंडमेंट है उसको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ५,

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ में मेरा अमेंडमेंट है :

"In Clause 5, sub clause (4) part (a) may be deleted." Clause 5 says- "Acqusition of rights in or guardi-

(श्री पी. के. चौधरी)

anship of a protected monument-(1) The Director may, with the sanction of the State Government, purchase, or take a lease of, or accept a gift or request of, any protected monument."

Its sub clause (3) says, 'The owner of any protected monument, may, by written instrument, constitute the Director to be the guardian of such monument and the Director may, with the sanction of the State Government, accept such guardianship."

sub clause 4 says, "when the Direcior has accepted the guardianship of protected monument under sub section (3)-

(a) the owner shall, except as expressly provided in this Act, have the same estate, right, title and interest in or to the monument as if the Director had not been constituted a guardian thereof....'

अध्यक्ष महोदय, जब कि गार्जियन बना दिया जाता है, उनकी देखरेख के लिए रक्षक, संरक्षक बना दिया डायरेक्टर को तो उसके बाद भी एक क्लॉज़ है सब क्लॉज़ (४), उसके मातहत जो उसका ओनर है उनको राइट रहेगा :

"If the Director had not been constituted a guardian thereof".

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो सकता है। जैसे मेरे पास जवाहरात हैं। संरक्षक मैंने आपको बना दिया। अब मुझे शादी में जाना है। मैं चाहूंगा कि मैं पहिन कर जाऊं तो आप उसकी रखवाली करेंगे, आपको सेफ डिपोज़िट का किराया देना पड़ता है, रखवाली रखेंगे जब वह उसको पहन कर जायेगा। आज मान लीजिए कि एक किले में मैं रहता हूं और यह किला जो है वह प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट डिक्लेयर कर दिया....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : चौधरीजी जेवर पहिन कर जावेंगे तो खराब ही लगेगा।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी : तो किला है, अध्यक्ष महोदय, या बिल्डिंग है या कोई साइट है उसको आपने डिक्लेयर कर दिया मोन्युमेंट और आप उसके सरपंच बन गए हैं तो डाइरेक्टर उसकी सफाई वगैरह करायेगा, उसकी पेंटिंग वगैरह की जिम्मेदारी होगी और मैं उसमें ठाठ से रहूंगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : जैसे बरात में ठहरे हों।

श्री पी० के० चौधरी : हां, सब कुछ कर सकता हूं, बरात भी ठहरा सकता हूं। तो इस एक्ट में "the owner shall except as expressly provided in this Act, have the same estate, right, title and interest in or to the monument as if the Director had not been..."

तो इस एक्ट में कहीं नहीं है कि वह नहीं रह सकता। "If the Director had not been constituted a guardian thereof, and..."

(श्री पी. के. चौधरी)

इस एक्ट के आगे जाकर फार रुलैंड इम्प्लीकेशन्स होंगे। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ की implicacy पैदा हो सकती है और उस implicacy का फायदा उठाकर कई लोग डाइरेक्टर को अपना गार्जियन बना देंगे और हर तरह से फायदा उठायेंगे। उनके पास कोई एन्शियेंट जवाहरात, क्लॉथिंग या मकान होंगे तो वह डाइरेक्टर को सौंप देंगे, जिसकी रखवाली आपको करनी पड़ेगी। वे झाड़ू वगैरह आपसे दिलायेंगे। तो इसलिए मेरा जो अमेंडमेंट है उसको आप स्वीकार करेंगे और डाइरेक्टर को ऐसी स्थिति से बचायेंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ओनर्स की भावना पर जो शक किया है उससे मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है क्योंकि यह उन्होंने कैसे मान लिया या मान लेना चाहिए कि ओनर्स को जिनके पास पुरानी चीजें हैं उनको उसके प्रति ममता नहीं होगी, वह अपना अधिकार ही केवल जमाना चाहेंगे....

श्री अध्यक्ष : यह चीजों के बारे में नहीं मोन्युमेंट्स के बारे में है। जो सदस्य अपना संशोधन रख रहे थे वह भी चीजें ही कह रहे थे।

डॉ० चन्द्रकला : जिस तरह की बात यहां कही गई, अध्यक्ष महोदय, कि जैसे किला है, अगर सरकार ने उसे पुरातत्व की सामग्री घोषित कर दिया तो ओनर उसका मिसयूज़ करेंगे, ऐसा क्यों मान कर चलते हैं? इस तरह ओनर्स की भावना पर शंका करना कि पुरानी चीजों की सरकार तो हितैषी है और वह सारे मोन्युमेंट्स की रक्षा करना चाहती है और जो ओनर्स हैं वह किसी न किसी तरह से उससे फायदा उठाना चाहेंगे, यह कहना ठीक नहीं है। उनको तो उन चीजों का रक्षक रखना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सरकार जो व्यवस्था करेगी उससे कहीं अधिक अच्छी तरह से वह व्यवस्था करेगा जिसके पास कि वे अवशेष हैं।

श्री अध्यक्ष : कानूनी तौर से वह बेच सकता है, रहन रख सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन अधिकार होने से वह मिसयूज़ करेगा, यह मानना तो ठीक नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जब पुरातत्व के लिए विधेयक बनाया जा रहा है तो अधूरा विधेयक नहीं बनाना चाहिए। मेरा यह सुझाव है, राज्य सरकार की जो मंशा है, राज्य सरकार किसी स्थान को रक्षित स्थान घोषित कर देती है और उसे किसी व्यक्ति के पास रहने दिया गया तो उससे जो सरकार की मंशा है कि पुरातत्व महत्ता की, पुरातत्व के महत्व की चीजों को, पुरातत्व के स्थानों को प्रिज़र्व किया जाय, वह मंशा उससे बेकार हो जायेगी। आगे आने वाली जो धाराएं ६, ७ व ८ हैं उनके अनुसार सरकार प्रतिबन्ध लगा देगी कि वह उनकी मरम्मत करायें; लेकिन कई आदमी इस प्रकार के हैं जो ऐसा नहीं करवा सकते तो ऐसी स्थिति में जिस स्थान को राज्य सरकार संरक्षित स्थान घोषित कर दे तो उसको घोषित

Page No.115

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

करने के बाद में वह उसको कम्पल्सरिली राज्य सरकार खरीद ले, एक्वायर कर ले। पुरातत्व की जो सम्पत्ति है वह राष्ट्रीय महत्व की सम्पत्ति होती है। उसको किसी व्यक्ति के पास रहने देती है और आगे जाकर उस पर प्रतिबन्ध लगाती है कि इस प्रकार के काम कराने पड़ेंगे और फिर वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता आदि जो इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगायेंगे तो वह व्यक्ति, जिस प्रकार से इनकी रक्षा होनी चाहिए, नहीं करेगा। आज भी कई स्थान ऐसे हैं जो खराब हो रहे हैं लेकिन लोगों के दिलों में यह बात रहती है कि कभी न कभी, किसी न किसी दिन राज्य सरकार इसको ले लेगी, मैं इसमें पैसा क्यों लगाऊं ? तो इसलिए जब किसी भी स्थान को रक्षित स्थान घोषित कर दे तो कम्पल्सरिली उस स्थान को अपने संरक्षण में ले ले और किसी भी व्यक्ति के पास राष्ट्रीय महत्व की वस्तु न रहने देनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस क्लॉज़ ५ के सम्बन्ध में जो विचार चल रहा है उस सम्बन्ध में मैंने कोई संशोधन तो प्रस्तुत नहीं किया लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, यदि मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया होता तो उचित होता। इसमें एक जगह लिखा है :

"Where a protected monument is without an owner, the Director may, by notification in the Official Gazette, assume the guardianship of such monument." गार्जियनशिप एज्यूम करने के बाद क्या पोज़ीशन हो सकती है, जो सब सेक्शन (४) में दिया है।

"Whether a protected monument is without an owner."

इसमें है कि कुछ मोन्युमेन्ट्स ऐसे हैं जो किसी के कब्जे में नहीं हैं। दूसरे मोन्युमेन्ट्स ऐसे हैं जो मंदिर हैं, मठ हैं, जिनके ओनर्स हैं और जिनकी पूजा होती है, काम में आते हैं। इसलिए दोनों चीजों को इसमें जोड़ देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ऐसे मोन्युमेन्ट्स हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, without any owner हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनके मालिक नहीं हैं तो ओटोमेटिकली उनकी मालिक सरकार होती है। जब मालिक सरकार होती है तो गार्जियनशिप एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, मालिकाना हक को हक जताने की आवश्यकता नहीं है। जिनके लिए प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट्स डिक्लेअर करने के लिए नोटिस इश्यू किया है, आब्जेक्शन्स इन्वाइट किये हैं और ऑब्जेक्शन्स का डिसपोज़ल होता है, वह एक प्रकार के मोन्युमेन्ट्स हैं जो दूसरों के अधिकार में हैं उनको अपने संरक्षण में लेकर सुरक्षित बनाये रखने की व्यवस्था करते हैं। कुछ मोन्युमेन्ट्स ऐसे हैं, मान लें कोई छतरी पड़ी हुई है दूर उसका कोई मालिक नहीं है, वह दूसरे कानून के अन्तर्गत सरकार की प्रोपर्टी हो जाती है। उसका डाइरेक्टर गार्जियन किस प्रकार से होगा ? सारी प्रोपर्टी सरकार में वेस्ट करती है उसके बाद गार्जियनशिप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट्स जिनकी मालिक सरकार है तो सरकार मालिक है तो डिपार्टमेंट उसका मालिक है और डिपार्टमेंट उसका

Page No.116

(श्री भैरोंसिंह)

संरक्षण करे। उनको गार्जियनशिप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गार्जियनशिप में लिये जाने का प्रोविज़न धारा में एक प्रकार से गल्ती से रह गया है। वह बिल्कुल रिडन्डेन्ट है। उसको डिपार्टमेंट के संरक्षण में लेने के लिए रूल्स बनाये जा सकते हैं। इस कानून के द्वारा अधिकार में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ (२) को डिलीट कर दिया जाय और क्लॉज़ (४) को भी डिलीट कर दिया जाय। उसके बाद में जो प्रोविज़न रहता वह यदि ठीक प्रकार से रख लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ (४) में क्लॉज़ (३) के बारे में प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह : गार्जियनशिप का कैसे है ?

श्री अध्यक्ष : सब-सेक्शन (३) में जो गार्जियनशिप का कर रहे हैं उसके लिए किया है।

श्री भैरोंसिंह : (४) का भी किया है : When the Director has accepted the guardianship of protected monument under sub sec. (3).

श्री अध्यक्ष : Under Section 3, which means a private monument.

श्री भैरोंसिंह : Sorry, Sir.

श्री बरकतुल्लाखां (उप मन्त्री, विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो सरकारी भी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सरकार की नहीं हैं और हिस्टोरिकल वेल्यू की हैं, मिसाल के तौर पर जोधपुर का किला है। वह जोधपुर हिज़ हाइनेस की प्रोपर्टी है, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल वेल्यू है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जोधपुर हिज़ हाईनेस की है केवल ?

श्री बरकतुल्लाखां : उनकी प्रोपर्टी है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रोपर्टी उनके पास है।

श्री बरकतुल्लाखां : लेकिन उनकी ओनरशिप को ले लें, यह मन्शा इसकी नहीं है। उनकी ओनरशिप को टैकल करें तो हम कह सकते हैं कि इसको प्रिजर्व करें, इसको खराब नहीं करें, इसके आर्कीटेक्ट को मत बदलो। कम्पेन्सेन्शन देते हुए अन्डर कॉन्स्टीट्यूशन हम ओनरशिप वेस्ट कर सकते हैं ; अगर नहीं कर सकते हैं तो ओनरशिप अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन ओनरशिप के बीच गार्जियनशिप डाल दी गई है ताकि उसके प्रोटेक्शन के अन्दर मदद मिल जाय और प्रोटेक्शन के अन्दर मदद मिल जाय, इसलिए मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि अपने एमेंडमेंट वापिस ले लें।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि जहां ओनरशिप नहीं है वहां तो सरकार मालिक है ही।

श्री अध्यक्ष : (श्री बरकतुल्लाखां से) यह कह रहे हैं कि पूरा कब्जा कर लें, गार्जियनशिप में क्यों लेते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) :

(श्री चन्दनमल वैद)

जिनके श्रोनर्स हैं उनके गार्जियन बन जायेंगे और जिनके श्रोनर्स नहीं हैं उनके गार्जियन कैसे बनेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्रोनर अभी तो नहीं हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आ जाय कि कोई क्लेम कर ले ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी बात है कि क्लेम तो वैसे ही कर सकते हैं । श्रोनर सरकार है तो उसका गार्जियन दूसरा डिपार्टमेंट कैसे बनेगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सरकार कैसे हुई ?

श्री अध्यक्ष : कोई मालिक नहीं है तो सरकार मालिक है, परन्तु उसका दूसरा प्रोमीजर है ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के अन्तर्गत सरकार मालिक बन सकती है तो सरकार उस ढंग से एप्रोच करे मालिक बनने के लिए और गार्जियनशिप का प्रोविज़न न करे । मुझे अभी ठीक याद नहीं आ रहा है कोई स्टेट एस्चीट्स एक्ट या इसी तरह का उसके अन्दर जिसका श्रोनर नहीं है कानूनन गवर्नमेंट मालिक होती है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : लावारिस एक्ट के तहत । उसको लावारिस करार जब तक नहीं दी जाय तब तक गार्जियन बनना चाहिए ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जब तक मालिक नहीं हो तब तक संरक्षक बन जाय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : इसमें साफ है, कि "Where a protected monument is without an owner..." जिसको लावारिस कर दिया जो without owner है यह बात प्रमाणित हो गई कि वह प्रोपर्टी without owner है तो फिर कैसे गार्जियन बनेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : इस पर ज्यादा विचार—विमर्श के लिए मैं समझता हूं कि कुछ समय चाहिए, तो इसको आज पोस्ट-पोन कर दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : लावारिस के गार्जियन मत बनो, लावारिस के मालिक बन जाओ ।

श्री अध्यक्ष : We can defer this clause.

(श्री बरकतुल्लाखां से' आप और सोच लें । कोई कानूनी मसला हो तो और विचार कर लें ।

मारवाड़ विवाह–निधि प्रशासन विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति के सदस्यों के नाम)

मारवाड़ मेरिज फण्ड एडमिनिस्ट्रेशन बिल को कल सदन ने प्रवर समिति के सुपुर्द किया था । समिति के सदस्यों की तालिका यह है :—

(१) श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री

Page No.118

(श्री अध्यक्ष)

(२) डॉ० चन्द्रकला
(३) श्री अनूपसिंह
(४) श्री दलपतसिंह
(५) श्री लालसिंह शक्तावत
(६) श्री शिवचरणदास
(७) श्री रघुवीरसिंह
(८) श्री मनरूपराम
(९) श्री किशनाराम
(१०) श्री गुलाबसिंह
(११) श्री किशनसिंह बटड़
(१२) श्री सज्जनसिंह
(१३) श्री सहदेव
(१४) श्री गोकुलचन्द
(१५) श्री मोहब्बतसिंह, और
(१६) श्री जयसिंह राणावत ।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक ६ सितम्बर, १६६० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४.५५ बजे मंगलवार, दिनांक ६ सितम्बर, १६६० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ
	१८९८
भरतपुर जिले में खाद्यान्न के लाने व ले जाने पर प्रतिबन्ध ।	
निरीक्षक, शिक्षा विभाग द्वारा कोटा जिले की माध्यमिक शालाओं को परीक्षा सम्बन्धी आदेश ।	
चूरू जिले में पुलिस कर्मचारियों के तबादले ।	
शेरगढ़ तहसील के गांवों में पीने के पानी के प्रबन्ध के लिए दी गई धन–राशि ।	
राजस्थान प्रदर्शनी, सन् १९५९ में मनोरंजन पार्क में पार्टियों से ली गई रॉयल्टी के नियम ।	
पंचायत समिति, देवली द्वारा सांडों की खरीद ।	
पंचायत समिति, ओसियां द्वारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला को बन्द करने का आदेश ।	
जिला जालोर में कृत्रिम गर्भाधान से तैयार बछड़े ।	

	स्कम्भ
गत तीन सालों में अजमेर डिविज़न के परिगणित जातियों के कॉन्स्टेबलों की पदोन्नति ।	
इन्डस्ट्रियल एस्टेट एरिया, कोटा में मेसर्स एन० मार्शल एन्ड कम्पनी को उद्योग लगाने को दी गई आज्ञा ।	
जयपुर से आमेर जाने वाली बस नं० आर. जे. एल. ७४२८ पर लगा हुआ अशोक चक्र ।	
राजस्थान में पुराने नामों से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं के नामों में परिवर्तन ।	
पड़िहारा ग्राम के मिडल स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की मांग ।	
खारची थाना के थानेदार के विरुद्ध मवेशियों के केस रजिस्टर नहीं किये जाने की शिकायतें ।	
राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय विचाराधीन जांच के मामले ।	

स्कम्भ

सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस, बांसवाड़ा का स्थानान्तरण ।

राज्य में गत तीन वर्षों में द्वितीय श्रेणी में एम. ए. पास अध्यापकों की नियुक्तियों की संख्या ।

सप्लाई विभाग, जोधपुर डिविजन के ड्राइवरों को ट्रक एलाउन्स ।

श्री अभिमन्यु, एस. आई., थाना मानक चौक के विरुद्ध शिकायत ।

पंचायत समिति, तलवाड़ा के प्रधान को पद से हटाने के लिये अविश्वास का प्रस्ताव ।

टमकोर, जिला झुंझुनू के मिडिल स्कूल का हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन ।

सवाई माधोपुर से जयपुर के मार्ग में बनास नदी में यात्रियों को नाव द्वारा पार उतारने में असुविधा ।

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी ।

महाराजा कॉलेज, जयपुर में वसूल की गई फीस ।

जयपुर शहर की सहकारी समितियां ।

स्कम्भ

किशनगढ़ में मैटल वर्क्स की संख्या एवं उनको दिये गये ऋण ।

गवर्नमेंट हाई स्कूल, उनियारा में कॉमर्स विषय पढ़ाये जाने की व्यवस्था ।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा को फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन से मिला हुआ ऋण ।

एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्तियां ।

सवाई माधोपुर से खंडार रूट पर दिसम्बर, १६५६ में परमिट का रिन्युअल ।

सिरोही के गोकुल भाई साइन्स ब्लॉक का निर्माण ।

बीकानेर शहर में इस वर्ष हुई चोरियां ।

जयपुर पूर्व व पश्चिम की शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की सरकार में बकाया रकमें ।

सदन की मेज पर रखा गया ज्ञापन :

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना १६८५

की रूप रेखा से सम्बन्धित विभिन्न मदों के ज्ञापन सदन की मेज पर रखे।

विचारार्थ लिये गए विधेयक

१. राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन(संशोधन) विधेयक, १९६० १९८५

संकल्पः-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया "यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा जारी किये गए राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) अध्यादेश, १९६० को अस्वीकार करता है।"

इसके पश्चात् श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय। इस पर मेजर फतहसिंह ने यह संशोधन रखा कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

संकल्प तथा विधेयक से सम्बन्धित प्रस्तावों पर साथ ही साथ बहस की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री रघुवीरसिंह
(२) श्री नारायणसिंह (मसूदा)
(३) श्री पी० के० चौधरी
(४) श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा
(५) श्री लक्ष्मीचन्द
(६) डॉ० बहादुरसिंह
(७) श्री सूबेदारसिंह

राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प अस्वीकार किया गया तथा विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द इस आदेश के साथ किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन दिनांक ९ सितम्बर, १९६० को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करे।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री
(२) श्री रामचन्द्र चौधरी
(३) श्री चुन्नीलाल
(४) श्री राजाराम
(५) डॉ० बहादुरसिंह

Page No.122

स्कम्भ

(६) श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा

(७) श्री ज्वालाप्रसाद

(८) श्री श्रीमानसिंह

(९) श्री नारायणसिंह (मसूदा)

(१०) श्री जेठामल

(११) श्री आबिदअली

(१२) श्री रामप्रसाद लड्ढा

(१३) मेजर फतहसिंह

(१४) श्री दयाकृष्ण विजय

(१५) श्री रघुवीरसिंह

(१६) राजा श्री मानसिंह

(१७) श्री लक्ष्मीचन्द

(१८) श्री महेन्द्रसिंह पंवार

(१९) श्री विद्यासागर

(२०) श्री तेजपाल

२. राजस्थान स्मारक, पुरातत्व संबन्धी स्थान तथा प्राचीन वस्तु विधेयक १९६० २०५४

श्री बरकतुल्लाखां, उप मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० चन्द्रकला ने यह संशोधन रखा कि विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। वाद–विवाद में निम्नांकित सदस्यों

स्कम्भ

ने भाग लिया:--

(१) डॉ० बहादुरसिंह

(२) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(३) श्री जनार्दनराय नागर

(४) श्री रावल नरेन्द्रसिंह

(५) श्री दयाकृष्ण विजय

उप–मन्त्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० चन्द्रकला ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २:-स्वीकार किया गया।

खण्ड ३:–विलोपित किया गया।

खण्ड ४:–स्वीकार किया गया।

खण्ड ५:–आस्थगित रखा गया।

मारवाड़ विवाह--निधि प्रशासन विधेयक, १९६० २१३१

उपरोक्त विधेयक दिनांक १ सितम्बर, १९६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा आज अध्यक्ष महोदय

द्वारा की गई। सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:--

(१) राजस्व मन्त्री
(२) डॉ० चन्द्रकला
(३) श्री अनूपसिंह
(४) श्री दलपतसिंह
(५) श्री लालसिंह शक्तावत
(६) श्री शिवचरणदास
(७) श्री रघुवीरसिंह
(८) श्री मनरूपराम
(६) श्री किशनाराम
(१०) श्री गुलाबसिंह
(११) श्री किशनसिंह बाटड़
(१२) श्री सज्जनसिंह
(१३) श्री सहदेव
(१४) श्री गोकुलचन्द
(१५) श्री मोहब्बतसिंह
(१६) श्री जयसिंह।

सदन की बैठक ४ बज कर ५५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक ६ सितम्बर, १९६० को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दिनांक ६ सितम्बर, १९६० की कार्य-सूची

(१) अनूपूरक अनुदानों की मांगें, १९६०–६१ (प्रथम खण्ड) के विवरण का उपस्थापन।

(२) प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४५ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति, देवली द्वारा वितरित किये गए सांडों की सूची :—

क्रमांक	दिनांक	नाम स्थान जहां सांड दिया गया
१.	२५–४–६०	पतवाड़
२.	२७–४–६०	देवली ग्राम
३.	२९–४–६०	आंवा ग्राम
४.	१–५–६०	बीसलपुर
५.	९–५–६०	मासींदा
६.	२७–५–६०	मुगलाना, ग्राम पंचायत मुवां

नोट:– एक सांड अभी तक किसी पंचायत को नहीं दिया गया है ।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५२ का उत्तर देखिये)

OFFICE OF THE DY. DIRECTOR OF EDUCATION, BIKANER

List of Middle Schools raised to Higher Secondary Schools during 1960-61.

BIKANER RANGE

SRI GANGANAGAR

1.	Government Middle School, Sadulshahar	(GER)
2.	Government Middle School, Padampur	(GNR)
3.	Government Chak 3.0 Chak 3.0	(GNR)

JHUNJHNUU DISTRICT

1.	Government Middle School,	KAJRA
2.	-do-	Bangothri
3.	-do-	Singhana
4.	-do-	Nua

SIKAR DISTRICT

1.	Government Middle School,	SISHO RANOLI
2.	-do-	DABLA

LIST OF GOVERNMENT HIGH SCHOOLS CONVERTED IN TO HIGHER SECONDARY SCHOOLS DURING THE YEAR 1960-61

1.	Government Bagla High School, Churu	(Churu Distt.)
2.	Government S.K. High School, Sikar	(Sikar Distt.)

OFFICE OF THE DY DIRECTOR OF EDUCATION BIKANER RANGE, BIKANER

LIST OF PRIMARY SCHOOLS RAISED TO MIDDLE SCHOOLS STANDARD DURING THE YEAR 1960-61.

BIKANER DISTRICT

1.	Govt.	Pry.	School,	Desalsar.
2.	,,	,,	,,	Kakda
3.	,,	,,	,,	Deshnoke (Girls' P. S. to M. S.)
4.	,,	,,	,,	Jhajju
5.	,,	,,	,,	Shaurran

CHURU DISTRICT

1. Bidasar Chhotta
2. Dheerwas (Taranagar)
3. Thakuriasar
4. Likhmidesar
5. Sankhu
6. Kanoota
7. Satra

SRI GANGANGAR DISTRICT

1. Daulatpur
2. Peerkamaria
3. Talwara Jheel
4. Panlika
5. Aryan

SIKAR DISTRICT

1. Chiplata
2. Samarthpura
3. Kayamsar/Rasulpur
4. Loharrwara

5. Dawti
6. Deojod
7. Piprali

JHUNIHUNU DISTRICT

1 Khandela (Khetri)
2. New Colony
3. Kalinda
4. Bhadonda (Chirawa)
5. Parasrampura
6. Badam
7. Narhad

CRITERIA FOR THE UPGRADING OF MIDDLE SCHOOLS TO HIGH SCHOOLS (BOYS)

1. The total number of students in the Middle Schools should be at least 200 with at least 75 students in the Middle Sections i. e. class VI to VIII.

2. There should be at least 5 feeder Middle Schools within a radius of 20 miles.

3. There should be no High School within a radius of 20 miles.

4. The public should be held responsible for providing necessary building and the recurring and non-recurring expenditure for one year which would be about Rs. 15,000/-.

5. Tehsil Head Quarters having no High School should be given preference.

6. It is necessary that all things being equal preference should be given to rural areas over the urban.

CRIETERIA FOR THE UPGRADING OF PRIMARY SCHOOLS TO MIDDLE SCHOOLS

1. Primary Schools having a total strength of 100 boys with 15 students in V class could be upgraded provided:—

2. There should be no Middle or High Schools within the radius of 10 miles.

3. There should be about 5 feeder Schools within the radius of 10miles.

4. The number of students in class VI should be at least 20.

5. The public should be prepared to provide a suitable building.

6. If there is no Middle School at Tehsil Headquarters that should be given first preference.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर देखिए)

नक्शा सरका मवेशी पुलिस थाना खारची सन् १९५८ में दर्ज रिजस्टर हुए मय नतीजा

सन् १९५९ क्रमसंख्या	एफ आई आर नं०	जुर्म	मसरूका	बाजियापता	तादाद मवेशी चोरी में गये	वापस बरामद हुये	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
(१)	१० / १६-३-५८	दफा ३७९ आई. पी.सी.	बैल जोड़ी एक की:६००)	बरामद बैल जोड़ी एक ६००)	दो बैल	दो बैल	एफ. आर. नं० १२ / २७-३-५८ बसी में अदम पता	एफ आर D. 11-X—58 SMD कोर्ट सोजंत से मंजूर हुई।	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
(२)	१५ / ——— / १२-४-५८	दफा ३७९ आई पी सी	सर्फ़ भैंसें बरामद तीन तीन की: भैंसें ८००) ८००)	तीन भैंसे	तीन भैंसे	चालान १६–११–५८	ता० ५–१२–५६. को एस. डी. एम. कोर्ट सोजत से तीन माह मु: को कैद हुई	
(३)	२३ / ——— / १८-६-५८	दफा ३७९ आई पी सी	सरका गधे बरामद ॥ व गधियें गधे कर की २४०) २४०)	॥ गधे	॥ गधे	चालान १४–७–५८	अदालत एस. डी. एम. कोर्ट सोजत से सातों मुलज़िमों को डेढ़ माह आर आई की सजा ता० २६–७–५८ को हुई।	
(४)	२४ / ——— / २४-६-५८	दफा ३७९ आई. पी. सी.	सरबम गधे बरामद व बच्चे की ८०) ८०)	८ गधे व बच्ची	८ गधे व बच्ची	चालान, १४–७–५८	अदालत एस डी. एम कोर्ट सोजत से हर सातों मु: सजा ता०२६–७–५८ को	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
(५)	२५ ——— २-७-५८	दफा ३७९ आई.पी. सी.	मसरूका ११२)	९७)	६ गधे	५ गधे	चालान १८-७-५८	९-९-५८ को अदालत एस. डी. एम. कोर्ट सोजत सजा	
——	———	रु. १८३२।-	रु० १८१७।-		३०	२९	——	—	—

परिशिष्ट

नकशा सरका मवेशी पुलिस थाना खारची, १६५६ जो अयामत पनाती श्री भूरसिंह S. I. के दर्ज हुए।

क्रम संख्या	एफ आर नं० व ता०	जुर्म	मसरूका	वाजियापत	तादाद मवेशीचोरी में गये	वापिस बरामद हुई	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत	कैफियत
(१)	३ ——— २८-२-५६	३७६ आइ. पी.सी.	रात को सरका कर दो टोगड़ा फी: ४५०)	वाजियापता २००)	दो टोगडा	एक टोगड़ा	एफ. आर. व सागे अदम पता माल मूल में ता० ७-४-५६	ता० १६-६-५६ को एस. डी. एम. कोर्ट, सोजत से मंजूर हुई।	
(२)	७ ——— २८-४-५६	३८६ आई. पी.सी.	पाडा एक मसरूका २००)	२००)	पाडा एक	पाडा एक	चालान ८-५-५६	अदालत एम. डी. एम कोर्ट, सोजत से मु: को दफा ५६२ सी. आर पी. सी. का ता० २७-६-५६ को फायदा दिया।	
(३)	Total	——	रू. ६५०	रु० ४००)-	तीन मवेशी-दो बरामद हुए	——		—————	

————

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६४ का उत्तर देखिये)

फीस जितनी जमा होनी चाहिये थी व जितनी जमा कराई गई

सन्	विवरण फीस	वसूल होने योग्य राशि	राशि जो वसूल हुई	राशि जो बकाया रही
१९५७–५८	ट्यूशन फी	१२७६३७.२५	१२५७५१.२५	२१८६.००
	गैम्स फी	१२८६१.००	१२८६१.००	———
	लाइब्रेरी फी	कोई फी नियम में निर्धारित नहीं की गई है ।		
	लेट फी	२९४७.३१	२६०७.७५	३३९.५६
	जुर्माना	१५११.८१	१५११.८१	———
१९५८–५९	ट्यूशन फी	१३०१६९.५२	१२४००८.०२	६१६१.५०
	गैम्स फी	१३३५९.००	१३३५९.००	———
	लाइब्रेरी फी	कोई फीस नियम में निर्धारित नहीं की गई ।		

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
	लेट फी	४१४७.८४	३७३८.८१	४९७३
	जुर्माना	१०८४.५७	१०८४.५७	———
१९५९–६०	ट्यूशन फी	१०५४३३.३६	१०३११७.८६	२३११:५०
	गैम्स फी	१४६६४.००	१४६६४.००	———
	लाइब्रेरी फी	कोई फी नियम में निर्धारित नहीं की गई है।		
	लेट फी	४५०५.२८	४२१५.२८	२९०.००
	जुर्माना	१०१९.५०	७५८.६०	२६०.९०

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF EDUCATION

LIST OF TRAINING COLIEGES & SCHOOLS IN RAJASTHAN

Range (Division) 1	District. 2	Place. 3	Management. 4
A. TEACHERS' TRAINING COLLEGES (Post-graduate)			
BIKANER	Bikaner	Bikaner	Government.
	Churu	Sardarshahar.	Private
JAIPUR	Ajmer	Ajmer	Government
UDAIPUR	Udaipur	Udaipur	Private
B. BASIC S. T. C. TRAINING SCHOOLS			
KOTA	Sawai Madhopur	Karauli	Government
		Sawai Madhopur	,,
	Kota	Nanta Palace	,,
		Indergah	,,
	Tonk	Tonk	,,
		Uniara	,,
		Diggi	,,
		Deoli	,,
	Bharatpur	Bharatpur	,,
		Dholpur	,,
	Jhalawar	Jhalrapatan	,,
	Bundi	Bundi	,,

Page No.137

1	2	3	4
UDAIPUR	Udaipur	Goverdhan Vilas	Government
		Bedla	,,
		Rajnagar	,,
	Bhilwara	Shahpura	,,
		Badnore	,,
	Chittorgagh	Gangrar	,,
	Dungarpur	Dungarpur	,,
	Banswara	Partapur	,,
JODHPUR	Jodhpur	Vidyashala-Jodhpur	,,
		Sardarpura-Jodhpur	,,
		(Women)	,,
		Phalodi	,,
	Sirohi	Shivaganj	,,
	Jalore	Jaswantpura	,,
	Nagaur	Ladnu	,,
		Kuchaman City	,,
	Pali	Desuri	,,
		Sojat	,,
	Barmer	Siwana	,,
BIKANER	Bikaner	Gangashahar-Bikaner	,,
		Shiva Bari-Bikaner	,,
BIKANER	Jhunjhunu	Khetri	,,
		Bagar	,,
		Chirawa	,,
	Sikar	Ramgarh	,,
	Churu	Sujangarh	,,
		Sardarshahar	Private
	Sri Ganganagar	Sangaria	,,

1	2	3	4
		Muklawa	Government
		Chhani Badi	,,
JAIPUR	Jaipur (East)	Parasram Dwara	,,
		Goner	,,
		Jobner House-Jaipur (Women)	,,
		Sanganer	,,
		Shahpura	,,
	Jaipur (West)	Paota	,,
		Amarsar	,,
		Samod	,,
	Ajmer	Masuda	,,
		Kishangarh	,,
		Pisangan	,,
		Beawar	,,
		Hatundi	Private
	Alwar	Alwar (Women)	Government
		Rajgarh	,,

No. EDB/Aca/B-2/14277/(60)　　　　Dated Bikaner,

Forwarded with complements. This is in reference to his/her letter/D. O. No. Dated

DIRECTOR
PRIMARY & SECONDARY EDUCATION,
RAJASTHAN, BIKANER.

बेसिक एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूलों की सूची पुराने स्कूल

क्रमांक १	संस्था का नाम २				उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ३
१.	बेसिक एस. टी. सी. स्कूल,			अलवर	६७
२.	,,	,,	,,	वेदला	१०६
३.	,,	,,	,,	भरतपुर	८२
४.	,,	,,	,,	देवली	१८५
५.	,,	,,	,,	धौलपुर	१०६
६.	,,	,,	,,	गंगाशहर	१०६
७.	,,	,,	,,	गोनेर	६६
८.	,,	,,	,,	गोवर्धन विलास, उदयपुर	१०७
६.	,,	,,	,,	इन्द्रगढ़	१०६
१०.	,,	,,	,,	जसवन्तपुरा	६३
११.	,,	,,	,,	करोली	१०३
१२.	,,	,,	,,	खेतड़ी	१०५
१३.	,,	,,	,,	किशनगढ़	६६
१४.	,,	,,	,,	कुचामन सिटी	७७
१५.	,,	,,	,,	मसूदा	११६
१६.	,,	,,	,,	पावटा	११०
१७.	,,	,,	,,	परशुरामद्वारा	६७
१८.	,,	,,	,,	परतापुर	१११
१६.	,,	,,	,,	राजगढ़	११६
२०.	,,	,,	,,	सांगरिया	१४६
२१.	,,	,,	,,	सरदारपुरा (धौलपुर)	७७

[redacted]

१	२				३
२२.	बेसिक एस. टी. सी. स्कूल,			सरदारशहर	११७
२३.	,,	,,	,,	सवाई मांधोपुर	११४
२४.	,,	,,	,,	शाहपुरा	१०४
२५.	,,	,,	,,	शिवगंज	१०१
२६.	,,	,,	,,	सुजानगढ़	१०२
२७.	,,	,,	,,	टोंक	११०

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ का उत्तर देखिये)

EXAMINATION AND PROMOTION RULES

Note: The Examinations and promotions of all the classes shall be governed in accordance with the following Rules. The annual examinations of the classes for which Departmental Examinations are held shall be governed by the rules of such examinations.

1. At least five class tests shall be held in each such subject every year at regular intervals in classes III to XII and record will be maintained by the Heads of Institution class-wise and school-wise.

2. There shall be two examinations in a session, one in Dec. and the other to be called the annual examination, after the 15th April, every year. The result shall be declared before the institutions close for the summer vacation.

3. No scholar may be allowed to sit for the annual examination of classes III to VIII and IX to XI or IX and X in the case of Higher Secondary Schools who:—

(a) has not put 90% of the total attendance during the period his name was on rolls of the institution in the School year from the date of first admission to the class exclusive of the leave granted on medical or other legitimate grounds.

(b) has not appeard in atleast 60% of the class tests held during the time he has been on roll in the year. For example if 5 tests have been held in the year he must have appeared atleast in 3 of them.

4. All question papers will be printed or cyclostyled except when the number of candidates does not exceed 20. In the later case papers will be cyclostyled or copied in carbon or prepared in manuscript.

5. (a) For the half yearly examination 2 days preparation leave may be given in addition to the connected Sundays and Gazetted holidays to class III to XII.

(b) For the annual examination preparation leave may be given for 2 days to classes III to VIII, 7 days to class IX or X of Higher Secoundary Schools and two weeks to classes XI of Intermediate Colleges in addition to connected Sundays and Gazetted holidays.

Note: Preparation leave for annual examination to Classes X and XII will be governed by University regulations.

6. Promotions from class to class shall be made according to the following rules except when the Department has exempted an institution carrying on experiments in education from all or any of these provisions in favour an alternative system of assessment approved by the Department:—

(a) Promotions of students shall be determined by the results of the periodical tests, half-yearly and annual examinations, added together as follows:—

(i) Each subject will be allotted 200 marks of which 60 marks i. e. 30% will be allotted to the five periodical tests, another 60 to the half-yearly examination and the remaining 80 to the annual examination.

(ii) No students shall be promoted until he has satisfactorily completed at least 80% of the assignments in written work given to class. Provided that if a student had done satisfactorily enough in the examinations and tests to deserve promotion but has not completed written work satisfactorily he shall be allowed to complete it during summer vacation and if he is able to do so satisfactorily his promotion shall be made on the reopening of the school after the vacation.

(iii) A student's failure to reach the required minimum standard in practical subjects like Music, nature study and are due to lack of aptitude shall not be taken into account for promotion if he has participated in them regularly.

(iv) The rank of a student shall also be determined by the addition of the total of the five periodicals tests, the half-yearly examination and the annual examination in the same proportion as provided in the case of promotion.

(b) The minimum number of marks required by a scholar to pass in each individual subject and the aggregate shall be 40%.

(c) (i) Scholars securing 75% or more marks in any subject shall be allowed Distinction in that subject.

(ii) Scholars securing 60% or more marks in the aggregate shall be placed in the First Division.

(iii) Scholars securing 50% or more marks in the aggregate shall be placed in the Second Division.

(iv) Scholars securing 40% or more marks shall be placed in the Third Division.

(v) Scholars passing by grace marks shall be placed in the Third Division.

(d) (i) When a Scholar fails to secure the minimum pass marks in one subject he shall be given grace to the extent of 5% in the subject provided he obtains in the aggregate as many marks more than the minimum pass marks.

(ii) When a scholar fails to secure the minimum pass marks in two subjects he shall be given grace marks to the extent of 3% in one and 2% in the other provided he obtains in the aggregate as many marks more than the minimum pass marks.

(e) If a scholar is unable to appear at the half-yearly or the annual examination owing to serious illness and if the Head of the Institution is satisfied about that fact, his promotion shall be determined on the basis of the marks secured in the other tests and examinations. His absence from any test or examination except as stipulated above shall be to his disadvantage.

7. Results sheet should be submitted to the immediate officer for information and perusal immediately after the declaration of the results.

फरवरी, ६० से पहले निम्नलिखित नियम थे :

१. तीन मासिक टेस्ट ६० पूर्णान्क के प्रत्येक २० अंकों के, षट्मासिक परीक्षा ६० पूर्णान्क की एवं वार्षिक परीक्षा ८० पूर्णान्क की होती थी।

२. उपरोक्त मासिक परीक्षाओं, षट्मासिक परीक्षा व वार्षिक परीक्षा में ३६ प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाता था।

३. किसी एक विषय में फेल होने पर उस विषय में ६ प्रतिशत अंकों की तरक्की दी जा सकती थी; यदि सब विषयों में प्राप्तान्क मिला कर ३६ प्रतिशत से उतने ही अधिक हों ।

४. दो विषयों में फेल होने पर ५ प्रतिशत अंकों तक की तरक्की दी जा सकती थी; यदि सब विषयों के प्राप्तान्क मिलाकर ३६ प्रतिशत से उतने ही अधिक हों।

५. यदि कोई छात्र षट्मासिक या वार्षिक परीक्षा में बीमारी के कारण से परीक्षा में बैठने से असमर्थ हो तो कुल मासिक परीक्षाओं के परिणाम में ३६ प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तरक्की दी जा सकती है।

६. छात्र वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठाया जायेगा यदि :

अ. उसकी उपस्थिति कुल हाजिरी के दिनों में से बीमारी या अन्य उचित कारणों से ली हुई रुख्सत के दिनों को जोड़ कर ९० प्रतिशत न हो।

ब. वह किसी विषय में कम से कम २, ३ क्लास टेस्ट्स् में न बैठा हो।

७. डिविज़न निम्न प्रकार दिये जाते थे :

७५ प्रतिशत प्राप्तान्कों में विशेष योग्यता।

६० प्रतिशत ,, प्रथम श्रेणी

५० प्रतिशत ,, द्वितीय श्रेणी

३६ प्रतिशत ,, तृतीय श्रेणी

———

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Appointments (A-III) Department

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF GOVERNMENT SERVANTS WHO ARE UNDER SUSPENSION AND AGAINST WHOM DEPARTMENTAL ENQUIRIES ARE GOING ON FOR OVER SIX MONTHS.

S. No.	Name of Government Servant.	Designation.	Whether Gazetted or Non-Gazetted.	Date of suspension.
1	2	3	4	5
	COMMTISSIONERATE, UDIPUR.			
1.	Shri Laxman Singh	Office Kanungo	Non-Gazetted.	7—9—58
	COMMISSIONERATE, KOTA.			
2.	Shri Balbir Singh	Tehsildar.	Gazetted.	5—11-59
3.	„ Mool Singh	Naib-Tahsildar.	Non-Gazetted.	12-5—59
4.	„ Raj Bahadur	„	„	13-6—59
	COMMISSIONERATE BIKANER.			
5.	Shri Laxmi Narain	Naib-Tehsildar.	Non-Gazetted.	21-9—59
6.	„ Shadi Ram	„	„	25-10-59
7.	„ Sujan Singh	Inspector Land Records.	„	28-4—59
8.	„ Ram Kumar	Sadar Knnungo.	„	21-9—59

1	2	3	4	5
		COMMISSIONERATE AJMER		
9.	Shri Kundan Lal	Tehsildar.	Gazetted.	5-2—59
10.	,, Gurucharan Singh	,,	,,	10-8—59
11.	,, Balbir Singh	,,	,,	5—11-59
12.	,, Sundar Lal	,,	,,	14-11-59
13.	,, Mahavir Prasad	,,	,,	23-2—60
14.	,, Bhouri Lal	Nazul Officer.	,,	21-8—58
15.	,, Gopal Lal	Tehsildar.	,,	28-10-58
16.	,, Ganga Singh	,,	,,	21-1—60
17.	,, Kishan Singh	Naib Tehsildar.	Non-Gazetted.	21-1—60
18.	,, Rameswar Prasad	,,	,,	19-11-58
19.	,, Jaswant Singh	,,	,,	17-11-59
20.	,, Durga Prasad	,,	,,	30-5—59
21.	,, Laxmi Kant	Distt. Revenue Accountant.	,,	22-2—60
22.	,, Mangal Ram	U. D. C.	,,	19-6—58
23.	,, Shyam Sunder Lal	Reader.	,,	18-10-58
24.	,, Kanya Lal	L. D. C.	,,	9—1—59
25.	,, Ram Singh	Inspector, Land Records.	,,	26—8-59
		DIRECTORATE OF INDUSTRIES & COMMERCE		
26.	Shri Sant Prasad	Supervisor.	Non-Gazetted.	11-3—59
27.	,, Sant Kumar Dixit	Crafts Master.	,,	11-3—59
28.	,, Jaswant Raj	U. D. C.	,,	21-3—60
29.	,, G. S. Solanki	L. D. C.	,,	21-3—60
30.	,, Bhoopendra Singh	L. D. C.	,,	8—9—59

1	2	3	4	5
	DIRECTORATE OF AGRICULTURE			
31.	Shri Chuthmal	Agriculture Extension Officer.	Gazetted.	5—1—58
32.	Shri K. N. Khemria	Gardens Supervisor.	Non-Gazetted.	12-5—59
33.	,, Prem Shankar	L. D. C.	,,	10-7—59
34.	,, Durga Lal	U. D. C.	,,	27-10-56
35.	,, Prahlad Singh	Field Man.	,,	20-8—59
	SETTLEMENT DEPARTMENT.			
36.	Shri Sunder Lal	L. D. C.	Non-Gazetted	13-9—54
	DIRECTORATE, CONSOLIDATION OF HOLDINGS			
37.	Shri Ram Chandra	Inspector.	Non-Gaztted.	3—8—59
	IRRIGATION DEPARTMENT.			
38.	Shri Radha Kumar	Overseer.	Non-Gazetted.	17-10-59
39.	,, S. D. Saxena	,,	,,	2—12-58
40.	,, Rajendra Pal	L. D.C.	,,	23-11-57
41.	,, Mahendra Pratap	L. D. C.	,,	19-8—59
42.	,, Nathu Singh	Overseer.	,,	—
43.	,, Sardar Singh	,,	,,	—
44.	,, Gopal Lal	,,	,,	—
	DIRECTORATE OF RELIEF & REHABILITATION.			
45.	Shri Ram Chandra	U. D. C.	Non-Gazetted	19-12-58
46.	,, Raj Kumar	,,	,,	19-12-58

1	2	3	4	5
		CIVIL SUPPLIES.		
47.	Shri B. L. Harsh	Asstt. Store-Keeper	Non-Gazetted	1—5—54
48.	,, Mela Ram	Chowkidar	,,	1—5—54
		ANTI-CORRUPTION DEPARTMENT		
49.	Shri Man Singh	Constable.	Non-Gazetted	12-2—59
50.	,, Amar Singh	,,	,,	13-5—59
		LABOUR DEPARTMENT.		
51.	Shri T. R. Chhibbar	L. D. C.	Non-Gazetted.	23-1—59
		EXCISE & TAXATION DEPARTMENT.		
52.	Shri P. G. Bijlani	U. D. C.	Non-Gazetted.	15-11-58
53.	,, Kishan Gopal	Nakedar.	,,	24-5—52
54.	,, Murli Dhar	,,	,,	6—4—55
55.	,, Nathu Lal	Sepoy.	,,	6—5—59
56.	,, Shri Prasad	Inspector.	,,	2—2—60
57.	,, Hem Raj	Mohrir.	,,	2—2—60
		BOARD OF REVENUE.		
58.	Shri Kundan Lal	Tehsildar.	Gazetted.	5—2—59
59.	,, Mukat Behari	,,	,,	15-5—59
60.	,, Gopal Lal	,,	,,	13-6—59
61.	,, Gurcharan Singh	,,	,,	10-8—59
62.	,, Baij Nath	,,	,,	19-8—59
63.	,, Umacharan	,,	,,	29-5—59

1	2	3	4	5
64.	Shri Banney Khan	Naib-Tahsildar.	Non-Gazetted.	6—10-58
65.	„ Sadi Ram	„	„	25-10-58
66.	„ Mool Singh	„	„	12-5—59
67.	„ Raj Bahadur	„	„	6 June, 59
68.	„ Amar Lal	„	„	17-9—59
69.	„ Lal Chand	„	„	4—9—59
70.	„ Laxmi Narain	„	„	21-9—59
71.	„ Pyare Mohan	„	„	9—12-59
	GOVERNMENT SECRETARIAT			
72.	Shri B. K. Gour	L. D. C.	Non-Gazetted.	14-3—59
	PANCHAYAT DEPARTMENT			
73.	Shri Shyam Sunder	L. D. C.	Non-Gazetted.	17-9—59
	TRANSPORT DEPARTMENT			
74.	Shri Bheron Ram	L. D. C.	Non-Gazetted.	29-5—59
75.	„ K. P. K. Nair	U. D. C.	„	17-8—59
76.	„ Narain Singh	L. D. C.	„	24-9—59
77.	„ Mitha Lal	Conductor.	„	4—5—59
	PRISONS DEPARTMENT.			
78.	Shri Ram Chandra	U. D. C.	Non-Gazetted.	31-12-57
	COLONIZATION DEPARMENT.			
79.	Shri Devki Nandan	Patwari	Non-Gazetted.	11-10-59
80.	„ Alim Khan	„	„	9—12-59
81.	„ Sita Ram	„	„	30-11-59

1	3	3	4	5
		HIGH COURT.		
82.	Shri Chuni Lal	Asstt. Nazir.	Non-Gazetted.	19-5—59
83.	„ Madan Mohan Lal	„	„	18-11-49
84.	„ Bhera Ram	„	„	11-4—59
85.	„ Chhagan Lal	Clerk.	„	28-5—59
		SOCIAL WELFARE DEPARTMENT.		
86.	Shri Bhawani Shankar	Teacher.	Non-Gazetted.	12-12-56
		MOTOR GARAGE.		
87.	Shri Shyam Sundar Lal	L. D. C.	Non-Gazetted.	10-2—60
		COLLECTORATE, SIKAR.		
88.	Shri Surendra Kumar	Patwari.	Non-Gazetted.	2—1—60
89.	„ Hanuman Singh	„	„	25-1—60
90.	„ Abdul Rehman	„	„	25-1—60
91.	„ Bhagwan Singh	„	„	6—6—59
92.	„ Murli Dhar	„	„	9—2—59
93.	„ Kalyan Sahai	„	„	15-12-59
		COLLECTORATE, CHURU.		
94.	Shri Sultan Singh	Patwari.	Non-Gazetted.	14-5—57
95.	„ Jai Shankar	„	„	1—5—57
96.	„ Chetan Das	L. D. C.	„	16-6—58
97.	„ Rameshwar	Patwari.	„	27-8—58
98.	„ Abdul Gafoor	„	„	1—5—59
99.	„ Ram Kumar	„	„	21-7—59
100.	„ Tola Ram	„	„	November, 57

1	2	3	4	5
		CELLECTORATE, BUNDI.		
101.	Shri Sohan Lal	L. D. C.	Non-Gazetted	17-6—58
102.	,, Sohan Lal	,,	,,	17-6—58
103.	,, Shayam Bihari Lal	Asstt. Sadar Kanungo	,,	29-9—59
104.	,, Fateh Mohmad	L. D. C.	,,	29-9—59
105.	,, Kishan Gopal	Patwari.	,,	5—7—56
		COLLECTORATE, BHARATPUR.		
106.	Shri Murari Lal	U. D. C.	Non-Gazetted.	10-6—59
107.	,, Rosan Lal	Patwari.	,,	4—2—58
108.	,, Ram Saran Lal	,,	,,	26-1—58
		COLLECTORATE, BARMER.		
109.	Shri Daryav Singh	Patwari.	Non-Gazetted.	20-7—54
110.	,, Devi Lal	,,	,,	5—11-58
111.	,, Mool Chand	,,	,,	24-10-53
		COLLECTORATE, BIKAAER.		
112.	Shri Mool Singh	Naib-Tehsildar.	Non-Gazetted	12-5—59
113.	,, Alla Bux	Patwari.	,,	8—10-59
114.	,, Ram Pratap	,,	,,	2—9—59
115.	,, Mohan Lal	,,	,,	27-11-59
116.	,, Basir Khan	,,	,,	11-2—60
		COLLECTORATE, KOTA		
117.	Shri Shankar Lal	Patwari.	Non-Gazetted	31-3—59
118.	,, Bheru Lal	,,	,,	7—5—59
119.	,, Jalil Khan	,,	,,	8—6—59

1	2	3	4	5
120.	Shri Kadar Ali	Patwari	Non-Gazetted.	7—8—59
121.	,, Gajadhar	,,	,,	17-9—59
122.	,, Jagannath	Process Server.	,,	22-12-59
123.	,, Jai Narain	Tehsildar.	,,	15-11-58

COLLECTORATE, BANSWARA.

124.	Shri Nasir Ahmad Khan	Patwari.	Non-Gazetted.	26-5—59

COLLECTORATE, JHALAWAR

125.	Shri Ali Mohammad	Inspector, Land Records.	Non-Gazetted.	9—7—59
126.	,, Arjun Singh	Patwari.	,,	24-4—58
127.	,, Lal Chand	,,	,,	29-6—59
128.	,, Moti Singh	Process Server	,,	16-4—58
129.	,, Abdualla Khan	Reader.	,,	15-10-58
130.	,, Girdhari Lal	Tehsildar.	Gazetted.	—
131.	,, Baij Nath	,,	,,	—

COLLECTORATE. UDAIPUR.

132.	Shri Saliq Ram	Patwari.	Non-Gazetted.	25-11-58
133.	,, Man Singh	,,	,,	3—4—59
134.	,, Dhana Lal	,,	,,	6—3—59
135.	,, Harish Chand	,,	,,	10-7—59
136.	,, Balwant Singh	,,	,,	11-10-57
137.	,, Chagan Lal	,,	,,	16—2-57
138.	,, Sadiq Ali	,,	,,	22-11-59
139.	,, Ratan Lal	,,	,,	27-11-59
140.	,, Kanya Lal	,,	,,	21-9—59

1	2	3	4	5
141.	Shri Bahadur Khan	Patwari	Non-Gazetted.	21-9—59
142.	„ Ganesh Lal	„	„	14-1—60
143.	„ Triloki Krishna	„	„	10-7—59

COLLECTORATE, GANGANAGAR

1	2	3	4	5
144.	Shri Balu Ram	Patwari	Non-Gazetted.	26-5—56
145.	„ Bhim Raj	Office Kanungo	„	29-10-58
146.	„ Mohindra Singh	Patwari	„	2—1—59
147.	„ Bahadur Ram	„	„	20-3—59
148.	„ Harak Chand	Revenue Inspector	„	18-3—59
149.	„ Sultana Ram	Patwari	„	27-6—59
150.	„ Chet Ram	„	„	9—9—56
151.	„ Ram Chandra	„	„	2—9—59
152.	„ Raj Kumar	U. D. C.	„	17-12-58
153.	„ Ram Chandra	„	„	17-12-58
154.	„ Gurbux Singh	Revenue Accountant	„	1—8—59
155.	„ Chetan Das	L. D. C.	„	6—11-58
156.	„ Shadi Lal	Naib Tehsildar.	„	18-11-58

COLLECTORATE, JAISALMER

1	2	3	4	5
157.	Shri Bhura Ram	Patwari.	Non-Gazetted.	12—5-59
158.	„ Ram Ratan	„	„	3—6—59
159.	„ Jethmal	L. D. C.	„	3—8—54
160.	„ Kamlesh Kumar	„	„	26-8—59

COLLECTORATE, TONK

1	2	3	4	5
161.	Shri Haider Sah	Patwari.	Non-Gazetted.	6—8—57

1	2	3	4	5
	COLLECTORATE, PALI			
162.	Shri Mukat Bihari Lal	Tehsildar.	Gazetted.	2—6—59
163.	,, Gopal Lal	,,	,,	3—6—59
164.	,, Jabar Singh	Patwari.	Non-Gazetted.	24-10-58
165.	,, Mohan Lal	,,	,,	11-8—59
166.	,, Chiman Lal	,,	,,	1—10-59
167.	,, Ram Singh	,,	,,	23-1—59
168.	,, Ram Singh	,,	,,	17-8—59
169.	,, Jethu Singh	,,	,,	29-1—60
170.	,, Mool Chand	,,	,,	25-11-58
171.	,, Veni Dan	,,	,,	24-2—59
172.	,, Madhav Chand	,,	,,	1953
	COLLECTORATE, CHITTORGARH			
173.	Shri Shankar Lal	Patwari	Non-Gazetted	12-7—59
174.	,, Bahadur Khan	,,	,,	27-9—59
175.	,, Sahidulla Khan	,,	,,	19-9—57
176.	,, Laxman Singh	Office Kanugo.	,,	7—9—58
	COLLECTORATE, ALWAR			
177.	Shri Phool Chand	L. D. C.	Non-gazetted.	6—11-58
178.	,, Sarswati Narain	,,	,,	1—7—59
179.	,, Kanya Lal	Office Kanungo	,,	17-12-58
180.	,, Nathu Lal	Patwari.	,,	2—5—59
181.	,, Rameshwar Dayal	,,	,,	22-7—59
182.	,, Harish Chand	,,	,,	2—5—59
183.	,, Mehar Chand	,,	,,	23-7—59

1	2	3	4	5
184.	Shri Banwari Lal	Patwari.	Non-Gazetted.	23-7—59
185.	,, Ramji Lal	,,	,,	17-7—59
186.	,, Lalu Ram	,,	,,	5—8—59
187.	,, Panna Lal	,,	,,	26-10-59
188.	,, Murari Lal	,,	,,	23-2—60
	COLLECTORATE, JAIPUR			
189.	Shri Kanya Lal	U. D. C.	Non-Gazetted.	4—9—59
190.	,, Mangi Lal	Patwari.	,,	11-3—58
191.	,, Ram Singh	Inspector, Land. Records.	,,	21-6—59
192.	,, Banwari Lal	Patwari.	,,	21-6—59
193.	,, Pooran Mal	,,	,,	20-6—59
194.	,, Kalyan Prasad	,,	,,	20-6—59
195.	,, Suraj Narain	,,	,,	20-6—59
196.	,, Khyali Lal	,,	,,	20-6—59
197.	,, Manik Chand	,,	,,	25-6—59
198.	,, Johri Lal	,,	,,	5—9—59
199.	,, Prabhu Dayal	,,	,,	18-4—59
200.	,, Roop Chand	,,	,,	18-4—59
	COLLECTORATE, SAWAI MADHOPUR			
201.	Shri Dwarka Prasad	Patwari.	Non-Gazetted.	24-1—59
202.	,, Remeshwar	,,	,,	14-3—59
203.	,, Mangi Lal	Nazir.	,,	22-6—56
204.	,, Kishan Sahai	L. D. C.	,,	21-12-56

1	2	3	4	5
		COLLECTORATE JODHPUR		
205.	Shri Girdhari Puri	Patwari.	Non-Gazetted.	29-8—58
206.	„ Mohan Singh	„	„	22-2—58
207.	„ Gordhan Lal	„	„	5—3—58
208.	„ Sampat Raj	„	„	12-5—59
209.	„ Gordhan Singh	„	„	1—11-57
210.	„ Pyare Mohan	Naib-Tehsildar.	„	9—12-57
211.	„ Prem Narain	Patwari.	„	16-10-59
212.	„ Jaswant Singh	Hawaldar.	„	31-11-56
		COLLECTORATE, JALORE		
213.	Shri Anop Singh	Patwari.	Non-Gazetted.	13-10-59
214.	„ Balu Lal	„	„	8—10-58
215.	„ Takhat Singh	„	„	23-5—57
216.	„ Chain Singh	„	„	2—1—59
217.	„ Hans Raj	„	„	2—2—59
218.	„ Khangar Singh	L. D. C.	„	20-9—56
		COLLECTORATE, NAGAUR		
219.	Shri Bije Roop Rai	Naib-Tehsildar.	Non-Gazetted.	14-11-59
220.	„ Sire Mal	U. D. C.	„	18-7—57
221.	„ Mukand Singh	„	„	15-6—57
222.	„ Kalu Ram	Patwari.	„	3—2—57
223.	„ Subh Karan	„	„	26-9—59
224.	„ Sumermal	„	„	23-4—58
225.	„ Mool Chand	„	„	13-4—59
226.	„ Mahavir Prasad	„	„	16-7—58

1	2	3	4	5
227.	Shri Nand Lal	Patwari.	Non-Gazetted.	16-4—59
228.	„ Hinglaj Dan	„	„	6—8—58
229.	„ Bajrang Singh	„	„	11-7—59
230.	„ Chet Puri	Revneue Inspector.	„	3—6—59
231.	„ Satya Narain	Patwari.	„	21-9—59
232.	„ Ganpat Lal		„	6—2—57
233.	„ Sampat Mal	„	„	19-4—57
234.	„ Damodar Das	„	„	11-10-50
234a.	„ Chenakya Prasad	Tehsildar.	Gazetted	—
234b.	„ Gouri Vallabh	„	„	—
	COLLECTORATE, DUNGARPUR			
235.	Shri Anop Singh	Patwari.	Non-Gazetted	—
236.	„ Mod Singh	„	„	—
	COLLECTORATE, BHILWARA			
237.	Shri Sajjan Singh	Patwari.	Non-Gazetted.	27-1—60
238.	„ Ganpat Singh	„	„	27-1—60
	APPOINTMENTS DEPARTMENT			
239.	Shri Gohra Lal Mathur	R. A. S.	Gazetted.	4—3—59
240.	„ R. N. Chaturvedi	Asstt. Cane Dev. Officer.	„	20-3—59
241.	„ S. L. Tiwari	Manager, Circuit House.	„	2—6—59
242.	„ S. S. Goyal	Lecturer in Physics.	„	6—8—59
243.	„ R. L. Goyal	Asstt. Engr. Irrigation.	„	17-10-59

1	2	3	4	5
244.	Shri Madan Singh	R. A. S.	Gazetted.	5—12-59
245.	„ Govind Narain	B. D. O.	„	5—12-59
246.	„ Murli Dhar	Revenue Inspector.	Non-gazetted.	5—12-59
247.	„ Umed Singh	Patwari.	„	5—12-59
248.	„ Mukan Singh	Clerk.	„	5—12-59
249.	„ O. L. Joshi	Mining Engineer,	Gazetted.	14-12-59
	REVENUE-C-RELIEF SECTION-DEPARTMENT			
250.	Shri Gulab Chand	Cashier.	Non-Gazetted.	13-3—56
	LOCAL SELF GOVERVMENT DEPARTMENT			
251.	Shri K. B. Sinha	Engineering Subordinate.	Non-Gazette.d	10-11-55
	CO-OPERATIVE DEPARTMENT			
252.	Shri Kishan Gopal	Asstt. Inspector.	Non-Gazetted.	7—3—59
253.	„ Har Sahai	„	„	13-3—59
254.	„ Hari Shankar	„	„	25-6—58

————

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१६०१	२२	परमि	परमिट
१६०५	५	मुख्या मंत्री	मुख्य मंत्री
,,	११	कितनी कितना	कितनी कितनी
१६०७	१८	उद्योग मत्री	उद्योग मंत्री
१६०८	१२	पंचायात समिति	पंचायत समिति
१६०९	१०	मरने गये	मर गये
१६११	६	बाहरे वालों	बाहर वालों
१६२१	१०	श्री रिखबचन्द धारीवाल	उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल)
१६२३	१	मुसम्भात	मुसम्मात
१६३०	१६	झूठा बदाया	झूठा बनाया
१६३३	६	इन्पेक्टर	इन्सपेक्टर
१६३४	अन्तिम से ४	दोनों और	दोनों ओर
१६३५	शीर्ष	प्रश्नत्तर	प्रश्नोत्तर
१६४०	१६	हो गइ	हो गई
१६४४	१० व १६	शॉक्स एन्ड हेरिस	शेम्स एन्ड हेरिस
१६४५	१०	एन्टाइटीज़	एन्टिटीज़
१६४७	६	पर कहत।	पर कहता हूँ।
,,	११	और स्कैप का	और स्कैप को
१६५०	शीर्षक	(श्री रिखबचन्द अग्रवाल)	(श्री रिखबचन्द धारीवाल)
१६५२	शीर्षक	—	(डॉ० चन्द्रकला)
१६५२	२	ने विद्यार्थी	कितने विद्यार्थी
१६५७	१३	Educaturi be	Education be
१६५८	७	विकास का अकधिकारी	विकास का अधिकारी
१६५९	१६	यात्रा। व्यय	यात्रा-व्यय
१६६१	१४-१५	शालाओं की परीक्षा सम्बन्धी नये आदेश फरवरी के मह में जारी किये हैं ?	शालाओं को परीक्षा सम्बन्धी नये आदेश फरवरी के माह में जारी किये हैं ?
१६७१	८	श्री सतीशाचन्द	श्री सतीशचन्द्र
१६८१	१८	एस. ए. पास	एम. ए. पास
,,	अन्तिम से ३-४	नियुक्तयां	नियुक्तियां
१६८३	७	यह विज्ञापन द्वारा	इस विज्ञापन द्वारा

(२)

१	२	३	४
१९८३	२५	मैंने बताया	मैंने बताया
१९८६	शीर्षक	तथा बिस्वेदारी	तथा बिस्वेदारी
१९९४	शीर्षक	श्री सतीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१९९९	१८	परमपराएं	परम्पराएं
२००२	अन्तिम	रिडेम्पूशन	रिडेम्शन
२००८	शीर्षक	(मेजर श्री फप्रहसिंह)	(मेजर श्री फतहसिंह)
,,	२६	रीऑर्गेनाइजेशन	रीऑर्गेनाइज़ेशन
२००६	३०	भेदभाव	भेदभाव
०११	१	खरीदा है	खरीदा है
०१६	२२	और अमेन्डमेंट	और अमेंडमेंट
०१८	३	मेरी यह	मेरी यह
२०१६व२०५३	४	बिस्वेदारी पुराने के	पुराने बिस्वेदारी के
,,	२६	नारायणसिंह : जारी	नारायणसिंह : (जारी
२०२१	शीर्ष	वियधेक	विधेयक
२०३२	३	फार्मिग	फार्मिंग
२०३८-३९	शीर्ष	सितन्बर	सितम्बर
२०४३	१०	गगानगर	गगानगर
२०४६	१४	मे 'मालिक'	में 'मालिक'
२०५२	२	हो गई ।	हो गई है।
,,	१६	कमेटी कौ	कमेटी को
२०५४	१७	(उप मंत्री)	(उप मंत्री, विद्युत)
२०५६	२८	सकती इस, तरफ	सकती, इस तरफ
२०६० से २०७३	शीर्ष	स्मारक, (पुरातत्व संबंधी स्थान इत्यादि) विधेयक	स्मारक, पुरातत्व सम्बन्धी स्थान इत्यादि विधेयक
२०६२	शीर्ष	स्मारन	स्मारक
,,	१७	विदेशी लौग	विदेशी लोग
२०६४	२३	आज इस	आज वे इस
२०६८	२	इटों को	ईंटों को
२०७०	२२	(३० ८ म० प०)	(३.०८ म. प.)
२०७८	६	साहित्यिक	साहित्यिक
२०८२	२५	जिक नहीं किया।	जिक्र नहीं किया।
२०८८	१४	imporatnce	importance
२०९१	६	Point fo	Point of
,,	अन्तिम से २	समाप	समाप्त
२०९३	अन्तिम	जाता हैं।	जाता है।

१	२	३	४
२०६५	१५	की तो	की जो
२०६८	६	सकते वह	सकते हैं वह
२१००, --२१०१ तथा २११०-११	शीर्ष	सितम्वर	सितम्बर
२१०२	शीर्षक	(श्री बरकतुल्ला)	(श्री बरकतुल्ला खां)
२१०६	२	It may ? be	It may be
२११०	६	श्री अध्यक्ष : (उप मंत्री से)	(उप मंत्री से)
२११५	५	the firure	the figure
२११८	२३	टेक्निकज	टेक्निकल
२१२२	१६	Direcior has	Director has
२१४०	५	श्री जेठामल	श्री जेठमल
२१४५	१	परिशिप्ट २	परिशिष्ट २
२१४७	४	JHUNIHUNU	JHNJHUNU
२१४८	४	the Mjddl	the Middle
२१५०	सीरियल १का कॉलम १०	SMD कोर्ट	SDM कोर्ट
२१६५	१६	UDIPUR	UDAIPUR
,,	अन्तिम कॉलम ३	Knnungo	Kanungo
२१६६	सीरियल६७, कॉलम ५	6 June, 59	June, 59
२१७१	४	CELECTORATE	COLLECTORATE
,,	१५	BIKAAER	BIKANER
२१७६	१२	31. 11. 56	31. 12. 56
	१८	20. 9. 56	20. 9. 59

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१६७८	१६	256... arr	256......are
२०१२	शीर्ष	(मेज़र श्री फत सह)	(मेजर श्री फतहसिंह)
२०५१	शीर्षक	वियधेक, १९६०	विधेयक, १९६०
२१६१	२	३०४ का	१४१ का
शुद्धिपत्र	पृष्ठ१,कॉलम४ पंक्ति संख्या२६	परीक्षा सम्बम्धी	परीक्षा सम्बन्धी
,,	पृष्ठ२,कॉलम१ पंक्ति १०	०१६	२०१६